# राजस्थान सरकार

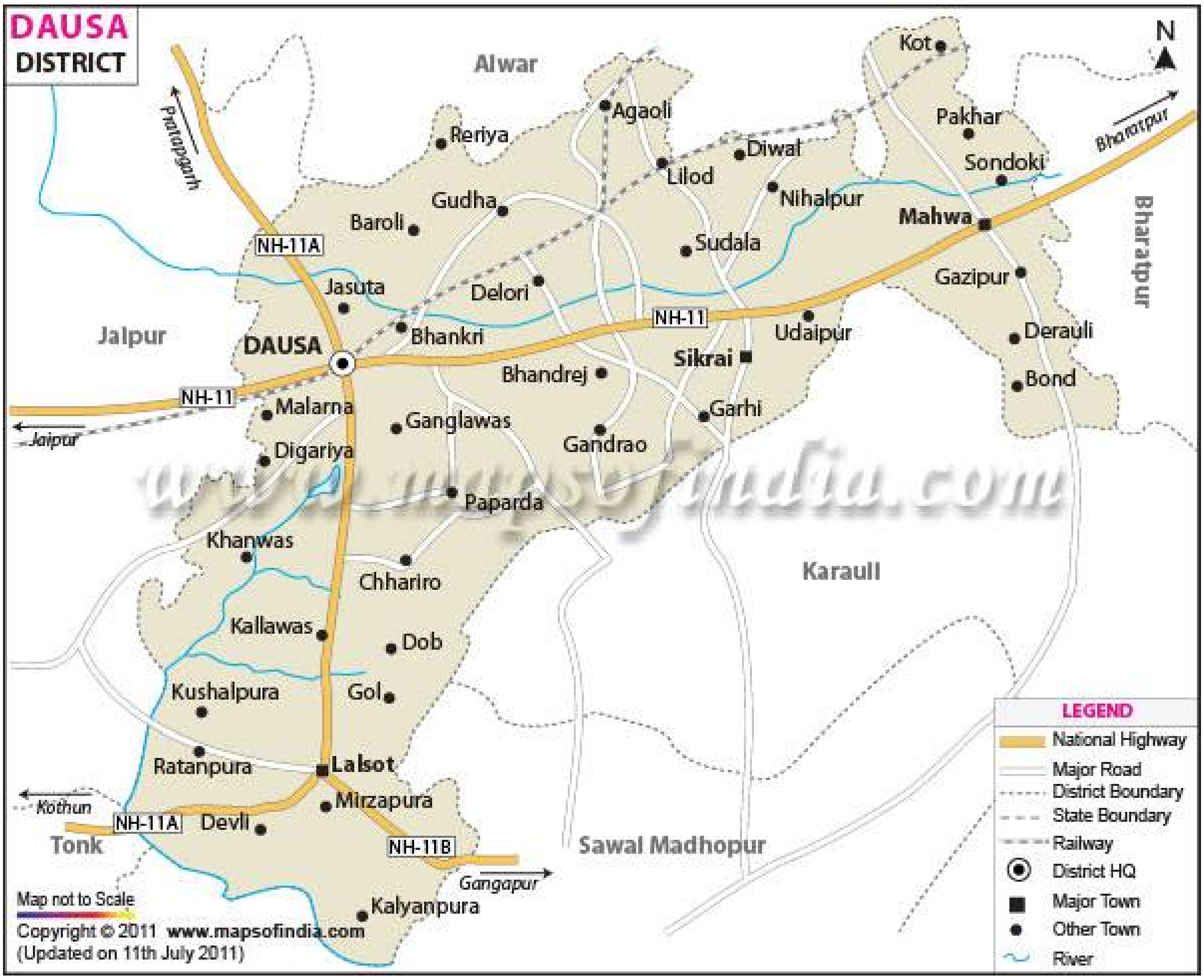


# दौसा

# जिला आपदा प्रबन्धन योजना

# 2017

| | |
|---|---|
| **संरक्षक** | **नरेश कुमार शर्मा,** आई.ए.एस<br>जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट<br>अध्यक्ष<br>जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण<br>दौसा |
| **संपादक** | **कैलाश चन्द शर्मा,** आर.ए.एस.<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) एवं<br>सचिव<br>जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण<br>दौसा |

सत्यमेव जयते

# कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
# जिला आपदा प्रबन्धन योजना– 2017

## प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना–2017 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के दिशा–निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान–माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सत्त और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्राबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावो का आंकलन, फंसे हुए लोगो को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना–2017, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लायें।

इस योजना को पहली बार व्यवस्थित तरीके से तैयार करने में सहयोग करने हेतु जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होने योजना को बनाने में जनहित में अपनी सहभागिता निभाई। योजना को सफल बनाने में सब का सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागत योग्य है।

**नरेश कुमार शर्मा, आई.ए.एस.**
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

# विषय सूची


| अध्याय | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| **अध्याय 1** | **आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय** | 7 |
| **अध्याय 2** | **विकास और आपदा** | 17 |
| 2.1 | बहु–आपदा अनुक्रिया योजना | 17 |
| 2.2 | जिला आपदा प्रबन्धन | 18 |
| 2.3 | कार्य योजना के उद्देश्य | 19 |
| 2.4 | नीतिगत कथन | 19 |
| **अध्याय 3** | **दौसा जिले की रूपरेखा** | 20 |
| 3.1 | राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जिला दौसा एक दृष्टि में (वर्ष 2011–12) | 23 |
| 3.2 | पर्यटन स्थल | 25 |
| 3.3 | परिवहन, संचार और उर्जा | 30 |
| **अध्याय 4** | **आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति** | 32 |
| 4.1 | आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य योजना | 32 |
| 4.2 | खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए) | 34 |
| **अध्याय 5** | **राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा** | 36 |
| 5.1 | आपदा प्रबन्धन चक्र | 37 |
| 5.2 | सूखा | 37 |
| 5.3 | बाढ़ | 38 |
| 5.4 | भूकम्प एवं तीव्रता | 40 |
| 5.5 | जिले का खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण | 45 |
| 5.6 | आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग | 46 |
| **अध्याय 6** | **दौसा जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन** | 47 |
| 6.1 | संभावित विपदाओं की पहचान | 47 |
| 6.2 | संवेदनशीलता | 48 |
| **अध्याय 7** | **प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना** | 52 |
| 7.1 | जिला आपदा प्रबन्धन | 52 |
| 7.2 | संस्थागत व्यवस्था | 53 |
| 7.3 | कार्य योजना के उद्देश्य | 57 |
| 7.4 | नियन्त्रण कक्ष | 58 |
| 7.5 | जिला एवं स्थानीय प्रशासन | 59 |
| 7.6 | पुलिस विभाग | 60 |
| 7.7 | अग्नि एवं कार्य योजना | 60 |
| 7.8 | नागरिक सुरक्षा बल | 72 |
| 7.9 | राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF)/ बम विस्फोट एवं आतंकवादी घटना | 73 |
| 7.10 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना | 75 |
| 7.11 | जल संसाधन विभाग | 78 |
| 7.12 | बोरवेल की दुर्घटना | 82 |
| 7.13 | सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना | 85 |

| | | |
|---|---|---|
| 7.14 | जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना | 86 |
| 7.15 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना | 87 |
| 7.16 | परिवहन विभाग | 87 |
| 7.17 | खाद्य एवं रसद विभाग | 87 |
| 7.18 | सूखे की कार्ययोजना | 88 |
| 7.19 | दुर्घटना कार्य योजना | 91 |
| 7.20 | भूकम्प एवं कार्य योजना | 93 |
| 7.21 | ओला वृष्टि | 96 |
| 7.22 | बांध टूटना | 97 |
| 7.23 | खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्य योजना | 98 |
| 7.24 | ताप (लू) एवं शीतघात | 98 |
| **अध्याय 8** | **रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्य योजना** | 103 |
| 8.1 | रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ | 103 |
| **अध्याय 9** | **बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्य योजना** | 105 |
| 9.1 | चिकित्सा सुविधा | 105 |
| **अध्याय 10** | **न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति की कार्ययोजना** | 106 |
| 10.1 | आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही | 106 |
| 10.2 | आपात स्थिति में सम्पर्क | 107 |
| **अध्याय 11** | **साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड** | 108 |
| 11.1 | साम्प्रदायिक तनाव | 108 |
| 11.2 | भगदड एवं कार्ययोजना | 108 |
| **अध्याय 12** | **विधालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय** | 111 |
| **अध्याय 13** | **दौसा बस स्टैण्ड आपातकालीन कार्ययोजना** | 112 |
| **अध्याय 14** | **आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)** | 114 |
| **अध्याय 15** | **आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी** | 118 |
| **अध्याय 16** | **राजस्थान राहत कोष** | 119 |
| **अध्याय 17** | **महत्वपूर्ण कार्यालय, अस्पताल, ब्लड बैंक एवं अन्य आपातकालीन सम्पर्क** | 125 |
| 17.1 | जिला प्रशासनिक मुख्यालय सम्पर्क | 125 |
| 17.2 | पुलिस विभाग | 126 |
| 17.3 | दौसा जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर | 128 |
| 17.4 | दौसा जिले के जन प्रतिनिधिगण | 133 |
| 17.5 | चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस एवं ब्लड बैंक सम्पर्क | 134 |
| 17.6 | अग्निशमन केन्द्र आपात सम्पर्क | 135 |
| 17.7 | आपदा प्रबन्धन विभाग एवं प्राधिकरण | 135 |
| 17.8 | पुलिस एवं गृह रक्षा विभाग दौसा में तैराकों की सूची | 136 |
| 17.9 | पुलिस लाईन दौसा में उपलब्ध बचाव उपकरण | 136 |
| 17.10 | जल संसाधन विभाग के पास उपलब्ध बचाव सामग्री की सूची | 137 |
| **अध्याय 18** | **तहसील बसवा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017** | 138 |
| **अध्याय 19** | **तहसील दौसा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017** | 142 |
| **अध्याय 20** | **तहसील लालसोट आपदा प्रबन्धन योजना– 2017** | 153 |

| | | |
|---|---|---|
| अध्याय 21 | तहसील सिकराय आपदा प्रबन्धन योजना– 2017 | 165 |
| अध्याय 22 | तहसील नांगल राजावतान आपदा प्रबन्धन योजना– 2017 | 167 |
| अध्याय 23 | तहसील रामगढ पचवारा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017 | 171 |
| अध्याय 24 | तहसील लवाण आपदा प्रबन्धन योजना– 2017 | 178 |
| अध्याय 25 | तहसील महवा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017 | 183 |
| अध्याय 26 | आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली | 195 |
| अध्याय 27 | कमियॉ एवं ठोस कार्यवाही | 196 |

# अध्याय : 1

# आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

## राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

**धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।**

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) – राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाऐं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उतरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभाग द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

# राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

**धारा 14 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।**

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

**धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य –**

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाऐं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

# जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

**धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन**

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण मे अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) जिले का ,यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक – सदस्य।

(ड) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य।

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले मे जहॉ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

**धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां।**

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा मे जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन।**

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) मे निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

**धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति।**

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

**धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियॉ और कृत्य।**

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटरिंग कर सकेगा,

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए है :

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

(xii) जिले मे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनोंकी सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुसरण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबंद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xx) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियो को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

**धारा 31 – जिला आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी।**

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है।

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाऐं और प्रक्रियाऐं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

(i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उतरदायित्वों का आवंटन :

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

(iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण।

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

(v) जनता को सूचना का प्रसार।

(ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

# स्थानीय प्राधिकारी

**धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य**

(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाऐं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझें।

# राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

**धारा 44 – राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ)**

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी है, वे होंगी जो विहित की जाएं।

**धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशन**

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

## वित्त, लेखा और संपरीक्षा

**धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि।**

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :–

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग क पश्चात प्रदान करें।

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदशक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

## अपराध और शक्तियां ( penalties and Prosecution)

**धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंड।**

जे कोई युक्तियुक्त कारण के बिना –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप  जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

**धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंड।**

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या

विश्वास करने को उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

**धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरूपयोग के लिए दंड।**

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहूॅचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरूपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोगके लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

**धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराध।**

(1) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहा विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के प्रति मौनानुकूलता।**

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त

लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

**धारा 57 – अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लघंन के लिए शास्ति।**

यदि कोई व्यक्ति धारा 56 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

**धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध।**

(1) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

# अध्याय : 2

# विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाऐं उसके नियंत्रण में नहीं है वरन् प्रौधोगिक और औधोगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पडता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जेसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1990 में उडीसा में आये तूफान **(Super Cyclone),** 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपों में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ/गौरीकुण्ड/गुप्त काशी में हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं।

## 2.1 बहु– आपदा अनुकिया योजना :

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औधोगिक व रासायनिक दुर्घटनाऐं, आंगजनी, सडक दुर्घटनाऐं, रेल व वायुयान दुर्घटनाऐं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। (1950–2000) के 50 वर्षो में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे है जबकि 44 वर्षो में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, 1999–2000 में रहा है। 1980 से 2000 के दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी कभी पडता था वह स्थाई आपदा बन गया है।

संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुऐं। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नही वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते है जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

**2.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :–**

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहायेग के साथ क्षमता बढाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनानां
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
5. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिले में पूर्व में हुईआपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।

9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

## 2.3 कार्य योजना के उद्देश्य :–

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक धन दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

## 2.4 नीतिगत कथन :–

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पडा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.2.2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सहीं ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही मे देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटनें व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सकें।

# दौसा जिले की रूपरेखा एवं संरचना

10 अप्रेल, 1991 को जयपुर जिले से चार तहसीलों दौसा, सिकराय, बसवा एवं लालसोट को पृथक कर दौसा जिले का गठन हुआ। 15 अगस्त, 1992 को सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को भी दौसा जिले में सम्मिलित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1634409 है। इसकी सीमाएँ जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर एवं करौली जिले से लगती है। दौसा जिला $25^{0}33'$ से $27^{0}33'$ उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं $76^{0}50$ से $76^{0}90'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।

दौसा जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जयपुर से आगरा की ओर 55 किमी. दूरी पर स्थित है। जिले में 7 उपखण्ड – दौसा, महुआ, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई, नांगल राजावतान व रामगढ पचवारा। जिले में 9 तहसील– दौसा, महुआ, लालसोट सिकराय, बसवा, नांगल राजावतान, लवाण, रामगढ पचवारा, मण्डावर। 6 पंचायत समिति– दौसा, महुआ, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई एवं लवाण। 3 नगरपालिका– लालसोट, बांदीकुई व महुआ एवं 1 नगर परिषद दौसा स्थित हैं।

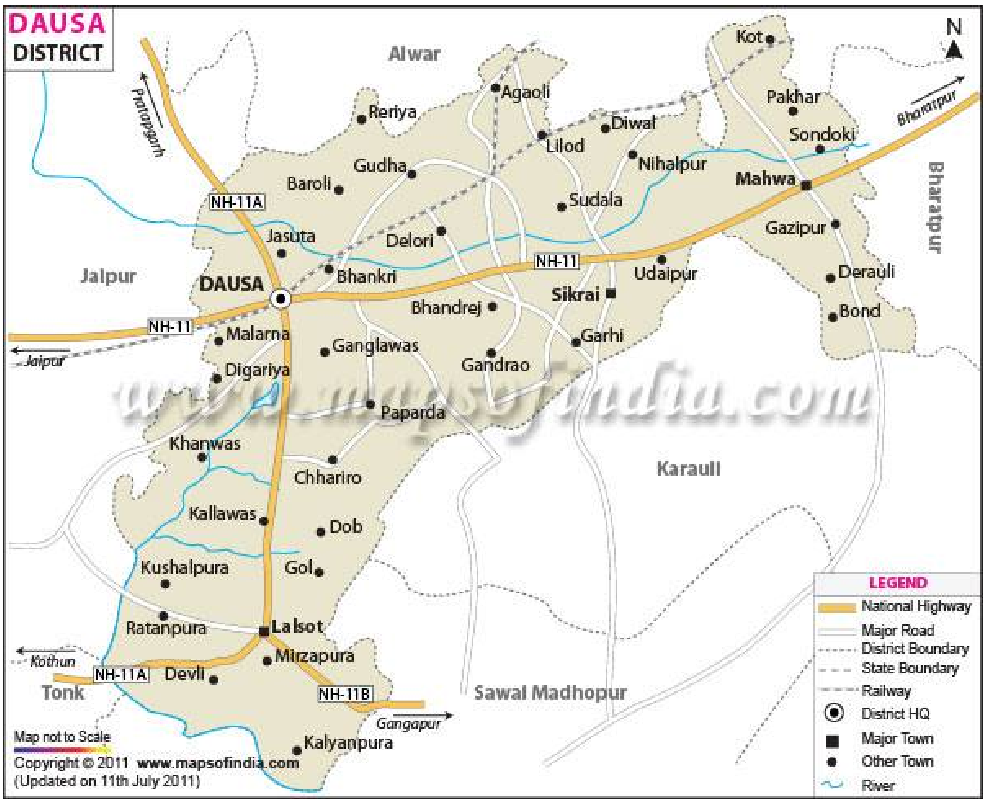

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः–**

दौसा कछवाह राजाओं की राजधानी रही और उनके साम्राज्य विस्तार में दौसा का सर्वाधिक योगदान रहा है। कछवाह श्री राम के पुत्र कुश के वंशज बताये जाते है जो सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के है। अयोध्या पर शासन करने के पश्चात कुश के वंशज राजगद्दी पर रहे, तत्पश्चात सोन नदी के समीपस्थ प्रदेश साकेत एवं रोहिताश्व पर अधिकार किया। उन्हीं के वंशज राजा नल ने 826 ई. के लगभग नरवर (ग्वालियर) राज्य की नींव डाली। नल के पुत्र ढोला राजा थे, जिनका विवाह पिंगल (जैसलमेर) के समीपस्थ प्रदेश नरेश की पुत्री मरवण से हुआ था जो ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध है।

दौसा का दसवीं शताब्दी से पूर्व का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। संभवतया इससे पूर्व वर्तमान नगर का यह भू–भाग जलमग्न था। विश्वास किया जाता है कि कालान्तर में जल सूखता गया तथा लोग पर्वत पर बसने लगें। कदाचित इसीलिए पर्वत का निचला भाग जो जलमग्न था या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया हुआ था, आज भी सागर कहलाता है। दौसा को ढूंढार राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के विरूद्ध आनन्दपाल की सहायता उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर और अजमेर के क्षेत्रीय राजाओं ने की। आनन्दपाल की सहायता करने के कारण महमूद गजनवी ने क्रोधित होकर अजमेर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। अजमेर में उस समय पराक्रमी राजा बीसलदेव चौहान राज्य कर रहे थे। इस पराजय के कारण बीसलदेव चौहान ने जोबनेर में शरण ली एवं पुनः शक्ति एकत्रित कर शत्रुओं को पराजित किया तथा ढूंढ–ढूंढ कर उनका विनाश किया, इसी कारण इस भू–भाग का नाम कालान्तर में ढूंढार पडा। राजा नल की संतति ने ही ढूंढार राज्य पर शासन किया।

नल की 21 वीं पीढीं में 33 वें शासक थे, ग्वालियर नरेश सोढदेव। सोढदेव के पुत्र दूल्हेराय का विवाह गढमोरा के चौहान राजा रालपसी की कन्या सुजान कंवार के साथ हुआ। दसवीं शताब्दी में दौसा नगर पर दो राजवंश चौहान एवं बडगुर्जर राज्य कर रहे थे। दौसा के किले में जो पर्वतीय नाला आता था, वह इन दो राज्यों को उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा में विभाजित करता था। प्रारम्भ में इन दो राजवंशो में सद्भाव था, परन्तु कालान्तर में वैमनस्य होने के कारण चौहान ने अपनी सहायता के लिए ग्वालियर से अपने जामाता दूल्हेराय को आमंत्रित किया।

दूल्हेराय घोडे के व्यापारी बनकर यहां आये एवं अपने श्वसुर की सहायता की तथा कूटनीति से उसने बडगूर्जरों को हराकर दौसा का शासन अपने पिता सोढदेव को सौप दिया। सोढदेव ने 1036 तक 30 वर्ष तक दौसा पर शासन किया। दौसा के पश्चात कछवाह नरेशों ने जमवारामगढ को दूसरी राजधानी बनाया। दूल्हेराय यहां से अपने निकट संबंधी ग्वालियर नरेश जयसिंह तंवर की सहायतार्थ एक युद्ध में गये और वहीं घायल हो वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद उनके पुत्र काकिलदेव ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया। दूल्हेराव और उनके परवर्ती शासकों के समय का एक स्मारक है भौमिया जी का महल। यह किले के बाहर सागर में एक ऊँचें टीले पर बना है। यह महल समकालीन राव सूरजमल की स्मृति में बनवाया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात सर्प योनि में प्रकट होकर वे भोमिया कहलाये, बाद में उन्हें देव योनि प्राप्त हुई। आमेर एवं जयपुर के भूतपूर्व शासक राज्याभिषेक से पूर्व भोमिया जी की गद्‌दी का पूजन करके ही सिंहासनारूढ होते थे।

# दौसा जिले का संक्षिप्त विवरण

| विषय | | |
|---|---|---|
| **भूमि उपयोग :–**<br>1. कूल भौगोलिक क्षेत्रफल<br>2. समस्त बोया गया क्षेत्रफल | <br>341428 हैक्ट.<br>376825 हैक्ट. | |
| **कृषि :–**<br>(अ) क्षेत्रफल<br>1. अनाज<br>2. दालें<br>3. तिलहन<br>4. कपास | <br><br>258413 हैक्ट.<br>11307 हैक्ट.<br>84195 हैक्ट.<br>8 हैक्ट. | |
| **सिंचाई :–**<br>1. विशुद्ध सिंचित क्षेत्रफल<br>2. कुल सिंचित क्षेत्रफल | <br>164520 हैक्ट.<br>168142 हैक्ट. | |
| **कुएं (संख्या में) :–**<br>1. कुल कुऐं<br>2. नलकूल | <br>46116<br>14623 | |
| **पशुधन एवं कुक्कुट (संख्या में)**<br>1. पशुधन<br>2. कुक्कुट | <br>1050958<br>41193 | |
| **सहकारी समितियां(संख्या में)** | **565** | |
| **उधोग :–**<br>1. पंजीकृत कारखाने | <br>53 | |
| **विद्युत गृह एवं जन व्यवस्थाः–** | पूर्ण विद्युतीकरण<br>220 केवी – 4<br>32 केवी – 7<br>33 केवी – 133 | |
| **सडकें**<br>1. कुल सडक (किमी.) | <br>3697.32 | |
| **संचार सुविधाऐं (संख्या में)**<br>1. पोस्ट ऑफिस<br>2. टेलीफोन केन्द्र–ग्रामीण–25 / शहरी–03 | <br>243<br>28 | |
| रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति | 28210 | |
| **शिक्षा (संख्या में)**<br>1. कुल शिक्षण संस्थाऐं<br>2. शिक्षण संस्थाओं में | <br>2030<br>386519 | |

| | | |
|---|---|---|
| छात्र एवं छात्र | | |
| **चिकित्सा**<br>1. ऐलोपैथिक<br>2. आयुर्वेदिक<br>3. यूनानी<br>4. होम्योपैथिक | <br>316<br>100<br>03<br>01 | <br>316<br>103<br>03<br>04 |
| वास्तविक वर्षा | 424.75 एमएम | 898.63 एमएम |
| कुल पुलिस थानों की संख्या | 18 | 18 |
| जिला में कुल रेल्वे स्टेशन | 13 | 13 |
| कुल पैट्रोल पम्प | 58 | 81 |
| बैंकिग | — | 158 |
| बिक्रीकर<br>मनोरंजन कर | —<br>— | 3030.65 लाख रूपयें<br>निल |
| पंजीकृत मोटर वाहन संख्या | — | 20666 |
| जिले में स्वीकृत आंगनवाडी | — | 1353 |

## 3.2 पर्यटन स्थल

### संस्कृति, कला और शिल्प का संगम

दौसा जिला अपने आप में संस्कृति, कला, और शिल्प का विविधतापूर्ण वैभव समेटे हुए है। यह वैभव यहॉ के मेलों, ऐतिहासिक स्थलों तथा हस्तशिल्प में बखूबी परिलक्षित होता है।

### बसंत पंचमी का मेला

दौसा शहर में बारादरी मैदान में प्रतिवर्ष माघ सुदी पंचमी (बसंत पंचमी) पर एक विशाल मेला पांच–छः रोज तक लगता है, जिसमें दूर–दराज के ग्रामीण श्रद्धालु लाखों की संख्या मे भाग लेते है। इस मेले में अधिकतर घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीददारी की जाती है, जिसके लिए मेले में अलग–अलग हाट बाजार लगते है।

### मेंहन्दीपुर बालाजी का मेला

यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी. दूर स्थित है। यहॉ स्थित मूर्ति किसी कलाकार द्वारा गढ कर नहीं लगाई गई है। यह पर्वत का ही एक अंग है और समूचा क्षेत्र ही मानों उसका भूधराकार है। मेंहन्दीपुर बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुण्डी थी, जिसका पानी कभी सूखता या समाप्त नही होता, ऐसा कहा जाता है। ऐसी मान्यता हैं कि मनोरोग की बाधाएॅ, मिरगी, लकवा, पागलपन आदि रोग श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं। यहॉ दशहरा पर्व पर दोनो नवरात्राओं में एवं हनुमान जयन्ती पर मेला लगता हैं।

### बीजासनी माता का मेला

यह स्थान जिले की लालसोट तहसील में खुर्रा गॉव में स्थित है। यहॉ चैत्र सुदी पूर्णिमा के अवसर पर चार दिवसीय मेला लगता है। जहां काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

### गणगौर मेला

जिले की लालसोट तहसील में चैत्र सुदी तीज पर तीन दिवसीय मेला लगता है, जिसमें तीज की सवारियॉ निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण लोग एकत्रित होते है।

## आभानेरी

प्राचीन महत्व की धरोहर आभानेरी बांदीकुई के समीप स्थित है। आभानेरी में विशाल बावडी, ऐतिहासिक इमारतें, कुण्ड तथा उसमें बनी आकर्षक सीढियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहॉ लगभग एक हजार वर्ष पूर्व एक वैभवशाली समृद्ध नगर रहा होगा। आभानेरी में गुप्तकाल तथा प्रारम्भिक मध्यकाल के बने हुये कलात्मक ऐतिहासिक स्मारक, बावडी, हर्षद माता का मन्दिर, चॉद बावडी के अन्दर तीन ओर बनी आकर्षक सीढियां भी कला का बेजोड नमूना है। हर्षद माता के मंदिर में नीचे का हिस्सा सातवीं शताब्दी व गुम्बज ग्यारहवी शताब्दी में बनाया गया था। बावडी के नीचे एक सुरंग बनी हुई है, लोगो का अनुमान है कि यह सुरंग भाण्डारेज की बावडी होती हुई आलूदा के कुबानियां कुण्ड तक जाती है। मंदिर के बाहर बिखरी पडी मूर्तियों के 262 खण्डित टुकडों को पुरातत्व विभाग ने महत्वपूर्ण माना हैं।

## झाझीरामपुरा

झाझेश्वर महादेव से बने झाझीरामपुर की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व ठाकुर रामसिंह ने की थी तथा यहॉ पर भोजपत्र की बनावट का कुण्ड व गोमुख का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात कुण्ड का उपर का हिस्सा अर्जुनदास जी ने बनवाया। इसी प्रकार से एक जलहरी में 12 महादेव है। जहॉ निर्मित गौमुख से सर्दियों में गरम तथा गर्मियों में ठण्डा पानी बहता है। प्राचीन कला एवं संस्कृति की दृष्टि से जिले में यह स्थान अनूठा हैं।

## भाण्डारेज की बावडियॉ व महल

दौसा जिला मूख्यालय से 12 किमी. दूर बसा भाण्डारेज गॉव प्राचीन कला व संस्कृति की अदभुत मिसाल हैं। भाण्डारेज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता हैं कि यहॉ बडगुर्जरों क्षत्रियों का अधिकार था। ग्यारहवीं शताब्दी में ढूँढार प्रदेश के कछवाहों का राज्य स्थापित करने वाले दूलाराय ने बडगुर्जरों को परास्त कर दौसा के साथ अपने अधीन कर लिया। भाण्डारेज गॉव में बावडियॉ, कुण्ड, भूतेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, गोपालगढ भी स्थित हैं। गांव के बाहर दक्षिण दिशा में बनी विशाल बावडी भी अनुपम हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह गांव प्राचीन काल में व्यापारिक मण्डी के रूप में जाना जाता था। भाण्डारेज में लोहे का सामान, चमडे की जूतियॉ, रंगाई – छपाई का कार्य आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुये हैं।

## आलूदा का कुबानियां कुण्ड

दौसा के समीप ही आलूदा गांव भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहॉ ऐतिहासिक बावडी में बने कुण्ड पुराने समय में आने– जाने के उपयोग में लायी जाने वाली कुबानियॉ (बहली) के आकार में निर्मित हैं। जिनका आकर्षण देखते ही बनता हैं।

## संत सुंदरदास की दीक्षास्थली : गेटोलाव

दौसा नगर से 3 किमी की दूरी पर प्राकृतिक छटा बिखेरता एक स्थान गेटोलाव के नाम से विख्यात हैं। यह वह स्थान है जहॉ पर स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने दौसा में जन्में संत सुन्दरदास जी सहित संत श्री लाखाजी व नरहरिजी को शिष्य बनाकर दीक्षा प्रदान की थी। इसी स्थान पर दादूदयाल जी का मंदिर, तालाब तथा सुन्दरदास स्मारक ट्रस्ट की ओर से सुन्दरदास जी का स्मारक भी बना हुआ हैं।

## पंच महादेव

यहॉ स्थित पांच महादेव मंदिरों में से हैं– नीलकंठ, बैजनाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ एवं सोमनाथ में सभी समुदायों के धर्मपरायण लोग नियमित रूप से दर्शन करते हैं।

## बावडी वाला बालाजी का मेला

यह स्थान जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर भाण्डारेज में स्थित हैं। यहॉ दक्षिण दिशा में पांच मंजिल की एक विशाल बावडी हैं, जिसमें उतरने के लिए बडी बडी सीढियॉ बनी हैं। यहॉ बालाजी के मंदिर में प्राचीन मूर्ति हैं। इसका जीर्णोद्वार राजा कुबेरसिंह ने संवत् 2000 में करवाया था। यह मन्दिर इतना भव्य एवं सुन्दर हैं कि आने वाले यात्री का मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहॉ पर प्रतिवर्ष मेला लगता हैं। जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण भाग लेने आते हैं।

## हस्तशिल्प

दौसा जिले में सिकन्दरा चौराहे से बालाजी मोड, गीजगढ, मानपुर, महुवा तक आने वाली सडक के किनारे पत्थर पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती हैं। लगभग 240 स्टालों में शिल्पकला का सृजन किया जाता हैं। पत्थर की कलात्मक चिराई, तरह–तरह की जालियॉ, मकानों के चौखट, कुण्डी, गमले, मेहराब, मंदिर, छतरी, खम्बे, गेट, लैम्प, शेर, हाथी, हिरण, ऊॅट, मोर, तोता, मछली आदि पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती हैं। इस उद्योग में लगभग 800 लोग जुडे हुए हैं।

## मिट्‌टी के बर्तन

बसवा के कुम्भकार राजस्थान में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये मिट्‌टी से निर्मित गमले, पॉट, ढोलक, नगाडे, टेबिल–लैम्प, मंदिर का घण्टा, मुड्‌डी, हुक्के की चिलम, सुल्फी, बडी बोतल आदि खूबसूरती से बनाते हैं। मिट्‌टी की इन वस्तुओं के प्रमुख बिक्री केन्द्र जयपुर, दिल्ली, दौसा, बांदीकुई, रामगढ आदि हैं। यहॉ 3 इंच से 14 इंच तक के गमले बनाये जाते हैं। इन्हें 500 रूपयें प्रति सैकडों की दर से बेचा जाता हैं। एक रूपयें के दीपक से 150 रूपयें तक के पीस का विक्रय किया जाता है।

इसके अलावा बसवा में 30 अन्य उद्योग और हैं। उसमें लगभग 150 शिल्पी काम कर रहे हैं। उद्योग को आरम्भ करने के लिए कच्चा माल, उपकरण, लकडी–बुरादा व मिट्‌टी आदि के लिए न्यूनतम रूप से लगभग 5 हजार रूपयें की आवश्यकता होती हैं। बसवा के इन शिल्पकारों के हाथो से निर्मित मिट्‌टी की नयनाभिराम कलाकृतियॉ दिल्ली व जयपुर की बडी पार्टियॉ क्रय कर इन पर पेंटिंग आदि का कार्य करवा कर विदेशों में निर्यात करती हैं।

## पीतल का काम

पीतल पर हाथ और हथौडे का कलात्मक सामन्जस्य बैठ जाये तो पीतल की धातु बोलने लगती हैं। महुवा तहसील के बालाहेडी गांव में पीतल के बर्तन छोटी–बडी चीर, हंडा, टोंकरी, डेगची, थाली, तामडी, हुक्का, परात एवं नैचा आदि बनाये जाते हैं। यहॉ लगभग 125 व्यक्ति स्टील के इस जमाने में भी पीतल को अनूठा स्वरूप देने में लगे हुये हैं। यहॉ लगभग 25 कारखाने हैं। रेवाडी, जयपुर, आगरा, मथुरा से कच्चा माल मंगाकर कारीगर माल तैयार करते हैं। इस तैयार

माल की खपत धौलपुर, खेडली, नंदबई, बयाना, हिण्डौन, भुसावर व दौसा में काफी हैं। यहॉ बर्तनों के 10 थोक व्यापारी हैं। जो कारीगरों से माल तैयार कराते हैं।

## लवाण की दरियॉ

जिले में दौसा तहसील के लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई व रंगो की डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर के व्यावसायिक पार्टियॉ इन उद्योगो को दरियों के लिए कच्चा माल सूत, ताणी व कलाकारों से तैयार कराये गये डिजाइन तथा नक्शें उपलब्ध कराते हैं। वे कारीगर डिजाइन के मुताबिक 15 रूपयें से 35 रूपयें तक प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दरियों की बुनाई करते है। जयपुर के दरी व्यापारी इन तैयार दरियों की धुलाई, किनारी की बाईडिंग, फिनिशिंग आदि का कार्य कराकर इनका विक्रय करते हैं। यहॉ तैयार दरियॉ, दिल्ली, बम्बई तथा बाहर के देशों में जर्मनी अमेरिका व इंग्लैण्ड में विक्रय के लिए भेज दी जाती है।

## साहित्य एवं कलां

दौसा जिले में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कई स्थल मौजूद हैं। बांदीकुई के निकट आभानेरी स्थित कुण्ड भाण्डारेज की बावडियां, झाझीरामपुरा में झाझेश्वर महादेव, दौसा नगर में पंच महादेव के प्रसिद्ध मंदिर, टहलडी व गेटोलाव में दादू दयाल के मंदिर सुदरदासजी का स्मारक, अभेद्य, ऐतिहासिक दुर्ग (छाजले की आकृति) आलूदा के कुबानियां कुण्ड आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं। जो प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरती हैं।

## प्रमुख मेले एवं त्यौहार

| मेले/त्यौहार का नाम | | स्थान | तिथि | मेले/त्यौहार का महत्व | मेले में एकत्रित जनसंख्या लाखों में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बसन्त पंचमी मेला | बारादरी, दौसा | माघ सुदी पंचम | धार्मिक | 1.00 |
| 2 | महादेव मेला | कोलवा ग्राम | फागुन सुदी अमावस्या | धार्मिक | 0.30 |
| 3 | झाझीरामपुरा मेला | झाझीरामपुरा | भादवा सुदी अष्टमी | धार्मिक | 0.50 |
| 4 | बावडी वाला बालाजी | भाण्डारेज | बैसाख सुदी पंचमी | धार्मिक | 0.20 |
| 5 | बीजासनी माता मेला | खुर्रा | चैत्र सुदी पूर्णिमा | धार्मिक | 3.00 |
| 6 | गणगौर मेला | लालसोट | चैत्र सुदी तीज | धार्मिक | 0.50 |
| 7 | पपलाज माता मेला | पपलाज | वैशाख सुदी अष्टमी | धार्मिक | 0.20 |
| 8 | मेंहदीपुर बालाजी मेला | मेंहदीपुर बालाजी मेला | दशहरा पर्व के अवसर पर तथा दोनो नवरात्रा व हनुमान जयन्ती के अवसर पर | धार्मिक | 0.50 |

### 3.3 परिवहन

**अ. सडक :–**

जिला होने के कारण सडकों की स्थिति काफी विकसित हैं। दौसा जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 11 पर जयपुर से आगरा की ओर 55 किमी. दूरी पर स्थित हैं। एन.एच. 11 एवं एन.एच. 11 ए जिला मुख्यालय से होकर गुजरता हैं।

जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 500 आबादी वाले ग्राम एवं ढाणियों को सडकों से जोडे जाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा चुका है।

**ब. रेल :—**

उत्तरी पश्चिम रेल लाईन दौसा जिला मुख्यालय से गुजरती है जयपुर से बांदीकुई के बीच दोहरी लाईन है, जो दिल्ली की ओर जाती है। दौसा से गंगापुर के बीच रेललाईन निमार्ण कार्य प्रगति पर है।

**सं. संचार :—**

जिला होने के कारण मुख्य डाक एवं तार कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय स्थित है। जिले के मुख्यालय पर स्थित जिला स्तरीय डाक तार विभाग के कार्यालयों के अतिरिक्त डाक, तार, टेलीफोन, केन्द्र एवं र्सावजनिक सन्देश कार्यालय स्थित है जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक सन्देश कार्यालय पी.सी.ओ., एस.टी.डी. (राजकीय एवं निजी) तथा अन्य डाक एवं तार सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जिले में विभिन्न निजी स्तर पर कोरियर सेवाएं कार्यरत है तथा जिले में सन्देश वाहक के क्षेत्र में निजी संस्थाऐ भी काफी संख्या में कार्यरत है।

**द. ऊर्जा :—**

किसी भी राष्ट्र के विकास एवम् उत्थान के लिये विद्युत तंत्र एवं र्प्याप्त विद्युत की उपलब्धता होना एक महत्वपूर्ण सोपान है। आज के समय में विद्युत मूलभूत आवश्यकता है तथा जिसके लिए विद्युत तंत्र विकसित किया जा रहा है। ग्राम ग्राम तक अच्छी गुणवता की विद्युत उपलब्ध कराना आवश्यक है।

# अध्याय : 04

# आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति

## 4.1 आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना

| क.सं. | क्या करना है ? | कौन–कौन शामिल होगा ? | कार्य कैसे किया जाये ? |
|---|---|---|---|
| 1 | आंकलन एवं विश्लेषण | जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अति. कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ,वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि | ➢ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा।<br>➢ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकार्ड।<br>➢ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति<br>➢ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय |
| 2 | परिस्थिति का विश्लेषण | उपर्युक्त | ➢ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना।<br>➢ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना।<br>➢ हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना।<br>➢ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना।<br>➢ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पति की सूची तैयार करना।<br>➢ सुरक्षित, संसाधन/संभावित नुकसान, सडक,रेल,हवाई, अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना। |
| 3 | खतरे का विश्लेषण | उपर्युक्त | ➢ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | को खतरा, जीविकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना है। |
| **4** | स्वेदनशीलता का विश्लेषण | उपर्युक्त | ➢ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग–अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना।<br>➢ संवेदनशील व्यक्ति जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाऐं, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते है, का चिन्हीकरण एवं सूची बनाना।<br>➢ सम्पति एवं पशुधन को चिन्हीकरण कर चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना।<br>➢ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, ग्रिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, उची इमारते एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण कर सूची बनाना।<br>➢ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हिकरण |
| **5** | मौका/अवसर का विश्लेषण | उपर्युक्त | ➢ मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण जो लोगों के जीवन एवं सम्पति के अनुसान को कम कर सके।<br>➢ ऊँचें प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइन्ट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हिकरण।<br>➢ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हिकरण<br>➢ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हिकरण<br>➢ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हिकरण<br>➢ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्त्रोंत की पहचान |

## 4.2 खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)

### खतरा का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति, भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :–

| क.सं. | सम्बन्धित आपदा | चिन्हित आपदा |
|---|---|---|
| 1 | जल एवं जलवायु संबंधित | 1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति<br>2. तुफान<br>3. चक्रवात एवं हरिकेन<br>4. औलावृष्टि<br>5. बादल का फटना<br>6. लू एवं शीतलहर<br>7. बर्फबारी<br>8. बिजली का गिरना<br>9. समुद्र का कटना<br>10. सुखा |
| 2 | भूगर्भीय सम्बन्धित | 11. भूकम्प<br>12. भूस्खलन<br>13. बंध का टूटना एवं बाध का नुकसान<br>14. खदान दुर्घटना |
| 3 | रासायनिक, आद्यौगिक, न्यूक्लियर संबंधी | 15. रसायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना<br>16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूक्लियर आपदा |
| 4 | दुर्घटना सम्बन्धित | 17. सडक, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना |

| | | |
|---|---|---|
| | | 18. खदान बाढ़<br>19. बडे मकान गिरना<br>20. सीरियल बल बलास्ट<br>21. उत्सव के दौरान दुर्घटना<br>22. शहरी आग दुर्घटना<br>23. तेल बहाव<br>24. ग्रामीण आग दुर्घटना<br>25. नाव डूबना<br>26. जंगल की आग<br>27. बिजली दुर्घटना एवं आग |
| 5 | बायोलॉजिकल सम्बन्धित | 28. महामारी एवं रोगो का फैलना<br>29. विषाक्त भोजन<br>30. पशु महामारी<br>31. किटाणु छिडकाव |

# अध्याय 05

# राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा

राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर हैं। बार–बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड पौधे, पशुधन, पर्यावरण एवं सम्पति पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहा हैं। राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाऐं सूखा, बाढ, अग्नि, औलावृष्टि, आदि से काफी नुकसान होता रहा हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावहता, आपातकालीन स्थिति, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के परिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकसान का आंकडा दिनों दिन बढता जा रहा हैं।

सामूहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोडना अति आवश्यक हैं। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपति के नुकसान को कम किया जा सकता हैं।

MAP SHOWING MULTI HAZARD ZONES IN RAJASTHAN

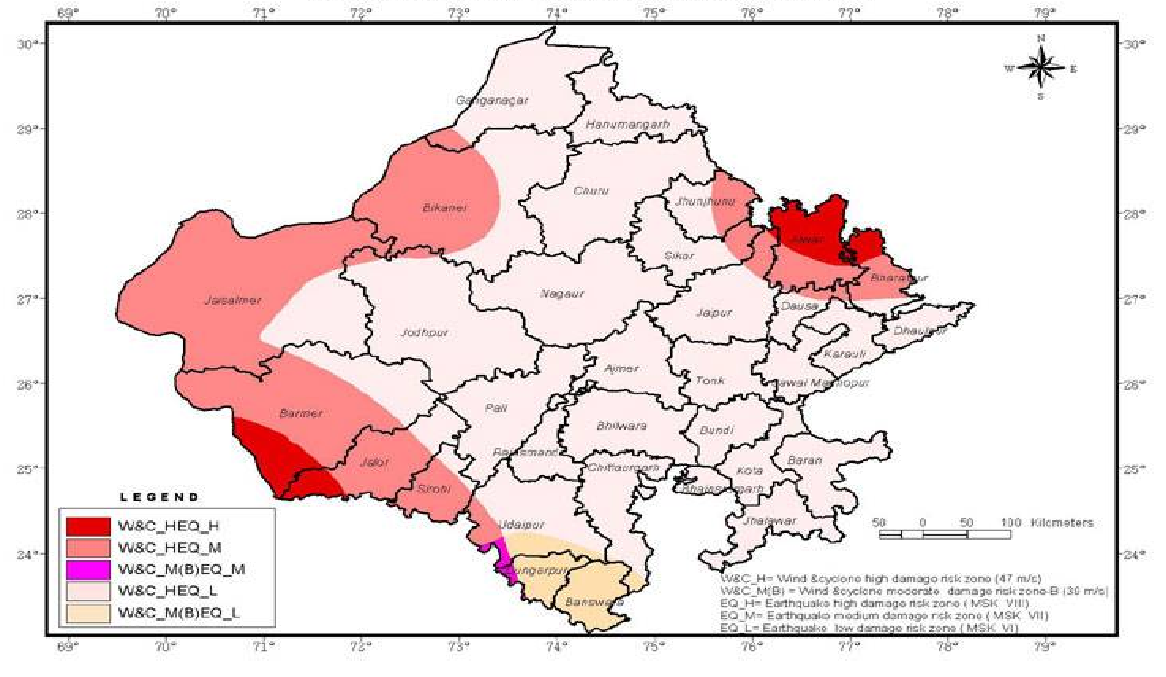


Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, UNDP has not verified the accuracy of information of the Map Sources:BIS1893 (Part 1): 2002., BMTPC, India

### 5.1 आपदा प्रबन्धन चक्र

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य  करता हैं, एवं विकास की गति को बनाये रखता हैं। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम  कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता हैं।

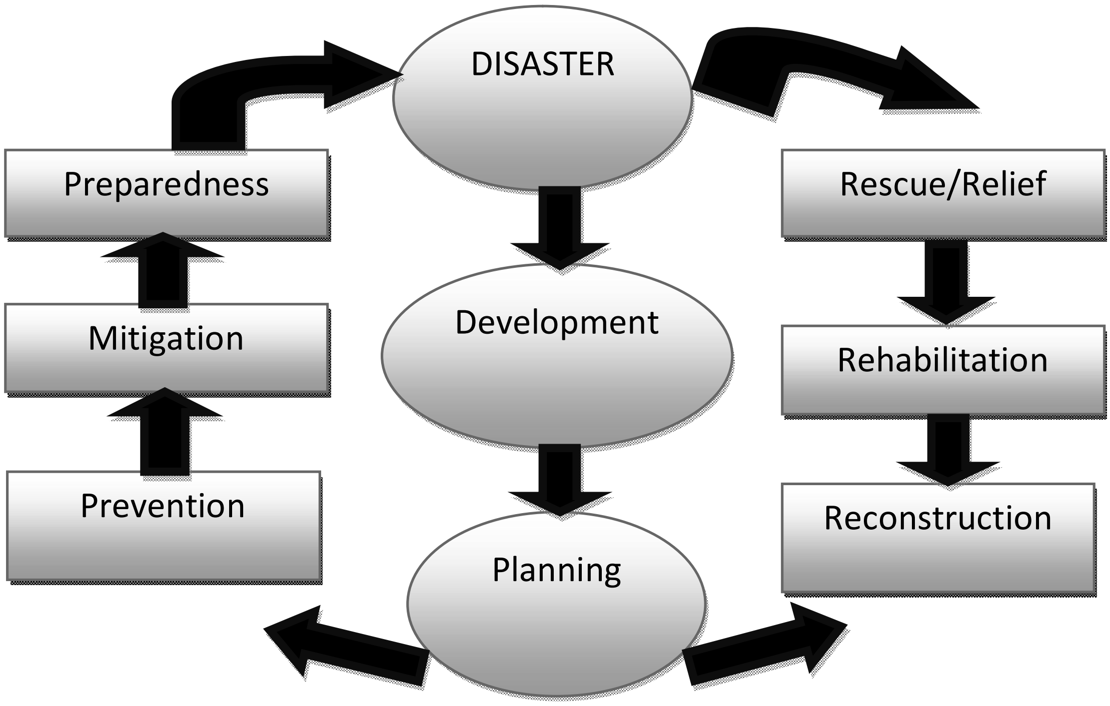


### 5.2 सूखा

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिमााण धीरे–धीरे एवं लम्बे समय तक रहता हैं। कम वर्षा एवं बेरूखी मौसम के स्वभाव से राजस्थान सूखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। राजस्थान का कोई न कोई जिला प्रत्येक 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 8 वर्ष में सूखा के चपेटे में रहने का इतिहास है। सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक्ष रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक संवेदनशीलता पर प्रभाव पडता है। सूखे का प्रभाव बडे क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ से अधिक होता है। सूखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सुखे का सीधा परिमाण होता है।

राज्य सूखा मॉनिटरिंग सेल, कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पूर्वाग्रह केन्द्र के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार पानी के संसाधन की कमी, पशुधन

चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड पौधों पर सूखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्य योजना बनाते हैं।

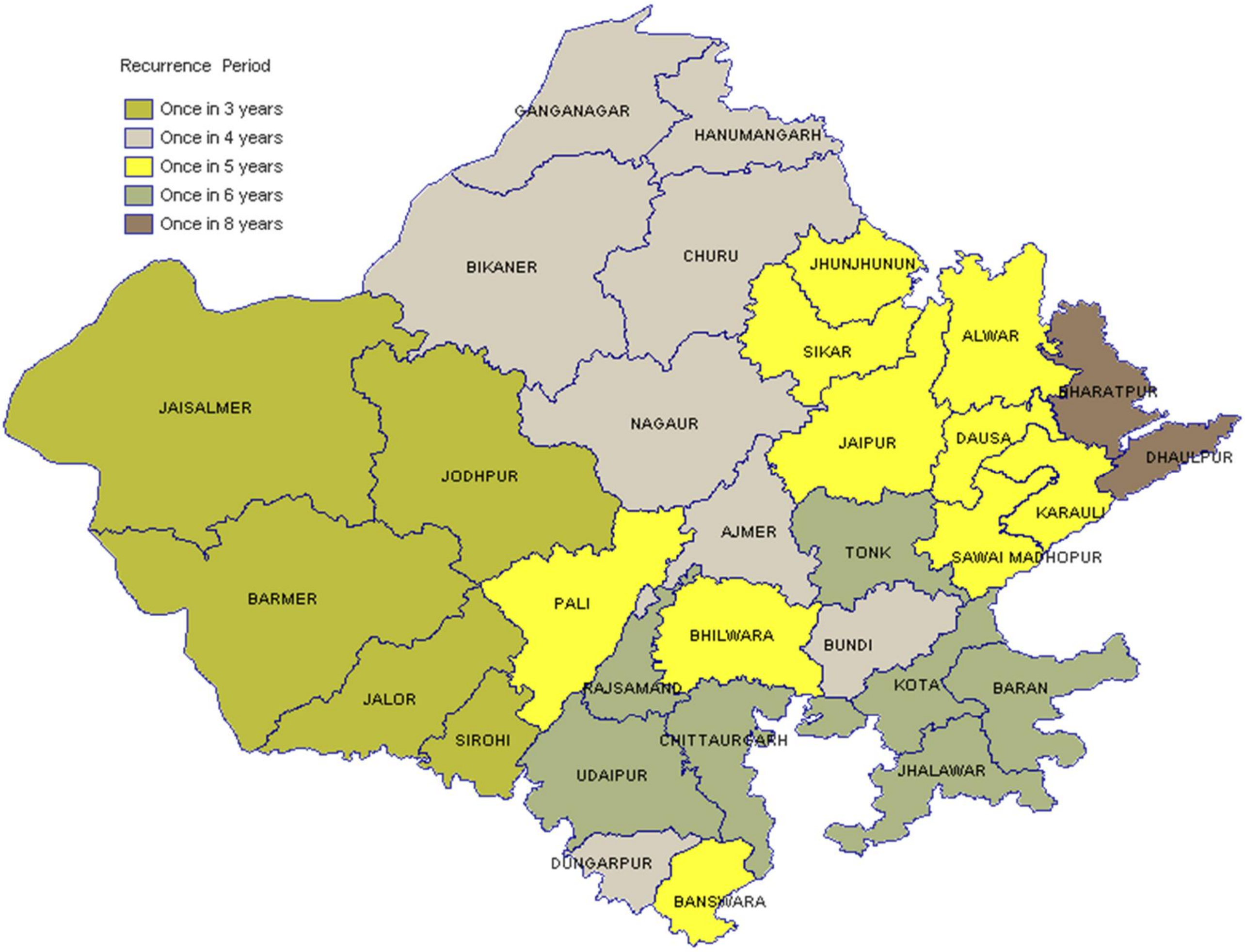


**5.3 बाढ़**

राजस्थान का कुछ भाग बाढ से प्रभावित होता रहा है। पिछला इतिहास देखें तो राज्य का अधिकतर बाढ प्रभावित क्षेत्र लूणी एवं चम्बल नदी के आस–पास के बेसिन क्षेत्र में रहा है। राज्य में कुल 13 नदी के स्त्रोत/बेसिन है। जैसे शोखावटी, रूपरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, बनास, चम्बल, माही, साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास व सुखली। जिसमें से लूणी, बनास एवं चम्बल बेसिन सबसे बडा है, एवं कई छोटे–छोटे बेसिन में बंटा हुआ है, इन नदियों में लूणी नदी अजमेर, बाढमेर, जालौर और जोधपुर से होकर गुजरती है। इसमें सब बेसिन का स्त्रोत मूंद हमावास, सुखडी, जवाय एवं बेंदी का स्त्रोत पाली, जालौर, सिरोही है। इसी प्रकार

बनास नदी का बेसिन उदयपुर एवं बूंदी में होकर जाता है, एवं इसका सबबेसिन बैराज, मोरेल, एवं मासी चितोडगढ, एवं जयपुर जिले से गुजरता है। चम्बल का स्त्रोत राज्य में सबसे अधिक है, इसके सब बेसिन काली सिंध एवं पार्वती, बूंदी, कोटा, झालावाड एवं बांरा से गुजरती है। भरतपुर जिले का अधिक भाग बाणगंगा के बेसिन में आता है एवं घग्घर नदी गंगानगर जिले को सबसे अधिक प्रभावित करने का इतिहास रहा है।

## क्षेत्र में बाढ के मुख्य कारक

1. केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
2. अचानक अधिक मात्रा में बांध एव जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोडना।
3. बडें जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
4. कम जल संग्रहण क्षमता।

## शहरी बाढ़

शहरी बाढ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढती शहरी आबादी अचानक बाढ या शहरी बाढ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रूकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढना शहरी बाढ को दिनों दिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड रहा है। अचानक आई बाढ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1981 एवं 2002 में जयपुर शहर में आयी अचानक बाढ से जयपुर शहर को भारी नुकसान हुआ था।

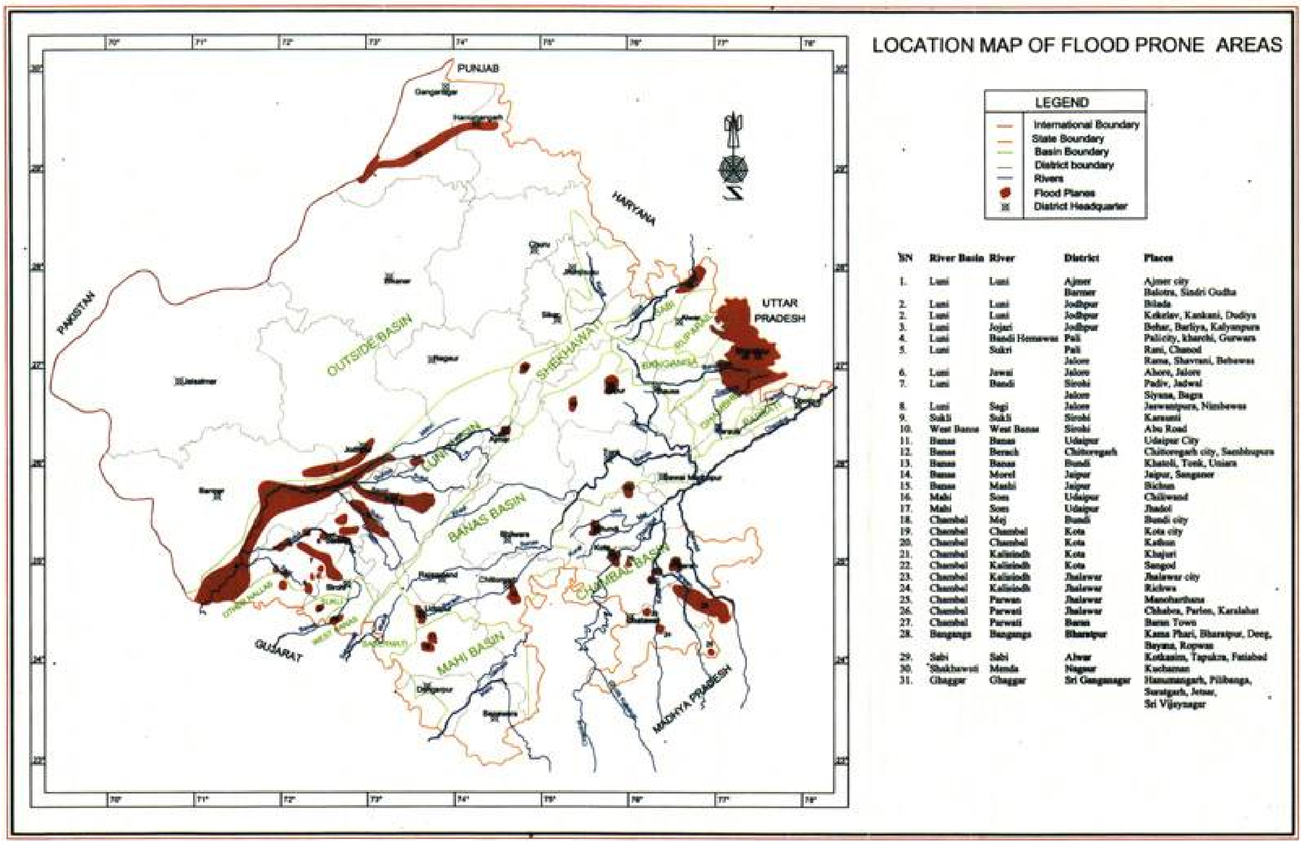


## 5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते है। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकडा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू– तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि. मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उदगम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षो में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी. दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड रू. की सम्पति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

1. ज्वालामुखी किया
2. भ्रंशन
3. भूसंतुलन में अव्यवस्था
4. जलीय भार
5. भूपटल में संकुचन
6. गैसों का फैलाव
7. प्लेट विवर्तनिकी

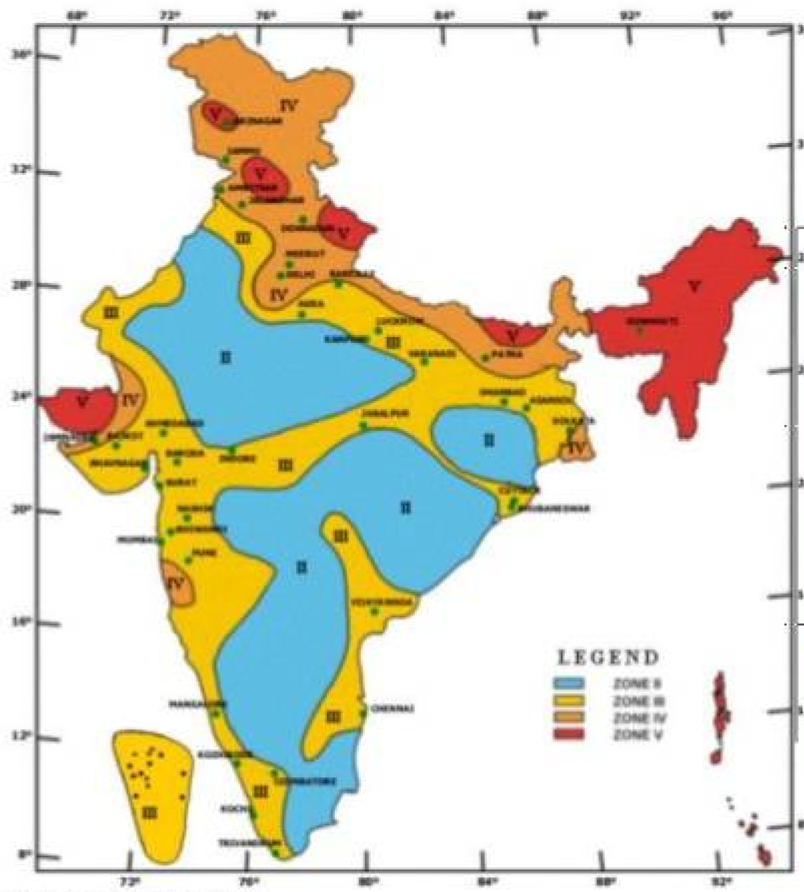


| Zone | Magnitude |
|---|---|
| Zone V | Very High Risk Quakes of Magnitude ***8*** and greater |
| Zone IV | High Risk Quakes upto Magnitude ***7.9*** |
| Zone III | Moderate Risk Quakes upto Magnitude ***6.9*** |
| Zone II | Seismic Disturbances upto Magnitude ***4.9*** |

Source: IS 1893 (Part 1) : 2002 (BIS)

**भूकम्पों की तीव्रता**

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशाधित मर्करी मापक पर 4–5 तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि 9–10 तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) क्षेत्र v – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) क्षेत्र IV- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII तीव्रता का भूकम्प संभावित है इसे उच्च नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) क्षेत्र III- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) क्षेत्र II – क्ष़ेत्र में संभावित तीव्रता MM VII है। इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते है।

5) क्षेत्र। – इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MM V या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है।

| भूकम्पों की तीव्रता | तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव | रिक्टर मापक परिणाम | संभावित प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| यान्त्रिक | केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है। | 0 | |
| क्षीण | केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव | 3.5 | |
| साधारण एवं आद्रबल | सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं। चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खडी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न | 4–4.8 | गंगानगर, हनुमानगढ, चुरू, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चितौडगढ, झालावाड, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धोलपुर, बांसवाडा, बीकानेर के कुछ भाग, उदयपुर, झुन्झुनू, सीकर एवं जयपुर। |
| अतिप्रबल | सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है। दीवारों में दरार पडकर भूकम्प का आतंक छा जाता है। | 5–5.9 | उदयपुर के कुछ भाग सिरोही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुन्झुनू सीकर के कुछ भाग, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। |
| विनाशात्मक | ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड जाती है। | 6.2 | |
| विनष्टकारी | मकान धंस जाते है। भूमि में दरारे पड जाती है। पाईप लाईने टूट जाती है। | 6.2–6.9 | बाडमेर के कुछ भाग(चोहटन ब्लॉक), जालौर (सांचोर ब्लॉक), अलवर(तिजारा ब्लॉक), भरतपुर (ब्लॉक नगर पहाडी) |
| सर्वनाशी | धरातल में लम्बी दरारें पड जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है | 7.0–7.3 | |
| अतिविनाशी | पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान भू–स्खलन नदियों में बाढ आ जाती है। | 7.4–8.1 | |
| प्रलयकारी | सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते है। धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते है। | | |

## 5.5 जिला खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण

| खरते का प्रकार | आने का समय | प्रभाव | संवेदनशील क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| बाढ़ | जुलाई–सितम्बर | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव | निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र |
| भूकम्प | कभी भी | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव | उॅची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियॉ |
| तापघात | अप्रैल–जून | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव | जिलें के सभी भाग |
| अग्नि | मार्च–जून | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान | शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान |
| रसायन दुर्घटना | कभी भी | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान | औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन |
| बिजली का गिरना | अप्रैल–अगस्त | मानव का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| सडक दुर्घटना | कभी भी | मानव एवं सम्पति का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| रेल दुर्घटना | कभी भी | मानव एवं सम्पति का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| औलावृष्टि | मार्च– मई | फसल का नुकसान | जिले के सभी भाग |

## 5.6 आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग

| क.सं. | जिम्मेदार विभाग | आपदा एवं खतरा |
|---|---|---|
| 1 | आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग | सूखा, औलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन |
| 2 | ऊर्जा विभाग | बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाऐं |
| 3 | गृह विभाग | आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगडना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सडक, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर, रेडियालॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाऐं। |
| 4 | जल संसाधन विभाग | बाढ, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना |
| 5 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | भूकम्प, बडी ईमारतो का गिरना, सडक दुर्घटना। |
| 6 | खदान एवं पट्रोलियम विभाग | खदान अग्नि एवं बाढ दुर्घटना, तेल रिसाव। |
| 7 | उद्योग विभाग | रासायनिक एवं आधोगिक दुर्घटना। |
| 8 | शहरी विकास विभाग | शहरी अग्निकांड |
| 9 | राजस्व | ग्रामीण अग्निकांड एवं नावों का डूबना |
| 10 | वन विभाग | जंगल की आग। |
| 11 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन। |
| 12 | कृषि विभाग | कीटाणु नाशक का छिडकाव। |
| 13 | पशुपालन विभाग | पशुओं में महामारी। |

## अध्याय 06

# दौसा जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधी में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारिरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

## 6.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन आपदाओं को चिन्हित किया है उन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया गया है।

- **जयवायु सम्बन्धित** – बाढ, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।

- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बॉध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औधोगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सडक, एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाऍ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 10 आपदाऐं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पांच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। छः मुख्य विपदाएं निम्न हैं–

1. सूखा
2. आग
3. दुर्घटनाएं
4. साम्प्रयादिक दंगे
5. भूकम्प
6. बाढ़

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं ओलावृष्टि, खुले बोरवेल की दुर्घटनाए, औद्योगिक विपदाएं, ताप, शीतघात इत्यादि हैं।

### 6.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगो के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती हैं।

**(1) भौतिक संवेदनशीलता**

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्‌टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्‌टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पक्की हुई ईटों या बडे पत्थर के घर

(स) सुदृढ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचों के साथ

(द) हल्के, लकडी, पत्तों आदि की झोंपडियॉ

**(अ) मिट्‌टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्‌टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर**

जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में हैं। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।

**(ब) पकी हुई ईटें या बडे पत्थर के घर**

जिले में पकी हुई ईटों या बडे पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना हैं।

**(ग) सुदृढ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ**

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक किया जा सकता हैं।

**(द) हल्के, लकडी, पत्तों आदि की झोंपडियॉ**

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपडियॉ हल्के लकडी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

## जिले के खतरे एवं नुकसान का विश्लेषण

| खरते का प्रकार | आने का समय | प्रभाव | संवेदनशील क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| बाढ़ | जुलाई–सितम्बर | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव | निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र |
| भूकम्प | कभी भी | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव | उॅची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियॉ |
| तापघात | अप्रैल–जून | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव | जिलें के सभी भाग |
| अग्नि | मार्च–जून | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान | शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान |
| रसायन दुर्घटना | कभी भी | जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान | औधोगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन |
| बिजली का गिरना | अप्रैल–अगस्त | मानव एवं पशुधन का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| सडक दुर्घटना | कभी भी | मानव एवं सम्पति का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| रेल दुर्घटना | कभी भी | मानव एवं सम्पति का नुकसान | जिले के सभी भाग |
| औलावृष्टि | मार्च– मई | फसल का नुकसान | जिले के सभी भाग |

## आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग

| क्र.सं. | जिम्मेदार विभाग | आपदा एवं खतरा |
|---|---|---|
| 1 | आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग | सूखा, ओलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन |
| 2 | ऊर्जा विभाग | बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाऐं |
| 3 | गृह विभाग | आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगडना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सडक, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर, रेडियालॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाऐं। |
| 4 | जल संसाधन विभाग | बाढ, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना |
| 5 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | भूकम्प, बडी ईमारतो का गिरना, सडक दुर्घटना। |
| 6 | खदान एवं पट्रोलियम विभाग | खदान अग्नि एवं बाढ दुर्घटना, तेल रिसाव। |
| 7 | उद्योग विभाग | रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना। |
| 8 | शहरी विकास विभाग | शहरी अग्निकांड, शहरी बाढ़ |
| 9 | राजस्व | ग्रामीण अग्निकांड एवं नावों का डूबना |
| 10 | वन विभाग | जंगल की आग। |
| 11 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन। |
| 12 | कृषि विभाग | कीटाणु नाशक का छिडकाव। |
| 13 | पशुपालन विभाग | पशुओं में महामारी। |

अध्याय 07

# प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

## 7.1 जिला आपदा प्रबंधन :

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
5. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

## 7.2 संस्थागत व्यवस्था

### जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सुचारू योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यो का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान–माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

### जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

**धारा 25** के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं:–

| क्र. सं. | पदनाम | प्राधिकरण में पदभार | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष | 01427– 221888, 9530312177 |
| 2 | प्रमुख, जिला परिषद | सह–अध्यक्ष | 01427–224906, 9829019142 |
| 3 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य | 01427–223532, 9530305888 |
| 4 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य | 01427–230001, 9530034111 |
| 5 | अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी | सदस्य | 01427–223839, 8696865555 |
| 6 | अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन | सदस्य | 01427–223410, 9460710356 |
| 7 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य | 7891510000 |
| 8 | अतिरिक्त जिला कलक्टर(सहायता) | सचिव | 01427–223884, 9530312178 |

**निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे**

| सांसद/विधायकगण जिला दौसा | | | |
|---|---|---|---|
| **पदनाम** | **नाम जनप्रतिनिधि** | **कार्यालय** | **निवास** |
| **सांसद, दौसा** | श्री हरीश चन्द्र मीणा | 09929884441 | 0141–2376622 |
| **विधायक, बांदीकुई** | श्रीमती डॉ. अलका सिंह | 0141–2744100 | 9414077990 |
| **विधायक, महवा** | श्री ओमप्रकाश हुडला | | 9530444444 |
| **विधायक, सिकराय** | श्रीमती गीता वर्मा | | 9414846421 |
| **विधायक, दौसा** | श्री शंकर लाल शर्मा | | 9414042586 |
| **विधायक, लालसोट** | डॉ. किरोडी लाल मीना | | 9414077707 |

**प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने विवेकाधिकार से, जो उपयुक्त हो किसी भी व्यक्ति विशेष वं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार हैं।**

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घंटे कार्यरत है।

**जिला संकट प्रबन्धन समूह :–**

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय–समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जॉच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिकिया का क्रियान्वयन करना है। इसमें निम्न सदस्य रहेंगे :–

| **क्र.सं.** | **पद एवं पदनाम** | **समिति** |
|---|---|---|
| 1 | जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | कारखाना निरीक्षक | सदस्य सचिव |
| 3 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 4 | प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद | सदस्य |
| 5 | उप नियंत्रक विस्फोटक | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | अधिशाषी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली | सदस्य |
| 7 | अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ | सदस्य |
| 8 | सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 9 | अग्निशमन अधिकारी | सदस्य |
| 10 | जिला कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 11 | अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल | सदस्य |
| 12 | अधिकारी सिविल डिफेंस | सदस्य |
| 13 | जिला परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 14 | अध्यक्ष उद्योग संघ/ रीको | सदस्य |
| 15 | प्रबन्धक तेल कम्पनी | सदस्य |
| 16 | विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन | सदस्य |

**जिला अधिशाषी समिति (डीइसी)**

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व/ सहायता होता है।

| क्र. सं. | पद एवं पदनाम | समिति में पद |
|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता/राजस्व) | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त नगरपालिका/ नगर परिषद | सदस्य |
| 3 | अति. पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 4 | अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ | सदस्य |
| 5 | जिला परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 6 | जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क अधिकारी | सदस्य |
| 7 | अधिशाषी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजला | सदस्य |
| 8 | सेना अधिकारी | सदस्य |
| 9 | समस्त उपखण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 10 | जिला रसद अधिकारी | सदस्य |
| 11 | रेल्वे अधिकारी | सदस्य |
| 12 | प्रादेशिक अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | अग्निशमन अधिकारी | सदस्य |
| 14 | जिला कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 15 | अधिकारी सिविल डिफेंस | सदस्य |
| 16 | जिला परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 17 | अध्यक्ष, उद्योग संघ/ रीको | सदस्य |
| 18 | प्रबन्धक तेल कम्पनी | सदस्य |
| 19 | विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन | विशेष आमंत्रित |

## उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, एवं तहसीलदार एवं अन्य विभाग उसे आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशु चिकित्सक, महिला बाल विकास अधिकारी इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। उपखण्ड की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

## उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

| क्र.सं. | पदनाम | समिति में पद |
|---|---|---|
| 1 | उपखण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | तहसीलदार | सदस्य सचिव |
| 3 | विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4 | नायब तहसीलदार/ गिरदावर | सदस्य |
| 5 | सहायक अभियंता विद्युत | सदस्य |
| 6 | सहायक अभियंता सा.नि.वि | सदस्य |
| 7 | सहायक अभियंता पीएचईडी | सदस्य |
| 8 | सहायक अभियंता खनन | सदस्य |
| 9 | चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 10 | कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 11 | पशु चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 12 | ईओ नगरपालिका/नगरपरिषद | सदस्य |
| 13 | ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक | सदस्य |
| 14 | ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी | सदस्य |

## ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मनोनीत अध्यक्ष सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनबाडी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान–माल के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजाना के अनुरूप होगी जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

### ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

| क्र.सं. | पदनाम | समिति में पद |
|---|---|---|
| 1 | सरपंच | अध्यक्ष |
| 2 | ग्राम सचिव | सदस्य सचिव |
| 3 | ग्राम पटवारी | सदस्य |
| 4 | चिकित्साधिकारी (यदि हो) | सदस्य |
| 5 | पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो) | सदस्य |
| 6 | स्थानीय पुलिस अधिकारी | सदस्य |
| 7 | प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज) | सदस्य |
| 8 | एक सेवानिवृत सैनिक | सदस्य |
| 9 | एएनएम | सदस्य |
| 10 | स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 11 | आंगनबाडी कार्यकर्ता | सदस्य |

### 7.3 कार्य योजना के उद्देश्य :–

सुचारू योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यो का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान–माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते है। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते है। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इसे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते है।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना।

**7.4 नियंत्रण कक्ष**

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में 24 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है।

जिला नियंत्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं. 1077 है।

## 7.5 जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पडने पर सेना से सहायता लेना।

## नगर परिषद/ नगरपालिका/ग्राम पंचायत कार्ययोजना

1. जिला प्रशासन के साथ उपर्युक्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में संसाधन का भण्डारण एवं आपातस्थिति में उपयोग सुनिश्चित करना होता हैं।
2. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना है।
3. आपदा के पूर्व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम साफ– सफाई, नालों का रख– रखाव, महामारी रोकने का उपाय, अग्निशमन विभाग की देखभाल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
4. आपदा के बाद मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।
5. आवश्यक बचाव उपकरणों की खरीद, संसाधन का रख– रखाव सुनिश्चित करना है।

## 7.6 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमलें, सिविल अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी. सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
5. बाढ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्ष्झित स्थानों पर स्थानान्तरति करना।

## 7.7 अग्नि एवं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वऱक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है, घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकडी, कपडे, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकडी एवं सडक पर चलती मोटर गाडी की चिनगारी पडने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकांड मानवजनित होते हें। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती हैं। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

**जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र –**

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पैट्रोल पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

**अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएॅ –**

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयॉ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम हैं।

**कार्य योजना**

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

**<u>आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां–</u>**

**बिजली :–**

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना करें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हों।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेडखानी ना करें।

**रसोई घर :–**

रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए।

- गैस सिलेण्डरया या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का की ही होनी चाहिए।
- साडी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपडों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिडकीदार हों।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।

- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसाई के सारे खिडकी दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

**<u>गांवों व जंगल की आग के बचाव</u>**

- कभी भी चुल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीडी, सिगरेट आदि के टुकडों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मानते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीडी सिगरेट के टुकडे ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हों।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड या फूस आदि पर कांच के टुकडे आदि नही फैकने चाहिए।

- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चें मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गावों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहियें।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहां घण्टी, फावडे, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियॉ परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

**जलते हुए व्यक्ति का बचाव**

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपडें या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

**हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट**

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाडियां आराम से चारों तरफ घूम सके।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयर केस (सीढी) होना अति आवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।

- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाडियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

**<u>आग लगने पर कार्यवाही</u>**

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार व जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं।

यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक को देगा।

**आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका**

**जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञान करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

**पट्रोलियम एवं गैसीय अग्नि/बाजार/घर/मॉल/होटल/होस्पिटल/सिनेमा/भीडभाड वाले स्थान/सरकारी भवन/उत्सव/शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर अग्नि दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही**

उपखण्ड अधिकारी/ अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद/ नगर पालिका/ तहसीलदार/ विकास अधिकारी/ पटवारी/ सरपंच/

आपातकालीन जिला नियंत्रण कक्ष (ईओसी) 01427—224535

पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 230333, 513003/ 9530429933/ एम्बुलेंस—108, 104

जिला कलक्टर 01427—510777, 221888 अति. कलक्टर, प्रशासन/सहायता 9530312178 मु. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद 9530305888

राज्य नियंत्रण कक्ष/ 0141—2227296, 5110869 अग्नि—101, 01427—223933, अग्निशमन अधि.—9785109101 नागरिक सुरक्षा—01427, एसडीआरएफ—0141—2640964, 2641420 डिप्टी कमांडेट, एनडीआरएफ 9414005412 सीओ स्काउट—9694217181

पुलिस अधीक्षक/ अति.पु.अ./ वृताधिकारी/ थानाधिकारी पु. अधीक्षक—8764870001 अति.पु. अधीक्षक—8764870002

रोडवेज — 9549653257
रेल्वे — 9001199022
एनएचएआई— 9414081373

सार्वजनिक निर्माण विभाग 9414369995 जन स्वास्थ्य अभि. 8660027584 विधुत वितरण निगम लिमिटेड 9413390636

सेना/ स्वयं सेवी संस्था/ स्वयं सेवक/ प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक समाचार जगत

मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी 7891510000 मुख्य चिकित्सालय दौसा 9414035387 निकटतम अस्पताल

राजस्थान सरकार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग 0141—2227014, 9414080525, 0141—2227985, 9414180289, 0141—2227230, 9414000240

## अग्निशमन केन्द्र : नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव

- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

**नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.**

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलबध कराना।
4. कानून व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्रॉफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

**पुलिस**

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्ययक सेवाओं के कार्य मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यो में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

**विद्युत**

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल करना।

- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की उचित व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की उचित देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रेन्टस को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरीन की व्यवस्था करावें ताकि दूषित पानी से निजात मिल सके।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**

- प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडिकल स्टॉफ भिजवाना।

- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की उचित व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयं सेवी एजेन्सियों से सम्पर्क करना।

**<u>गैर राजकीय संगठन</u>**

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

**<u>पशुपालन</u>**

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/ औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

**<u>नगरपालिका/ नगर निगम</u>**

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकार स्थितियों की देखभाल।

- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बडे प्रतिष्ठानों की सूची।
- आश्रय स्थलों की उचित सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/ दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**

व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

**आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :–**

**क्या करें –**

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपडे ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।

- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोडने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

**क्या न करें :–**

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

### 7.8 नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमला के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त आगरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य ''हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवकृत'' आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न शिक्षण संस्थानों, होटलों, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूकता का कार्य किया जाता है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है:–

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यो को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना।

- आश्रय स्थलों पर भोजन /पानी कपडें इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले में क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगो को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

## 7.9 राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सम्पर्क नम्बर 9413444066 के निर्देशन में राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 03 टुकडिया मय उपकरणों के साथ क्रमशः प्रथम बटालियन आर.ए.सी. जोधपुर (0291–2570071), तृतीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा, (0744–2235771) एवं पांचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर (0141–2640964) पर (प्रति टुकडी 50 सदस्य) तैनात हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की 01 टुकडी, नारेली किशनगढ, जिला अजमेर में मय उपकरणें के साथ उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमान्डेंट, है, से सहायता ली जा सकती है।

जयपुर की राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 50 सदस्यीय टुकडी पांचवीं बटालियन आरएसी घाटगेट पर तैनात है। इसके लिए कमाण्डेंट 5वीं आरएसी बटालियन (दूरभाष न0 2640964 एवं 2641420) को सूचित कर उक्त प्रशिक्षित जवानों की आवश्यकतानुसार तैनाती की जा सकती है।

### बम विस्फोट / आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना हैं।

यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां लोग एक साथ इकट्ठे होते है। मंदिर, मस्जिद, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर है।

**अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :–**

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती है।
2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगोंकी मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादियों को पकडने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
7. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

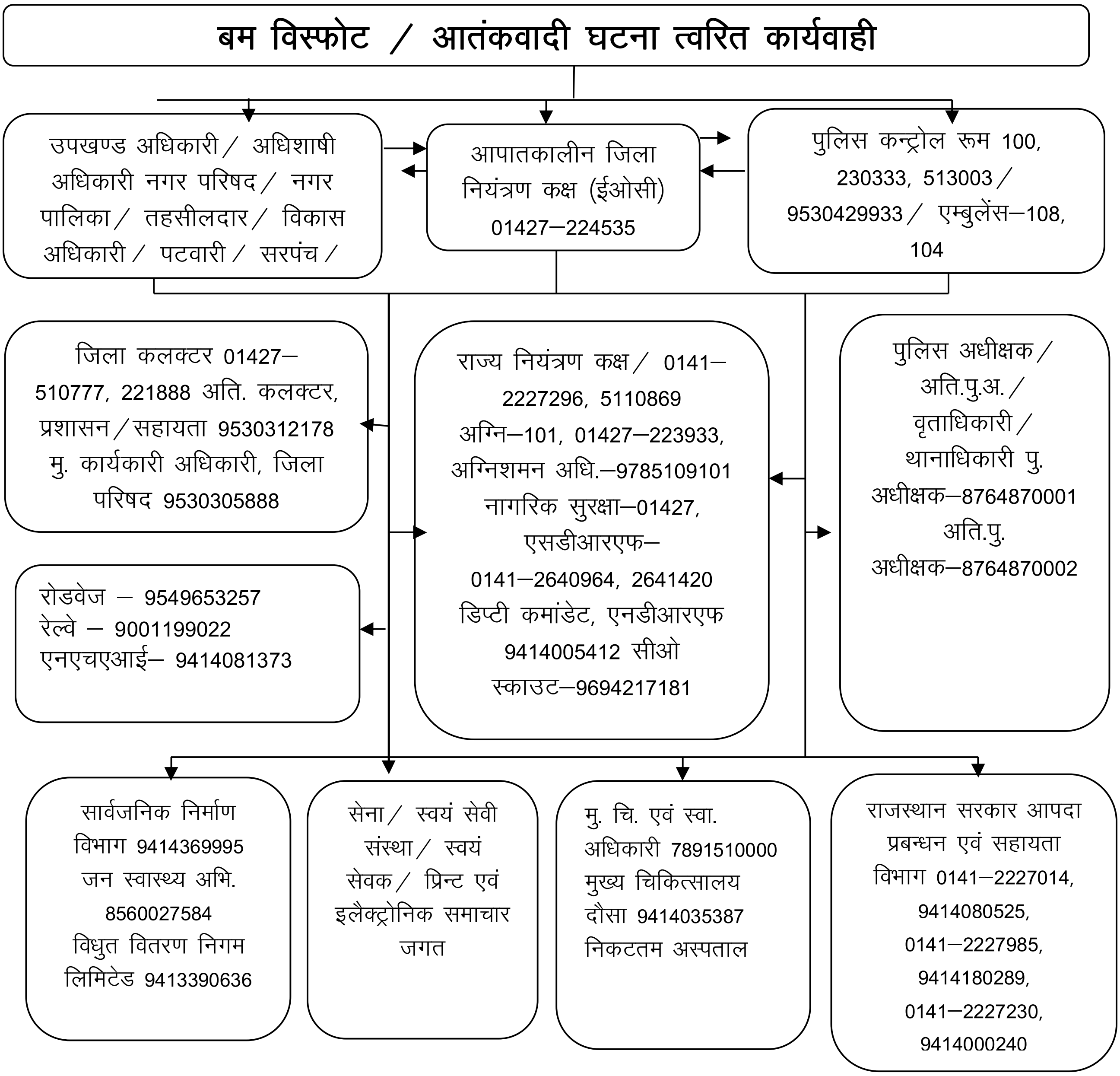


## 7.10 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. जिले में मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है जो 24 घंटे संचालित है। जिसके आधार पर नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार आपदा/ बीमारियों की सूचना प्राप्त होते ही जिला मुख्यालय से रेपिड रेस्पोन्स टीमें, रोगी वाहन व आवश्यक औषधियो के घटना स्थल पर भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है तथा जिला मुख्यालय पर एआईडीएसपी सैल (इन्ट्रग्रेंटेड डिसीज सर्विस प्लान) कार्य कर रही है जिसके द्वारा बीमारियों का सर्वे एवं रिर्पोटों का आंकलन कर नियमित भिजवाये जाने का प्रावधान है।

2. सभी उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना हुई है। जिससे क्षेत्र में कहीं भी आपदा प्रबंधन एवं मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया जाकर 24 घंटे चिकित्सा दल मय रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के तैनात किये गये है। जिसकी नियमित जानकारी एवं रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष पर मेल एवं फैक्स द्वारा भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था है। किसी भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने हेतु प्रतिबद्ध है। दौसा जिले में चिकित्सा संस्थानों की स्थिति निम्नानुसार है जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है –

1. जिला चिकित्सालय 01
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 15
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 44
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र 316

इन सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, एएनएम एवं कम्पाउंडर सभी प्रशिक्षित है।

**एम्बुलैंस की स्थिति :–** जिलें में कुल 12 जगह (108) एम्बुलैंस है जो निम्न स्थानों पर कार्यरत है।

1. दौसा 2. लालसोट 3. बांदीकुई 4. मानपुर 5. महवा 6. मण्डावरी 7. बसवा 8. सिकराय 9 नांगल राजावतान 10. पापडदा 11. गीजगढ 12. सिकन्दरा

इनके आपातकालीन नम्बर 108 है।

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

| क.सं. | पदनाम | सम्पर्क | |
|---|---|---|---|
| | | मोबाईल | कार्यालय |
| 1 | सीएमएचओ, दौसा | 7891510000 | |
| 2 | उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दौसा | 7891510001 | |
| 3 | जिला प्रजनन एवं स्वा. अधिकारी, दौसा | 7891510002 | |
| 4 | उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी (प.क.), दौसा | 7891510003 | |
| 5 | चिकित्साधिकारी प्रभारी जिला औषधि भण्डारण | 7891510009 | |
| 6 | ऐपेडेमियोलॉजिस्ट सीएमएचओ, कार्यालय | 7891510554 | |
| 7 | प्रमुख चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय दौसा | 7891510018 | |

3. जिले के ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों में विभाजित किया गया है। जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
4. मुख्यालय पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना है। जो 24 घंटे रेपिड रेस्पोन्स टीमों का गठन किया हुआ है। जिसके आधार पर नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार आपदा/बीमारियों की सूचना प्राप्त होते ही जिला मुख्यालय से रेपिड रेस्पोन्स टीमें, रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के घटना स्थल पर भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है तथा जिला मुख्यालय पर ए आईडीएसपी सैल (इन्ट्रग्रेटेड डिसीज सर्विस प्लान) कार्य कर रही है। जो बीमारियों का सर्वे एवं रिर्पोटों का संकलन कर नियमित भिजवाये जाने का प्रावधान है।
5. सभी खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना हुई है। जिससे क्षेत्र में कहीं भी आपदा प्रबंधन एवं मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया जाकर 24 घंटे चिकित्सा दल मय रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के तैनात किये गये है। जिसकी नियमित जानकारी एवं रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष पर मेल एवं फैक्स द्वारा भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।
6. सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था है। किसी भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

## पशुपालन विभाग कार्ययोजना

- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।
- आपदा स्थल पर पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेट्नरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद/ नगर पालिका/ ग्राम पंचायत की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

### 7.11 जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

**बाढ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्य योजना का प्रारूप :–**

जल संसाधन खण्ड दौसा के पास 18 सिंचाई परियोजनाऐं है, जिनकी कुल भराव क्षमता 6432.00 एमसीएफटी है, एवं इनका सीसीए व आईसीए क्रमशः 40382 हेक्टेयर व 26118.00 हेक्टेयर है। उक्त बांधों में से मोरेल मुख्य सिंचाई परियोजना है, एवं माधोसागर, सैंथल, कालाखोंह मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं है, शेष 14 लघु सिंचाई परियोजनाऐं।

जिलें के अन्तर्गत 21 बांध जो 300 हेक्टेयर के है, जो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित किए जा चुके है, जिनकी कुल भराव क्षमता 833.60 एमसीएफटी है। उक्त 21 बांधो में से 12 बांध पेटा काश्त है, नहरी तंत्र विकसित नही हैं।

दौसा जिला यमुना नदी के बेसिन में पडता है। जिले में मुख्यतः दो नदियां है, बाणगंगा एवं मोरेल नदी। बाणगंगा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढती हुई सिकराय एवं महुवा तहसील में बहती हुई जिला भरतपुर में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है।

मोरेल नदी जयपुर के पास आमेर और नाहरगढ की पहाडी से निकलती है, और जयपुर जिलें में बहती हुई दौसा जिले के लालसोट तहसील में प्रवेश करती है, फिर सवाईमाधोपुर जिले में बहती हुई बनास नदी में मिलकर अन्ततः चम्बल नदी में मिल जाती है।

**कन्ट्रोल रूम**

राज्य स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है, जिसका टेलिफोन नम्बर 0141– 2702480 है। इसके अतिरिक्त संभागीय स्तर पर जिला मुख्यालय पर बाढ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है , जिसका टेलिफोन नम्बर 0141–2702353 है, दौसा मुख्यालय पर भी 15 जून 30 सितम्बर तक बाढ नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट दौसा के कमरा नम्बर 227 में स्थापित किया जाता है, जिसके टेलिफोन नम्बर 01427– 224535 है, जिसके प्रभारी अधिकारी जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी श्री राजबहादुर शर्मा सहा0 सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी दौसा है। मोरेल बांध पर वायरलेस द्वारा नियमित रूप से सूचनाऐं संकलित की जाती है। बरसात एवं बाढ संबंधित सभी सूचनाऐं दौसा मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने वाला वायरलेस कोड निश्चित किया हुआ है। जिससे बांध के संवेदनशील जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा व बांधोंकी स्थिति प्रतिदिन ज्ञात हो सके। सभी जल संसाधन मुख्यालयों सिकराय, बांदीकुई, लालसोट पर 1–1 हजार खाली सिमेन्ट के कट्टे रखवाये गये है, जो आवश्यकता पडने पर काम आ सके। मुख्य बांध जैसे मोरेल बांध व दौसा मुख्यालय पर 2000 सीमेन्ट के कट्टे रखवाये गये है।

**संवेदनशील बांधों की सूची**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. मोरेल बांध | 2. चान्दराना बांध | 3. राहुवास बांध | 4. रेडिया बांध |
| 5. मोरेली डाइवर्सन बांध | 6. गेटोलाव बांध | 7. झिलमिली बांध | 8. कालाखों बांध |
| 7. कोट बांध | 10. पावटा बांध | 11. हुडला बांध | 12. सिकन्दरपुर बांध |

| | | |
|---|---|---|
| 13. जगरामपुरा बांध | 14. रोंथ बांध | 15. समस्तपुरा बांध |
| 16. खेडला बांध | 17. पापडदा बांध | 18. दक्षिण सागर बांध |
| 19. बिन्दोरी सागर | 20. सिंगवाडा बांध | |

**जिले में स्थित रेनगेज स्टेशनों की सूची :–**

| | |
|---|---|
| 1 रेडिया बांध | 2. बांदीकुई जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय |
| 3 महुवा जल संसाधन चौकी | 4. लालसोट जल संसाधन उपखण्ड कार्यालय |
| 5. मोरेल बांध निरीक्षण गृह | 6. जल संसाधन सिकराय निरीक्षण गृह |
| 8. राहूवास बांध | 8. सैंथल सागर |
| 9. बसवा तहसील | 10. दौसा तहसील |

मानसून के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वर्षा पूर्व व्यापक प्रबन्ध किये जाते है, जो निम्न प्रकार से है :–

1. वर्षा पूर्व बाधों की आवश्यक मरम्मत।
2. वर्षा पूर्व स्लूस गेटों की आयलिंग व ग्रीसिंग करना।
3. आवश्यक सामग्री (मिट्टी के कट्टे, लाईफ जॉकेट, लाईफ बॉय, ईमरजेन्सी लाईटें, वायरलैंस सैट इत्यादि) की व्यवस्था करना।
4. 15 जून से बाढ नियन्त्रण/ चौकी स्थापित करना व राउण्ड द क्लॉक (24 घन्टे) नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
5. संचार व्यवस्था हेतु फोन एवं वायरलेस स्थापित करना।
6. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर कार्यो की देखभाल करना।
7. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बाढ की स्थिति या बांध में रिसाव या टूटने की स्थिति में मौंके पर पहुंचकर उपलब्ध सामग्री व श्रमिकों से बचाव कार्य शुरू करना व अतिरिक्त आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु बाढ नियंत्रण कक्ष व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करना।

8. सहायक अभियंता व अधिशाषी अभियंता द्वारा मौके पर पहुंचना व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर सुनियोजित ढंग से कराना व उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना।
9. जिला प्रशासन व उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
10. विषम परिस्थितियों में दुर्घटना के खतरे से जनता को आगाह कर यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु व्यवस्था करवाना।
11. मीडिया या समाचार जगत से सम्पर्क एवं तालमेल करना।

## बाढ/कूएं व तालाब में डूबने/बोरवेल की घटनायें

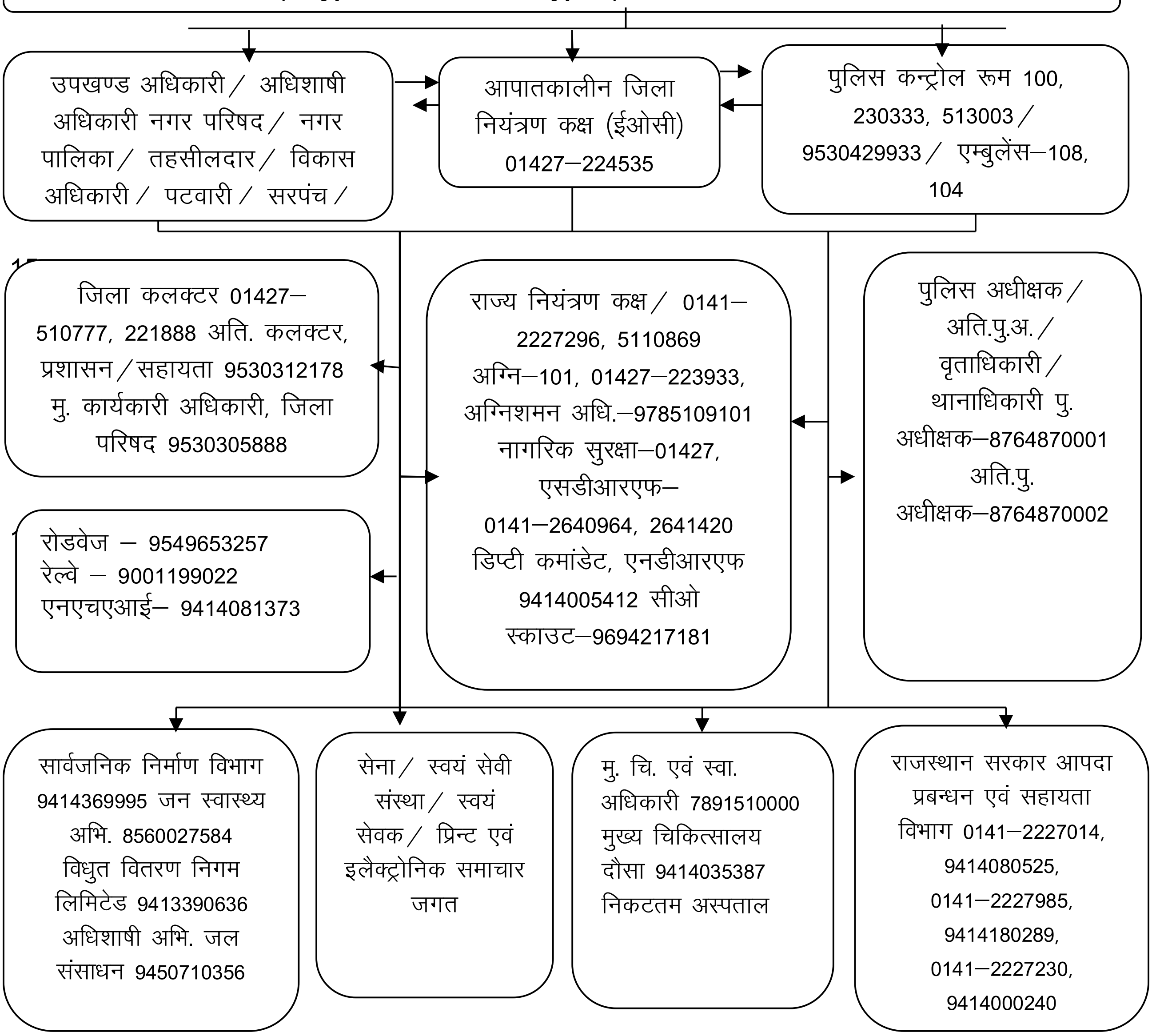

## 7.12 बोरवेल की दुर्घटना

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदे जाते है। बोरवेल के निर्माण के समय या बोरवेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढती जा रही है। ऐसी घटना होने पर विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत व बचाव कार्य चलाये जाते हैं। जिले में इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है–

**दुर्घटना से बचाव हेतु :–**

- जन जागरूकता हेतु प्रचार– प्रसार जिसमें यह संदेश हो कि बोरवेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोरवेल को खुला नहीं रखे। बोरवेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लोग बोरवेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोरवेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये है के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है :–

1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
2. सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी
3. सम्बन्धित मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
5. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
6. जयदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
7. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू– गर्भ शास्त्री।

8. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।

9. बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।

10. भू– सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।

11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।

12. उप– नियंत्रक नागरिक सुरक्षा।

**दुर्घटना होने पर :–**

- सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण वं दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपर्युक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोरवेल में क्लोज सर्किट केमरा या इंफ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनेटिरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपर्युक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आाधार पर समानान्तर बोरवेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपर्युक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति0 जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।

उपर्युक्त प्रकार की दुर्घटना में विशेषज्ञ सेवाओं के लिये जोधपुर रिमोट सेंन्सिग के डॉ एन. के कालरा से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनके दूरभाष नम्बर 0291– 2754184 है। अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा

प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपर्युक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आंकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।

**खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा निर्देश।**

राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाऐं हो चुकी है एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गंवानी पडी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पडा है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 9.2.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवेल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में बोरवेल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना छोडे जाने पर बोरवेल ड्रिल करने वाली कम्पनी/ मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36/ 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.2.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल विभाग द्वारा अपने पत्र कमांक एफ 12(6) जीडब्लूडी/09 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।

उपर्युक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवेलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी / मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ताकि इस प्रकार की

दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

## 7.13 सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को डयूटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे व आवश्यक तकनीकी सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाडियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों ( भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सडक मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू ढंग से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यो के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना।

## 7.14 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. वृत कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फिल्ड अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित है।
2. बाढ, तूफान, भूकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहां नियमित रूप स`जल स्त्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
3. पानी की पाईप लाईनों की देख भाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसे ततपरता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
4. विभाग के समस्त उच्च जलाश्यों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाश्यों पर सीढियों पर गेट बनवाने का प्रावधान लिया जा रहा है।
5. सभी उच्च जलाश्यों / पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6. गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना। टैंकरो की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।
7. अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेन्टों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
8. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

## 7.15 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजलीकी सप्लाई आपदा स्थल तक पहुंचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पडे ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

## 7.16 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
- घायलों को चिकित्सा शिविरों तक पहुंचाना।
- सहायता सामग्री को राहत शिविरों तक पहुंचाना।

## 7.17 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व कैरोसीन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।

- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे मदद के लिये सूचना देना।

### 7.18 सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

| पदाधिकारी | चिकित्सा समिति (मौसमी बीमारियां एवं राहत कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था हेतु पृथृक–पृथक समितियां हैं, किन्तु सदस्यगण समान हैं) | राहत कार्य व नियोजन समिति | चारा व्यवस्था समिति | गेंहु के सुरक्षित भण्डारण एवं समुचित आवन्टन समिति (उपखण्ड स्तर पर) |
|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा | अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) | संबंधित उपखण्ड अधिकारी |
| सदस्य | मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी | अति. मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद | उप निदेशक, कृषि (विस्तार) | संबंधित विकास अधिकारी |
| सदस्य | मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी | अधि. अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | मण्डल वन अधिकारी | संबंधित महिला एवं बाल विकास अधिकारी |
| सदस्य | उपखण्ड अधिकारीगण समस्त जिला | विकास अधिकारीगण | उप निदेशक, पशुपालन विभाग | रसद कार्यालय का खाद्य निरीक्षक |
| सदस्य | – | परियोजना अधिकारी, भू.सं. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | उपखण्ड अधिकारीगण | – |

### दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्त्रोंतो का पुनर्जीविकरण।

4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।

5. पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपो का पुनर्भरण।

6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।

7. अत्यधिक मात्रा में पेड लगाना तथा पेडों की कटाई को रोकना।

8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।

9. फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को  बढावा देना।

10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढावा देना।

11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

**सूखा पूर्व तैयारी**

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लडने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि का विकास योजना तैयार करना।

**सूखे के समय कार्य योजना**

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

**स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका**

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यो की शुरूआत।

- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतो का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये  पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परमपरागत जल स्त्रोंतो जैसे बावडी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाऐं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम , अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपों स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

**पशुपालन विभाग**

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहूॅचाना।

## 7.19 दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोडकर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम, सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते है। **भारत में सडक दुर्घटना में 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती है, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई है। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष सडक दुर्घटना से करीब 10,000 मौतें हो रही है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।**

**संरचनात्मक उपाय –** दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

**गैर संरचनात्मक उपाय –** सडक दुर्घटनाओं से बचने केलिए

- सडक नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाए।
- शराब पीकर गाडी न चलाए।
- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बैल्ट बांधना आवश्यक है।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुडे।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सडक पार करें।

- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सडक पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाडी न चलाने दें।

**दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य**

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीडितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

**चिकित्सा विभाग**

- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

**पुलिस विभाग**

- दुर्घटना स्थल पर भीड को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

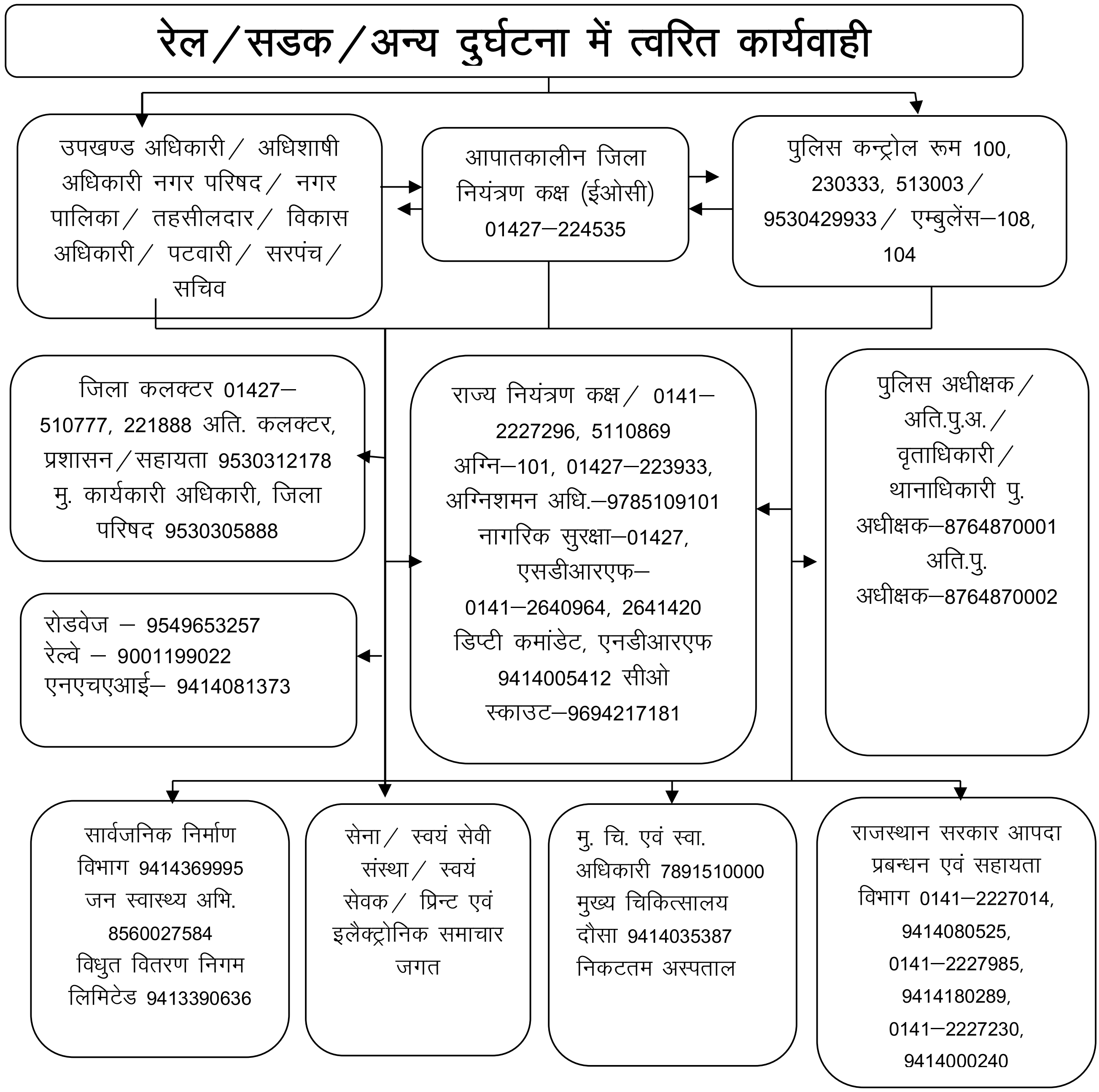


## 7.20 भूकम्प एवं कार्य योजना

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प की दृष्टि से सिसमिक जॉन ।। में आता है, जिससे गंभीर खतरे की संभावना कम है, फिर भी बिगडते हुए प्रदूषण के कारण भूकम्प की संभावना बढती जा रही है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचाती है, जिसकी पुनःपूर्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

**भूकम्प के मुख्य कारण**

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैंसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

**भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :–**

**स्थानीय एवं जिला प्रशासन**

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनांए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

**नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्डस**

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फसें लोगो को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीडितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

**पुलिस प्रशासन**

- कानून एवं व्यवस्था की सार सभाल करना।

- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग**

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य पकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयॉ उपलब्ध कराना।

  अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

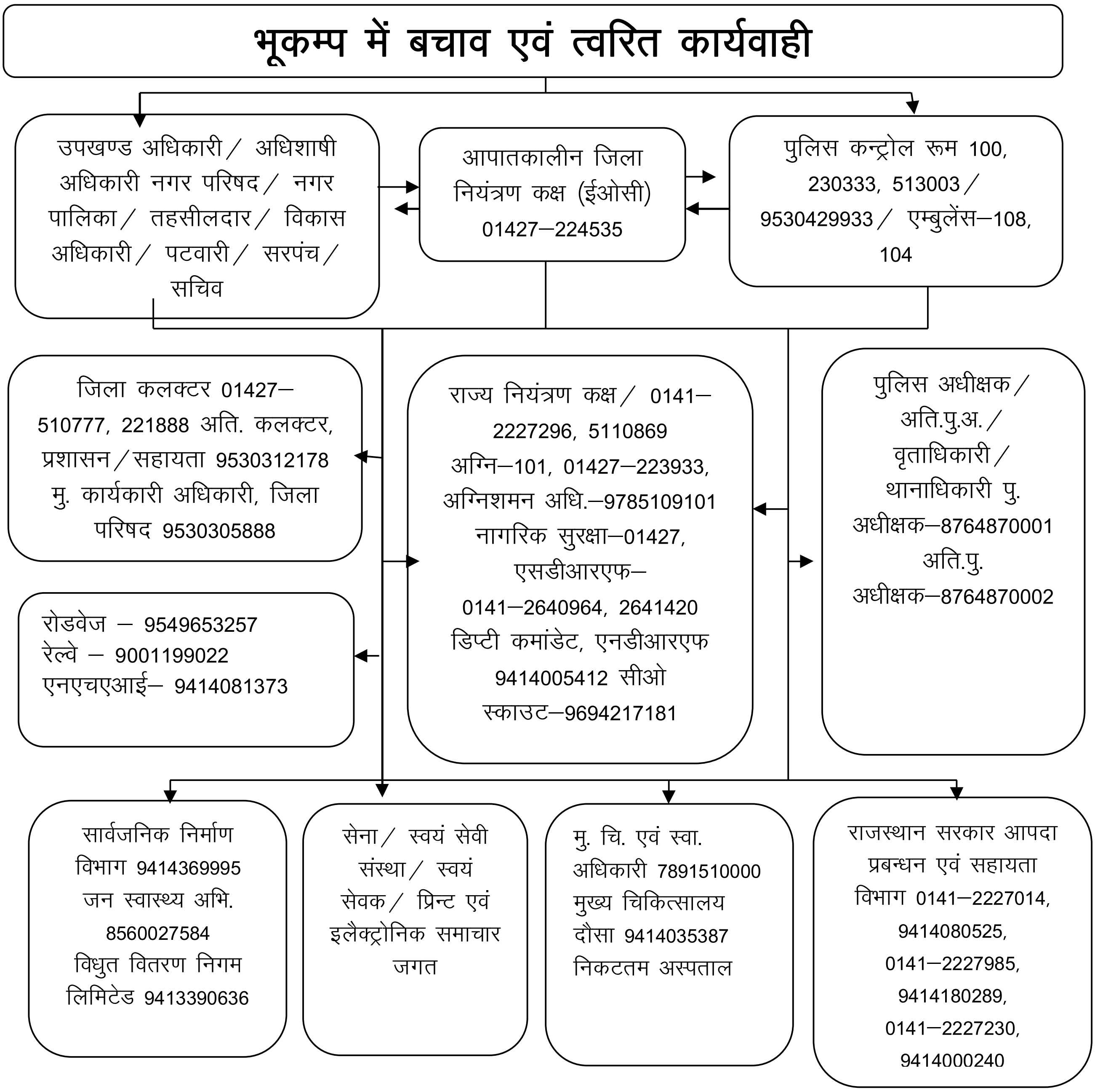


## 7.21 ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन, एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट

होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार को तत्काल निर्देशन करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

**ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –**

यद्यपि ओलावृष्टि प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही संभव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीडित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानें को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं।

## 7.22 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उधोगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जात है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी क फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारू हो जाते है। इसका कारण बांध के रख रखाव मे लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

**बांध के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि :–**

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अति जल निकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

**7.23 खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना :**

जिले एवं आस–पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान है। जिनमें मृतिका,, पत्थर, रेत मुख्य है। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सतत् प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत एक आपातकालीन प्रशासनिक संसाधन का एसओपी विकसित किया है। जिससे खान दुर्घटना एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

**7.24 ताप (लू) एवं शीतघात**

**तापघात (लू)**

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु एवं बढते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान $42^0$ से0 और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान $29^0$ से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मईकी अपे़क्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढोतरी हो रही है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान $45^0$ या $47^0$ तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगडते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढोतरी के मुख्य लक्षण है।

**तापघात के लक्षण**

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ जाना

**तापघात से बचाव के उपाय**

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगडी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीडित हो तो शरीर के चारो तरफ गीली पट्‌टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियॉ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।

- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपडे हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत जयादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक क पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढातें हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

**जिला प्रशासन की जिम्मेदारी**

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनावें कि इसका प्रभाव क्या हेात है तथा क्या करें, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहां अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

**शीतल तरंगे**

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान $22.0^0$ सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान $5.8^0$ से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से

होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

**लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?**

- ज्यादा कपडे पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपडों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपडें की बनाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिक को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आ कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जांए।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफीन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुंह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपडे तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर का इस्तेमाल करें।

**जिला प्रशासन की जिम्मेदारी**

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते है उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाईल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

अध्याय : 08

# रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्ययोजना

## 8.1 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ रही हैं। कुछ बडी दुर्घटनाएँ जैसे– भोपाल गैस काड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम है। अपर्याप्त संसाधन, अप्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभाव एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना बढती आबादी के साथ एक बडे संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्वक मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का हाना भी आवश्यक है।

**प्रभाव :—**

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैः—

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों / गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

  साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बडे क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

## आपात स्थिति में कार्यवाही

### रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद / नगर पालिका / तहसीलदार / विकास अधिकारी / पटवारी / सरपंच / सचिव

आपातकालीन जिला नियंत्रण कक्ष (ईओसी) 01427—224535

पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 230333, 513003 / 9530429933 / एम्बुलेंस—108, 104

जिला कलक्टर 01427—510777, 221888 अति. कलक्टर, प्रशासन / सहायता 9530312178 मु. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद 9530305888

राज्य नियंत्रण कक्ष / 0141—2227296, 5110869 अग्नि—101, 01427—223933, अग्निशमन अधि.—9785109101 नागरिक सुरक्षा—01427, एसडीआरएफ—0141—2640964, 2641420 डिप्टी कमांडेट, एनडीआरएफ 9414005412 सीओ स्काउट—9694217181

पुलिस अधीक्षक / अति.पु.अ. / वृताधिकारी / थानाधिकारी पु. अधीक्षक—8764870001 अति.पु. अधीक्षक—8764870002

रोडवेज — 9549653257
रेल्वे — 9001199022
एनएचएआई— 9414081373

सार्वजनिक निर्माण विभाग 9414369995 जन स्वास्थ्य अभि. 8560027584 विधुत वितरण निगम लिमिटेड 9413390636

सेना / स्वयं सेवी संस्था / स्वयं सेवक / प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक समाचार जगत

मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी 7891510000 मुख्य चिकित्सालय दौसा 9414035387 निकटतम अस्पताल

राजस्थान सरकार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग 0141—2227014, 9414080525, 0141—2227985, 9414180289, 0141—2227230, 9414000240

अध्याय : 09

# बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजिकल आपदा की श्रेणी में आता है। पेड पौधे, पशुओं का सडना, जल का प्रदूषित होना, विषाक्त कीटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभाव होता है। महामारी से बडे क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और अधिक से अधिक मौतें होती है, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापानी इन्फलुएंजा, एक्यूट एनसेफ्लायटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी है, जिसके कीटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते है साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती है, जैसे एन्फ्लुएंजा एच1एन1, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि।

## 9.1 चिकित्सा सुविधा

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**

| क्र.सं. | पदनाम | सम्पर्क | |
|---|---|---|---|
| | | मोबाईल | कार्यालय |
| 1 | सीएमएचओ, दौसा | 7891510000 | |
| 2 | उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दौसा | 7891510001 | |
| 3 | जिला प्रजनन एवं स्वा. अधिकारी, दौसा | 7891510002 | |
| 4 | उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी (प.क.), दौसा | 7891510003 | |
| 5 | चिकित्साधिकारी प्रभारी जिला औषधी भण्डारण | 7891510009 | |
| 6 | ऐपेडेमियोलॉजिस्ट सीएमएचओ, कार्यालय | 7891510554 | |
| 7 | प्रमुख चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय दौसा डॉ. महेश शर्मा (सर्जन) 9414035387 | 7891510018 | |

# अध्यायः 10

# न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

## 10.1 आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही

1. किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर या रेडियोलोजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमााणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल ऐजेंन्सी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग में एक क्राईसिस मैजेजमेंन्ट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी मैनेजमेंन्ट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24X7 घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
3. क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया (Respond) करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग Responder के रूप में कार्य नही करेगा।
4. इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग–अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) स्थापित किये हुए है।
5. इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बनाया गया है।
6. आवश्यकता पडने पर क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप को सूचना देने के साथ–साथ स्थानीय ईमरजेन्सी रिस्पोन्स सेन्टर (ERC) से सहायता ली जा सकती है।
7. ERC के विशेषज्ञ टीम को क्राईसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
8. NDMA ने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूकिलियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया कराया जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त NDMA की बटालियन को केमिकल, बॉयोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडिन बांटना आवश्यक है।

**10.2 आपात स्थिति में सम्पर्क**

विशेषज्ञ से मदद लेने के लिए निम्न नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है :

| **S.No.** | **Designation of Official** | **Place of Posting** | **Contact No.** |
|---|---|---|---|
| 1 | CMG Control Room Mumbai | MUMBAI | 022-2202397822, 22862595<br>E-mail daeecr@dae.gov.in |
| 2 | Regional Director | Emergency Response Centre, Jaipur | 9414028590<br>0141- 2793598 |
| 3 | Officer Incharge & Cordinator | ERC, Jaipur | 9828412012<br>0141-2795454/2790384 |
| 4 | Dy. Commandent, NDRF | Narreli, Ajmer | |

# अध्याय : 11

# साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़

## 11.1 साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धार्मो के लाग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगडे कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होन तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पति का काफी नुकसान होता है।

वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी साम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते है।

फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगें हो जाये तो उन्हे कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते है। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभाव शाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।

## 11.2 भगदड एवं कार्ययोजना

बढती आबादी एवं असुरक्षा का नतीजा है भगदड 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन पटना के गांधी मैदान में भगदड के कारण 33 लोग मारे गये, इससे पहले अगस्त 2014 के अन्तिम सप्ताह में मध्यप्रदेश के कादमगिरी में सोमवती अमावस्या के दिन हुई भगदड में 10 लोग मारे गये थे।

नेशनल क्राईम रिकार्डस ब्यूरों के मुताबिक वर्ष 2011 के दौरान भगदड की घटनाओं में 489 लोग मारे गये थे। धार्मिक अवसरों पर ही भगदड नहीं हुई है, रेल्वे स्टेशन, सेना व पुलिस

की भर्ती के दौरान भी भगदड की घटनाऐं हुई है और लोगों ने जान गवांई है। वर्ष 2005 में तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से पीडित लोगों के शिविर में भगदड मच गई थी, जिससे कई मौतें हुई थी, किन्तु यह निर्विवाद है कि 95 प्रतिशत घटनाऐं हिन्दु धार्मिक उत्सवों के दौरान घटी है, और मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाऐं व बच्चे रहें है। वर्ष 2011 में हरिद्वार में भगदड तब हुई जब यज्ञ में डाली जा रही सामग्री से पैदा धुऐं के कारण लोगों का दम घुटने लगा। मंदिरा देवी मंदिर में भगदड में 300 लोग मारे गये थे, कारण यह था कि धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए एक महिला सिर पर इतनी सामग्री ले जा रही थी कि वह गिर पडी और तेल बिखर गया, जिसकी फिसलन से भगदड मच गई। 2003 के नासिक कुंभ में साधुओं ने बिना अनुमति हाथियों और कार पर जुलूस निकाला और भक्तों पर प्रसाद व सिक्के फेंकना शुरू कर दिये, जिनको बटोरने की स्पर्धा में भगदड मच गई और 118 लोग मारे गये। राजस्थान के जोधपुर जिलें में नवरात्रा पूजा के दौरान मंदिर में भगदड से 55 लोग मारे गये जिसमें अधिकतर महिलायें थी।

भगदड का धार्मिक सोच–विचार से गहरा सम्बनध है, धार्मिक विचार खुद असुरक्षित होने के अहसास पर टिका हुआ होता है, जो मनोविज्ञान हमें इन स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करता है, बढती सामाजिक असमानता, असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जो बदले मे इस तरह का अहसास और बढाती है। हमारे यहां तंत्र एवं भगदड की घटना का सम्बन्ध इस प्रकार की सोच ही है।

**भगदड की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना**

- संभावित भगदड स्थल का चिन्हीकरण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने– आने का रास्ता का चिन्हीकरण।
- सडक के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)

- एक समय में कितनी भीड ठहरती है।
- भीड के प्रबन्धन के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।
- भीड वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या–क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है की सूची तैयार करना।
- आपात निकासी, नक्शा तैयार करना एवं विशेषज्ञ से जांच कर पारित कराना।
- आपातकालीन ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हीकरण करना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रोमा सेंटर एवं नजदीकी चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

## अध्याय : 12

# विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

## (माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिशा निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जांच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारित कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानको के अर्न्तगत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जांच में पाया जा रहा है कि विधालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोडी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, अतः कलक्टर अपने निर्देश से सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सकें, साथ ही खतरा एवं संवेदनशीलता चिन्हित हो सके।

## अध्याय : 13

# दौसा बस स्टेण्ड आपातकालीन कार्ययोजना

- **बस स्टेण्ड पर बम विस्फोट की घटनाएं।**
- **आकस्मिक अग्निकांड**

बस स्टेण्ड, शहर के मध्य स्थापित है। आगार द्वारा अपने अधिकृत मार्गो पर भेजी जाने वाली वाहनों को समयानुसार भिजवाया जाता है तथा यहां वाहनों को निर्धारित स्टेण्डो से बुकिंग कराते हुए गन्तव्य स्थानों पर भेजा जाता है। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत आगार की व्यवस्थाएं निम्न प्रकार से हैः—

1. बम विस्फोट की घटना होने पर तुरन्त ही आस—पास के क्षेत्र को खाली करवाया जा सकता है।
2. बस स्टेण्ड पर खाली निगम वाहन उपलब्ध होने के कारण आकस्मिक व्यवस्था तुरन्त ही उपयोग में लायी जा सकती है।
3. लगातार 24 घंटे प्रत्येक प्लेटफार्म पर ड्यूटी ऑफिसर एवम् वाहन आवागमन क्लर्क एवम् पूछताछ क्लर्क का पदस्थापन किया हुआ है जो होने वाली घटनाओं पर पारीनुसार निगरानी करते है व बार बार सतर्क रहने की चेतावनी उद्घोषित करते रहते है।
4. निगम परिसर में वर्कशॉप में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रहरियों को पारी अनुसार विभाजन कर लगाया हुआ है।
5. बस स्टेण्ड परिसर में निगम का ट्यूब वैल स्थापित होने के कारण पूरे परिसर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है।

6. बस स्टेण्ड पर बुकिंग घरों को स्थापित किया हुआ है। जो चारों और जाली से बनाये हुए है जिससे टिकिट पत्रक टिकिट वितरण करते है साथ ही बाहर की गतिविधियो पर निगरानी भी रखते है।

7. निगम परिसर में स्थापित शौचालयों पर ठैकेदार के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किये हुए है जो इन स्थानों को नियमित रूप से साफ करते रहते है।

8. समस्त निगम परिसर में अग्नि यंत्रों की व्यवस्था की हुई है।

# अध्याय : 14

# आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उदेश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभाव को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसका समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

**प्रतिक्रिया (रिसपोन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रिया**

- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाईन के आधार पर इमरजेन्सी रिसपोन्स कार्यकलाप चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी ऐजेन्सी का चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हिकरण।
- व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए प्रशिक्षण , मिटिंग, मॉक ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

# आतापकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)

| ईएसएफ | संचालन | संभावित कार्य | नोडल एजेन्सी / टीम लीडर | सहायता विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|---|
| ईएसएफ1 | समन्वयक | सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्थापित कराना। | जिला कलक्टर | पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद / नगरपालिका / नगरनिगम, पीडब्लूडी,पीएचईडी, विधुत, जिल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी संबंधित विभाग, थानाधिकारी। |
| ईएसएफ2 | संचार प्रणाली | आपात स्थिति में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरूस्त कर पुनः स्थापित करना | जिला पुलिस अधीक्षक | एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलिकॉम विभाग, इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दुरदर्शन। |
| ईएसएफ3 | हेल्पलाईन चेतावनी, आपातकालीन सूचना निदेर्शिका | प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुंचाना। | एसडीएम, पुलिस | एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक |
| ईएसएफ4 | खोज एवं बचाव | टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलो को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीम का गठन करना, साथ ही खोजी कुते का प्रबन्ध करना। | अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस | अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि। |
| ईएसएफ5 | आपात निकासी | भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट, अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर | एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ | पुलिस , गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | निकालना। | | |
| ईएसएफ6 | आपात चिकित्सा सुविधा | घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा | सीएमएचओ | जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रोमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र। |
| ईएसएफ7 | सहायता | जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना | एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस | एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था |

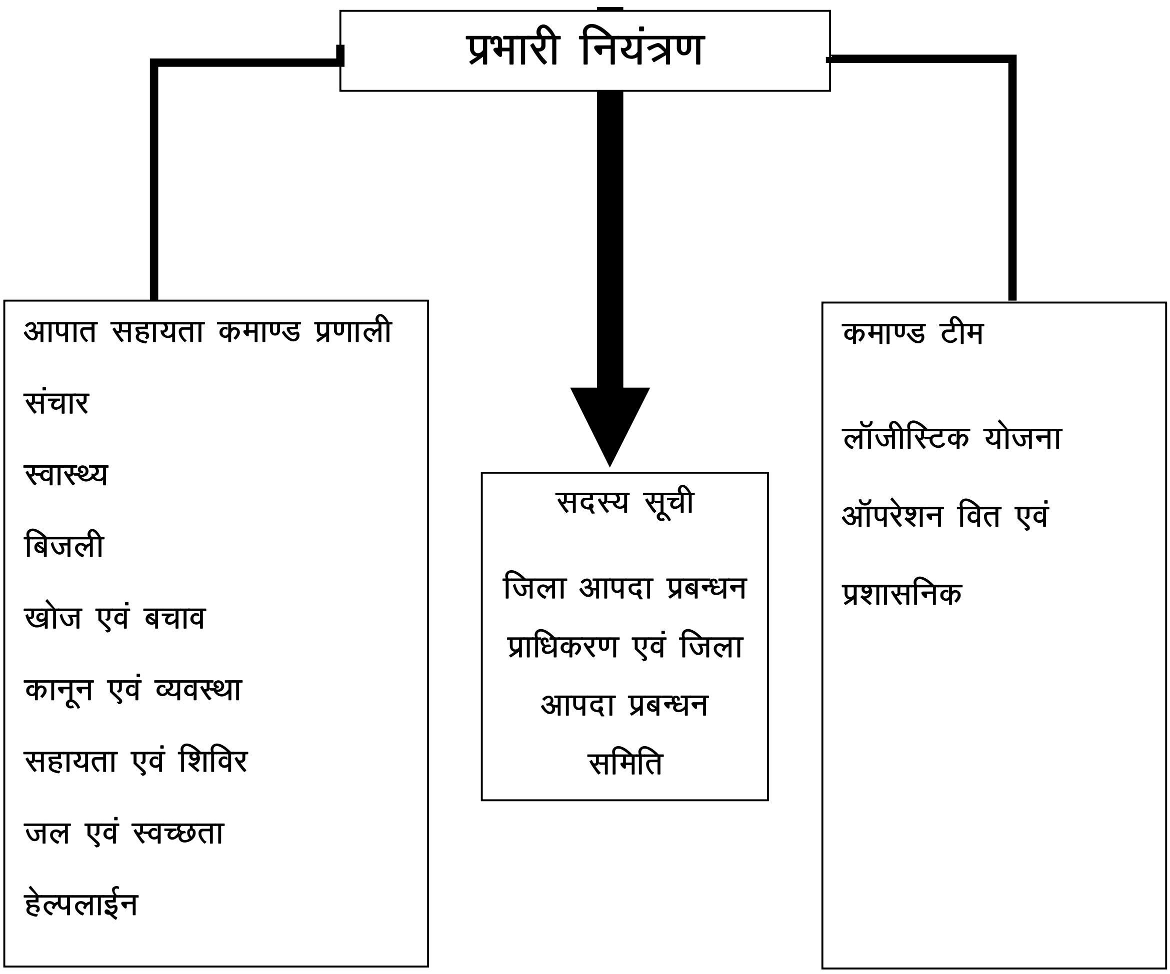

# INCIDENT RESPONSE SYSTEM FLOW CHART

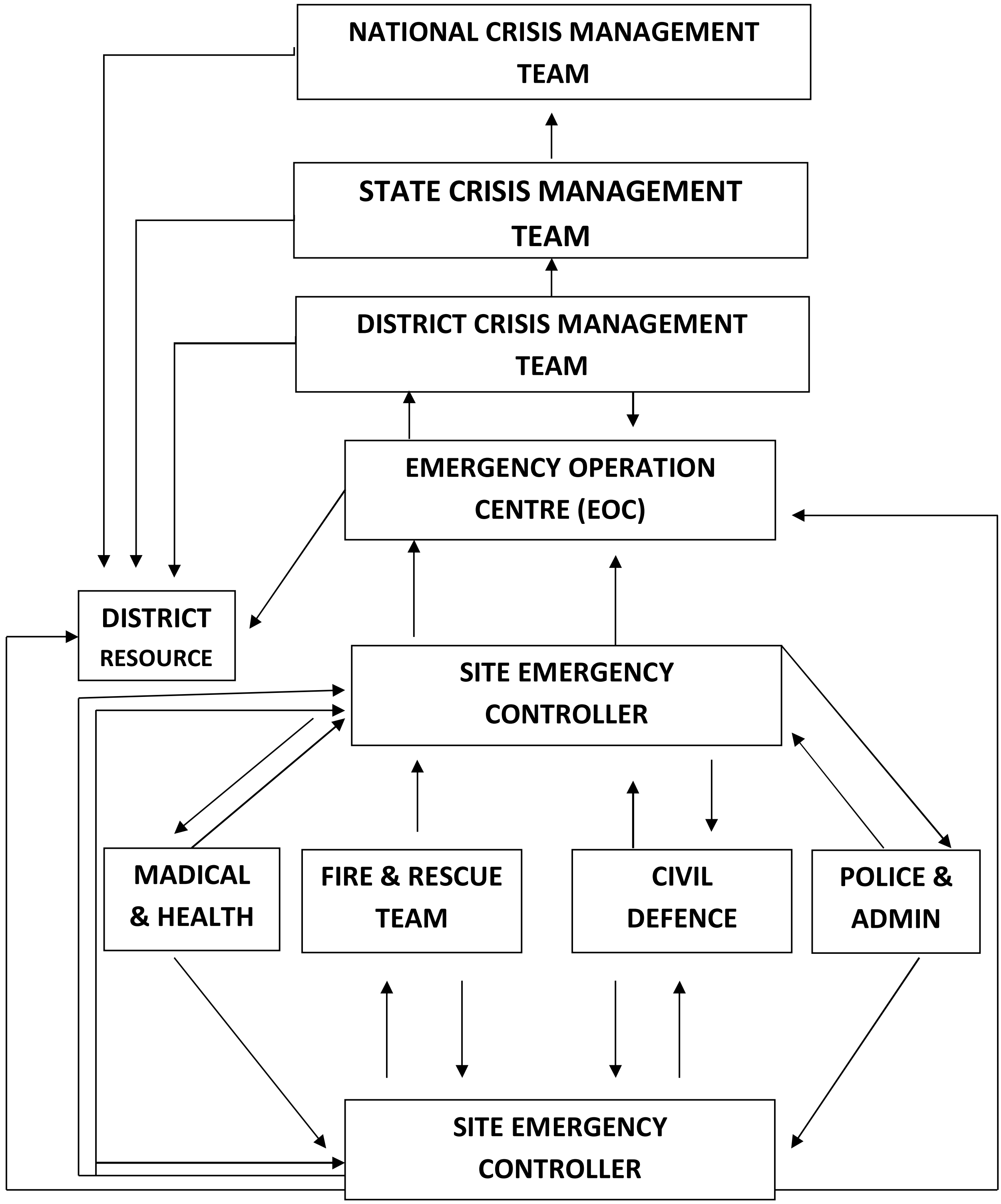

## अध्याय : 15

# आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते है :–

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान–माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यो में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजन को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।

# अध्याय : 16

# राजस्थान राहत कोष

# (STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ, ओलावृष्टि, अग्नि चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन–धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष **(National Calamity Fund)** से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाऐं तथा गैर प्राकृतिक आपदाऐं भी है जिनसे होने वाली जन–धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नही है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

**शीर्षक :**

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

'' राजस्थान राहत कोष'' का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भांति इस कोष में दी गई राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियंत्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

**राज्य स्तरीय समिति :–**

राज्य स्तर पर ''राजस्थान राहत कोष'' के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| मुख्य सचिव | – | अध्यक्ष |
| अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) | – | सदस्य |
| प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | – | सदस्य |
| प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | – | सदस्य |
| प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग | – | सदस्य |
| प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग | – | सदस्य |
| शासन सचिव, खान विभाग | – | सदस्य |
| शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग | – | सदस्य |

**राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप–**

1. राजस्थान, राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. ''राजस्थान राहत कोष'' से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. ''राजस्थान राहत कोष'' के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. ''राजस्थान राहत कोष'' से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाये उन प्रयोजनों लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपर्युक्त वर्णित क्रियाकलापों के लिए अधिकरों का प्रत्यायोजन भी किया सकेगा।

7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो '' राजस्थान राहत कोष'' की स्थापना के उदेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

**''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाएं–**

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुएं के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुएं में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
5. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाऐं जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे –

1. मनुष्यों में महामारी– विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अतयधिक हो।
2. पशुओं में महामारी– किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बडी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एव पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हो।
3. फसलों में महामारी – विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

## विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग

1. मनुष्यों की महामारी – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. पशुओं की महामारी – पशु पालन विभाग
3. फसलों की महामारी – कृषि विभाग
4. खान में बाढ का पानी आना एवं ढहना – खान विभाग
5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क. उपर्युक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।

ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।

ग. उपर्युक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करया जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।

घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसको कियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

## आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड –

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिए सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिए किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/ मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो, तो उस आपदा के लिये ''राजस्थान राहत कोष'' से सहायता देय नही होगी।
3. ''राजस्थान राहत कोष'' से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

4. खान, भवन, कुएं आदि के ढहने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।

5. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिए, निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी :

   1. कुएं ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकाले पर होन वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपयें की राशि।
   2. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने मे होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   3. कुएं में जहरीली गैस निकालने से मृत्यु होने पर आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 10,000 रूपयें की राशि।

**राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रकिया विधि –**

1. संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में ''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महामारी की आपदाओं में, उप पर नियंत्रण करने एवं पीडितों को सहायता पहुंचाने के लिए जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर

से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजा जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसेक आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिषंशा को राज्य समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध करायी जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय : 17

# महत्वपूर्ण विभाग, अस्पताल, ब्लड बैंक, अग्निशमन विभाग, ऐंबुलेंस, तैराकों की सूची, बचाव उपकरण की सूची एवं सम्पर्क

17.1 जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

| uke vf/kdkjh | inuke vf/kdkjh | dk;kZy; | fuokl | eksckby uacj |
|---|---|---|---|---|
| Jh ujs'k dqekj 'kekZ | ftyk dyDVj] nkSlk | 510777] 223666 | 221888 | 9530312177 |
| Jh dSyk'k pUnz 'kekZ | vfr0 dyDVj] nkSlk | 223884 | 221889 | 9530312178 9414036291 |
| Jh jktsUnz flag dfo;k | eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh ft-i- nkSlk - | 223532 | 220534 | 9530305888 9414523011 |
| Jh lqjsUnz flag eh.kk | vfr- eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh ft-i- nkSlk | 224906] 223818 | | 9530305886 7597285511 |
| Jh larks"k dqekj xks;y | mi[k.M vf/kdkjh] nkSlk | 223600 | 221000 | 9530312179 9460924810 |
| Jh fgEer flag | mi[k.M vf/kdkjh] ckanhdqbZ | 01420&228487 | 01420& 228488] | 9530312181 9414292906 |
| Jh uojRu dksyh | mi[k.M vf/kdkjh] ykylksV | 9549640123 | & | 9530312183 7023288071 |
| Jh vt; dqekj vk;Z | mi[k.M vf/kdkjh] egok | 07461&240521 | & | 9530312180 7073634121 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jherh 'kSQkyh dq'kokgk | mi[k.M vf/kdkjh] fldjk; | 01420&27 5495 | 01420& 275011 | 953031 2182 952994 1009 |
| MkW- xksj/ku yky 'kekZ | mi[k.M vf/kdkjh ukaxy jktkorku | 282483 | & | 800585 4677 |
| Jh jkekorkj dqekor | ,lh,e] nkSlk | & | & | 960255 5566 |
| Jh 'kjn frokMh' | mi iath;d nkSlk ¼vfr-pktZ½ | & | & | 941451 7901 |
| Jh vfuy dqekj xks;y | rglhynkj] nkSlk ¼vfr-pktZ½ | 223162 | | 953031 2353 |
| Jh vfuy dqekj xks;y | uk;c rglhynkj] nkSlk | 223162 | 810486 4616 | 953031 2420 |
| Jh pUnziky flag | mi rglhynkj lSaFky | | 941462 5960 | 953031 2423 |
| Jh 'kjn frokMh | rglhynkj yok.k | 285622 | 941451 7901 | 941451 7901 |
| Jh egs'k pUnz 'kekZ | uk;c rglhynkj] yok.k | 285622 | 941364 1046 | 953031 2354 |
| Jh jsoMey | rglhynkj] ykylksV | 01431&26 0069 | 978397 6532 | 953031 2308 |
| Jh i`Fohjkt eh.kk | uk;c rglhynkj] ykylksV | 01431&26 0069 | 941499 4783 | 953031 2444 |
| Jh guqeku lgk; eh.kk | rglhynkj jkex< ipokjk | 01431&26 5410 | 998337 4899 | 953031 2316 |
| Jh ?ku';ke xqIrk | uk;c rglhynkj jkex< ipokjk | 01431&26 5410 | 998284 7060 | 953031 2316 |
| Jh c'khj ekSgEen | rglhynkj] fldjk; | 01420&27 5203 | 941427 3618 | 953031 2276 |
| Jh x.ks'kjkt cMxksrh | uk;c rglhynkj] fldjk; | 01420&27 5203 | 978264 4664 | 953031 2453 |
| Jh izsejkt eh.kk | mi rglhynkj fldUnjk | | 941448 6950 | |
| Jherh lqeu pkS/kjh | rglhynkj] clok Trasury 231265 | 01420&24 1302 | 941355 6207 | 953031 2185 |
| Jh lqjs'k pUnz | uk;c rglhynkj] clok | 01420&24 | 810727 | 953031 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 'kekZ | | 1302 | 6063 | 2437 |
| Jh | mi rglhynkj] ckanhdqbZ | | | 9530312309 |
| Jh c`ts'k dqekj eaxy | rglhynkj] egok | 07461&240522 | 9414584810 | 9530312234 |
| Jh ekaxhyky eh.kk | uk;c rglhynkj] egok | 07461&233258 | 7734953585 | 9530312403 |
| Jh izdk'k pUn ehuk | mi rglhynkj e.Mkoj | | 9414793740 | 9530312246 |
| Jh lEiryky ehuk | rglhynkj] ukaxy jktkorku | 282482 | 9413036205 | |
| Jh jkethou ehuk | uk;c rglhynkj] ukaxy jktkorku | | 9928314655 | 9530312422 |
| Jh | uk;c rglhynkj&pquko | 01427& | | 9530312436 |
| Jh | rglhynkj ¼Hkw-v-½ dyDVªsV | | | 9530312437 |

lEidZ lek/kku dsUnz dyDVªsV] nkSLkk&01427&224903

bZvkslh & 01427&223535

## 17-2 nkSlk ftys ds iqfyl vf/kdkfj;ksa ds nwjHkk"k uacj

| नाम अधिकारी | पदनाम अधिकारी | कार्यालय | निवास | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| श्री योगेश यादव | S.P. दौसा | 223002 | 230002 | 9530034111<br>8764870001 |
| श्री प्रकाश कुमार शर्मा | Adln.S.P. दौसा | 223003,<br>223909 फैक्स | 230004 | 9414083345<br>8764870002 |
| श्री के. के. शर्मा | Adln.S.P. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | 220444 | | 9414050534 |
| श्री जीव प्रकाश जोशी | Dy.S.P. Dausa<br>9413083665 | 224504 | 230005 | 8764870003 |
| श्री संजय गोदारा | SHO दौसा कोतवाली | 230006 | 9413000002 | 9530430010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री दिलीप सिंह | SHO सदर थाना दौसा | 223700 | 9982827357 | 9530430011 |
| श्री राम सिंह | SHO सैंथल | 284434 | 9799356320 | 9530430012 |
| श्री मोहन लाल वर्मा | Dy.S.P.Lalsot 7793803220 | 01431—260270 | 01431—260360 | 8764870007 |
| श्री मनोहर लाल | SHO लालसोट | 01431—260040 | 9983935759 | 9530430013 |
| श्री मुरारी लाल | SHO मण्डावरी | | 9414008899 | 9530430134 |
| श्री मुकेश कुमार | SHO नांगलराजावतान | 282240 | 9887467192 | 9530430015 |
| श्री दयानन्द | SHO लवाण | | 9829485956 | 9530430236 |
| श्री राजपाल सिंह | SHO रामगढ़ पचवारा | 01431—265600 | 9414828190 | 9530430014 |
| श्री नवाब खॉ | Dy.S.P.Bandikui 9413545486 | 01420—228090 | 01420—229213 | 8764870004 |
| श्री निरंजनपाल सिंह | SHO बांदीकुई | 01420—228053 | 9521173882 | 9530430016 |
| श्री इन्द्रराज सिंह | SHO बसवा | 01420—241309 | 9460891459 | 9530430018 |
| श्री श्रीराम | SHO कोलवा | 01420—276050 | 9887057663 | 9530430017 |
| श्री पूनमचन्द | Dy.S.P.Manpur | 01420—275200 | 9414242611 | 8764870005 |
| श्री करण सिंह राठौड | SHO मानपुर | 01420—245100 | 9680674145 | 9530430019 |
| श्री रामेश्वर लाल | SHO सिकन्दरा | 01420—240006 | 9413366333 | 9530430020 |
| श्री राजीव कुमार | SHO मैहन्दीपुर बालाजी | 01420—247945 | 9950432640 | 9530430021 |
| श्री राजेश मलिक | Dy.S.P.Mahwa 9462619356 | 07461—283298 | 07461—283419 | 8764870006 |
| श्री कालूराम | SHO महवा | 07461—283261 | 9414277463 | 9530430022 |
| श्री बृजेश मीणा | SHO मण्डावर | 07461—260260 | 9414261287 | 9530430023 |
| श्री कुशाल सिंह | SHO सलेमपुर | 07461—262100 | 9929089110 | 9530430024 |
| श्री शब्बीर अहमद | Dy.S.P. SC/ST Cell Dausa | 9414317981 | 223944 | 8764870008 |
| श्री मदनलाल जैफ | SHO महिला थाना दौसा | 230811 | 9461011310 | 9530429941 |
| श्री मोहन लाल शर्मा | आर0आई0 | 223429 | 9366309822 | 9530429969, 70 |
| श्री | प्रभारी सीआईडी सीबी | 223842 | | |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद | उ.नि. सीआईडी सीबी | 223842 | 9602161100 | 9414277504 |
| श्री मदनलाल शर्मा | प्रभारी सैन्ट्रल आईबी दौसा | 224806 | | 9461456358 |
| श्री विशम्भर दयाल, उ.नि. | एचसी, चौकी अस्पताल, दौसा | | 9784029479 | 9530430051 |
| श्री रामसिंह, उ.नि. | प्रभारी चौकी सिविल लाईन | | 9799356320 | 8107824853 |
| श्री जगदीश हैड कानि | प्रभारी चौकी बिवाई | | 9460869983 | 9530430257 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री रमाशंकर, उ.नि. | प्रभारी चौकी मुकरपुरा | | 9782027899 | 9530430249 |
| श्री अजीत सिंह, | प्रभारी चौकी दुब्बी | | 9414460699 | 9530429831 |
| श्री हेतराम हैड कानि | प्रभारी चौकी राणोली | | 9414627216 | 9530430006 |
| श्री प्रवीण, उ.नि. | प्रभारी चौकी गीजगढ़ | 9530429828 | 8058775534 | 9530429829 |
| श्री प्रकाश हैड का. | प्रभारी चौकी लांका | | 8769015457 | 9530429809 |
| श्री बृजमोहन, उ.नि. | प्रभारी चौकी सिकराय | | 9414486816 | 9530430360 |
| श्री लक्ष्मीनारायण है. का. | प्रभारी चौकी बालाहेडी | | 9782638589 | 9530429848 |
| श्री मानसिंह | प्रभारी चौकी तालचिडी | | 9672750600 | 9530429924 |
| श्री विशम्भर, है.का. | प्रभारी चौकी खोहरा मुल्ला | | 9413804506 | 9530429903 |
| श्री प्रताप सिंह है. का. | प्रभारी चौकी रशीदपुर | | 9982497638 | 8764869730 |
| श्री इन्द्राज सिंह | प्रभारी चौकी गुढा कटला | | 9460891459 | 9530430312 |
| श्री जयसिंह | प्रभारी जिला विशेष शाखा | 223676 | 9461145802 | |
| श्री प्रदीप सिंह | प्रभारी यातायात दौसा | | 9414282790 | 9530429952 |
| श्री मालीराम मीणा | SHO जीआरपी, बांदीकुई | 01420—228108 | 9414779179 | 9530422300 |
| श्री नरसिंह | SHO आरपीएफ, बांदीकुई | 01420—228408 | 9001199991 | |
| श्री राजेन्द्र मीणा | प्रभारी वायरलैस पुलिस निरीक्षक | 224522 | 224898 | 9460434266 |
| श्री गोविन्द प्रसाद | पुलिस कन्ट्रोल रूम, दौसा | 100, 230333, 513003 | 9785796369 | 9530429933 |
| श्री गणपत सिंह नरूका | डिप्टी कमान्डेंड होमगार्ड | 220990 | 9251362219 | |

## 17-3 nkSlk ftys ds ftyk Lrjh; vf/kdkfj;ksa ds nwjHkk"k uacj

| पदनाम अधिकारी | नाम अधिकारी | दूरभाष नंबर कार्यालय | दूरभाष नंबर निवास |
|---|---|---|---|
| उपनिदेशक—कृषि विस्तार दौसा | श्री राकेश कुमार अटल | 220012 | 220125, 9414388207 |
| PD ATMA Dausa | श्री राजेन्द्र नैनावत | 231112 | 9414214142 |
| संयुक्त निदेशक,पशु पालन विभाग दौसा | डॉ. मलखान मीणा | 230306 | 9783021455 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सहायक निदेशक–उद्यान दौसा | श्री अनिल कुमार शर्मा | 230723 | 8058836808 |
| ACP&एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (IP 28229) | श्री राजेश भाटिया | 224335 | 9461122125 |
| जिला आयुर्वेद अधिकारी दौसा | श्री अशोक कुमार शर्मा | 223988 | 9571085380 |
| ADP सहायक निदेशक–अभियोजन | श्री सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज | 224934 | 9829832601 |
| BSNL - DET | श्री आर.एम.शर्मा | 221110 | 9414001385 |
| प्रबंधक–राजस्थान वित्त निगम दौसा | श्री एल.एल.बैरवा | 223547 | 9414097810 |
| आर0 एम0–रीको दौसा | श्री आर.के.भट्ट | 224375 | 9414055063 |
| अग्रणी बैंक अधिकारी–यूको बैंक दौसा | श्री बी.एस.मीना | 223550,223 050 | 7689809892 |
| प्रबंध निदेशक दौसा सी.सी.बी. | श्री शिवदयाल मीणा | 223762 | 9414224218 |
| मुख्य आयोजना अधिकारी दौसा | श्री | 223743 | 9530268524 |
| सहा. आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग दौसा | श्री भागचन्द सैनी | 223990 | 9829550531 |
| उप पंजीयक सहकारी समितियां दौसा . | श्री गंगाराम मीना | 223079 | 9414335818 |
| उप प्रबन्धक जयपुर जिला दुग्ध उत्पा. स0स0 दौसा | श्री मदनमोहन सारस्वत | 223110 | 9829858888 |
| व्यवस्थापक,क्रय विक्रय सह0समिति दौसा | श्री रामजीलाल मीना | 221422 | 9799711320 |
| व्यवस्थापक,क्रय विक्रय सह0समिति लालसोट | श्री रामजीलाल मीना | 01431–260031 | |
| व्यवस्थापक,क्रय विक्रय सह0समिति बांदीकुई | श्री राजेश शर्मा | 01420–228056 | 9413817771 |
| व्यवस्थापक,क्रय विक्रय सह0समिति मण्डावर | श्री रामचरण गुप्ता | | 9413444464 |
| व्यवस्थापक,क्रय विक्रय सह0समिति सिकराय | श्री प्रकाश चन्द मीना | | 9001466935 |
| CO स्काउट, दौसा | नीता शर्मा | | 8003097198 |
| जिला रसद अधिकारी दौसा | श्री महेन्द्र सिंह नूनिया | 223564 | 9414068749 |
| प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति–राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., 1/1 हाऊसिंग बोर्ड, खान भांकरी रोड, दौसा | श्री अनिल गोयल | 223955 | 9462127477 |
| महाप्रबन्धक–जिला उद्योग केन्द्र दौसा | शिल्पी आर.पुरोहित | 224430 | 9829596665 |
| जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दौसा | श्री वेदप्रकाश गुप्ता | 224414 | 9950588008 |
| अधीक्षण अभियन्ता–जविविनिलि दौसा | श्री डी.के.शर्मा | 231123, 221920 | 231124, 9413390633 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अधिशाषी अभियन्ता–जविविनिलि, दौसा | श्री | 230101 | 230302, 9413390636, |
| अधिशाषी अभियन्ता–जविविनिलि,बांदीकुई | श्री बी.एल.मीना | 01420–222310 | 01420–222110, 9413390638 |
| अधिशाषी अभियन्ता–जविविनिलि, लालसोट | श्री वी.के.अग्रवाल | 01431–260110 | 9414022937 |
| अधिशाषी अभियन्ता–जीएसएस दौसा | श्री आर.के.मीणा | 230200 | 9414061090 |
| अधिशाषी अभियन्ता–सतर्कता दौसा | श्री युवराज आशीवाल | 220777 | 9413390616 |
| SE PHED Dausa | श्री महेश कुमार बंशीवाल | 224236 | 9414043506 |
| अधिशाषी अभियन्ता–जनस्वाअभिविभाग दौसा | श्री ओमप्रकाश शर्मा | 223325 | 220163, 8560027584 |
| अधिशाषी अभियन्ता–जनस्वाअभिविभाग महवा | श्री | | |
| अधीक्षण अभियन्ता सानिवि | श्री हरकेश मीना | 223839 | 8696865555, 220785 |
| अधिशाषी अभियन्ता–सानिवि दौसा – I | श्री मुरारीलाल मीना | 223025 | 231522, 9414369995 |
| अधिशाषी अभियन्ता–सानिवि सिकन्दरा | श्री दयाचन्द मीना | 01420–240003 | 9413380609 |
| अधिशाषी अभियन्ता–सानिवि महवा | श्री कमल सिंह मीना | 07461–240050 | 9414451748 |
| अधिशाषी अभियन्ता–एन.एच. जयपुर NH11A | श्री सत्येन्द्र सिंह | 0141–5110528 | 9414081373 |
| XEN RSRDC 1/74 हाउसिंग बोर्ड खान भांकरी | श्री डी.आर.श्रीवास्तव | 223910 | 9414712676 |
| PD NHAI 87, गंगाविहार कॉलोनी, रावत पैलेस के पीछे, दौसा | श्री संजीव शर्मा | 224918 | 9649008999 dausa@nhai.org |
| अधिशाषी अभियन्ता–जल संसाधन दौसा | श्री ओ.पी.अवस्थी | 223410 | 224795, 9460710356 |
| सहायक खनिज अभियन्ता दौसा (AME) | श्री मनोज कुमार शर्मा | 224765 | 9414351741 |
| आवासीय अभियन्ता (XEN) राज.आवा. मण्डल | श्री सर्वजीत सिंह | 223875 | 9983335573 |
| जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक दौसा | श्रीमती प्रेमवती शर्मा | 224977 | 9414335682 |
| अति.जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक दौसा | श्रीमती मनीषा शर्मा | 224977 | 9414251028 |
| अति.जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक | श्री रामनिवास शर्मा | 224977 | 9460556145 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| दौसा | | | |
| ADPC RMSA दौसा | श्री सुशील शर्मा | 224972 | 9414626884 |
| जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारंभिक दौसा | श्री | 221189 | |
| अति.जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारंभिक दौसा | श्री गंगालहरी शर्मा | 221189 | 9414271669 |
| एडीपीसी, एसएसए दौसा | श्री अशोक शर्मा | 221004 | 9530035835 |
| जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षाधिकारी | श्री मुकेश मीणा | 231161 | 9461410933 |
| प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय दौसा | श्री बी.के.देरान | 231100 | 9024455797 kvdausa@rediffmail.com |
| जिला रोजगार अधिकारी दौसा | श्री जगदीश निर्वाण चार्ज | 224044 | 9414443869 |
| जिला आबकारी अधिकारी दौसा | श्री जितेन्द्र सिंह | 221180 | 9530396078, 9414021677 |
| उप वन संरक्षक–सामाजिक वानिकी दौसा | श्री पोकर मल सेवदा | 223304 | 9829873991 |
| मत्स्य परियोजना अधिकारी दौसा | श्री मदन मोहन चार्ज | 223567 | 9414340414 |
| मैनेजर, सर्किट हाउस दौसा | श्री समरजीत सिंह राणा | 224033 | 9829232429, 9414272630 |
| मैनेजर मिड वे दौसा | श्री इन्द्र सिंह | 231033 | 9460188248 |
| मैनेजर मिड वे महवा | श्री भगत सिंह | 07461–240260 | 9414280545 |
| आयकर अधिकारी दौसा | श्री आशुतोष शर्मा | 224880 | 9530400886 |
| अधीक्षक, आई0टी0आई0 दौसा | श्री अनुप धारवाल चार्ज | 223592 | 9414641176 |
| जिला एवं सत्र न्यायाधीश दौसा | श्री अनुप कुमार सक्सैना | 223320 | 220321 |
| उप अधीक्षक– जिला कारागार दौसा | श्री रामनिवास गुर्जर | 224320 | 224525, 9414341308 |
| प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र | डॉ0 आर.एन.शर्मा | 231083 | 9460643249 |
| सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा | श्री सुभाष महावर | 230078 | 8946895084 |
| सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट | श्री बाबूलाल मीना | 01431–260010 | 9828320343 |
| सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी | ममता गुप्ता | 01431–264194 | 9024849530 |
| सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, महवा मण्डावर | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा | 07461–260434 | 9414454861 |
| सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई | श्री सुबेसिंह रावत | 01420–228067 | 9929749552 |
| विकास अधिकारी,पंचायत समिति, दौसा | सुश्री नीरज शर्मा | 220043 | , 9530305909 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| विकास अधिकारी,पंचायत समिति, लवाण | श्री हरी सिंह | | 9001856599 |
| विकास अधिकारी, पं. समिति, लालसोट | श्रीमती प्रियंका मीणा | 01431–260 023 | 9530305992, 9413333832 |
| विकास अधिकारी,पं. समिति, बांदीकुई | श्री अजीत सहरिया | 01420–228 032 | 9530306079, 9460110222 |
| विकास अधिकारी, पं.समिति, सिकराय | श्री बी.आर.जाट | 01420–275 204 | 9530306000, 9829813192 |
| विकास अधिकारी,पंचायत समिति, महवा | श्री नाहर सिंह | 07461–283 227 | 9530306050, 9983935774 |
| आयुक्त, नगरपरिषद, दौसा | श्री दिलीप शर्मा | 220054, 222249 | 9414727309 |
| अग्निशमन अधिकारी दौसा | श्री | 224590 (101), 223933,782 369768 | |
| अधिशाषी अधिकारी, न. पा., लालसोट | श्री श्यामलाल जांगिड चार्ज | 01431–260 714 | 9829590785 |
| अधिशाषी अधिकारी,न.पालिका,बांदीकुई | श्री द्वारका प्रसाद | 01420–228 052 | 9414854516 |
| अधिशाषी अधिकारी,न.पालिका,महवा | श्री सुरेन्द्र कुमार मीना | | 9887337938 |
| मुख्य चिकि0 एवं स्वा0अधिकारी दौसा | डॉ0 पृथ्वीराज मीणा | 223577 7891510014 | 7891510000, 9887878890 |
| प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दौसा | डॉ0 महेश शर्मा | 220223, 220964 | 221870, 9414035387 |
| जिला क्षय रोग अधिकारी (टी.बी.) दौसा | डॉ. मुकेश कुमार | 230826 | 7891513132 |
| समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र दौसा | श्री महेश शर्मा चार्ज | 220238 | 9414766638 |
| सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी दौसा | श्री रामजीलाल मीणा | 223435, 224507 | 9414622140 |
| मुख्य आगार प्रबन्धक, रोड़वेज दौसा | श्री भरतसिंह गुर्जर | 223419 | 9549653257 |
| RRLP जिला परियोजना प्रबन्धक (डीपीएमयू) राज0 ग्रामीण आजीविका परियोजना दौसा | श्री बी.एल.मीणा चार्ज | 224878 | 9521616123 |
| समाज कल्याण अधिकारी, दौसा | श्री राजेन्द्र सिंह | 223440 | 9887868601 |
| सहायक निदेशक, जिला बाल सरंक्षण इकाई | श्री राधेश्याम | 223440 | 9785504410 |
| अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दौसा | श्री घनश्याम शर्मा | 224840 | 9414043543 |
| श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा | श्री चार्ज पीआरओ | 224772 | |
| उप निदेशक–राज्य बीमा एवं प्रानिवि दौसा | श्रीमती संजू शर्मा | 223549 | 9929932842 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सहायक निदेशक–राज्य बीमा एवं प्रानिवि दौसा | श्री कमलेश योगेश्वर | 223549 | 9982402296 |
| सहायक निदेशक–सांख्यिकी दौसा | श्री | 224353 | 9414819873 |
| जिला खेल अधिकारी दौसा | श्री गजेन्द्र सिंह | 220238 | 9929017210 |
| पीएम,एससीडीसी निगम दौसा | श्री प्रभु सिंह | 224216 | 7976389622 |
| आरटीओ दौसा | श्री जगदीश बैरवा | 223225, | 222226, 9414226222 |
| अति. आरटीओ दौसा | श्री | 223904 | |
| जिला परिवहन अधिकारी दौसा | श्री सत्यप्रकाश शर्मा | 223904 | 9602196968 |
| कोषाधिकारी दौसा | श्री जय कौशिक | 223305, 224679 | 9414654793 |
| उपनिदेशक,महिला एवं बाल विकास दौसा | श्रीमती सरोज मीणा चार्ज | 224836, 223236 | 9785009830 |

## 17-4 nkSlk ftys ds tu izfrfuf/kx.k

| नाम व पद नाम | दूरभाष कार्यालय | दूरभाष निवास | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| | | | |
| दौसा – श्री हरीश चन्द्र मीणा – सांसद 4 KA 10, जवाहर नगर, जयपुर–302004C-1/10, Tilak Lane New Delhi - 110001 | 0141-2725156 011-23072764 | | 09929884441 |
| राज्य सभा सदस्य– श्री आर.के. वर्मा | | | 9013181445 |

**विधानसभा सदस्य**

| | | | |
|---|---|---|---|
| बांदीकुई – श्रीमती अलका सिंह भाजपा म.नं. 28, फ्रेन्डस कॉलोनी, जनपथ, लाल कोठी, जयपुर | | 0141-2744100 | 9414077990 |
| महवा – श्री ओमप्रकाश हुडला– भाजपा ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा | | | 9530444444 |
| सिकराय – श्रीमती गीता वर्मा – राजपा जौहरी सदन, सिकन्दरा रोड, गीजगढ़, तहसील सिकराय,दौसा | | | 9414846421 |
| दौसा – श्री शंकर लाल शर्मा – भाजपा 44, नन्दपुरी, हवा सडक, 22 गोदाम, जयपुर | | | 9414042586 |
| लालसोट – डॉ.किरोडी लाल मीना – राजपा ग्राम खोहरा मुल्ला तहसील महवा जिला दौसा | | | 9414077707 |

**जिला प्रमुख**

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्रीमती गीता खटाना– कांग्रेस | 01427-223818 | 0141-2500122 | 9829019142 |

**उप जिला प्रमुख**

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्री सीताराम मीणा– कांग्रेस | 01427-224906 | | 9785709186 |

**पंचायत समिति प्रधान**

| | | | |
|---|---|---|---|
| दौसा – श्री दीनदयाल बैरवा – कांग्रेस | 01427-220043 | - | 9352742851 |
| बांदीकुई –श्रीमती सीमा मीना – कांग्रेस | 01420-228032 | 01420- | 8850650137 |
| सिकराय –श्रीमती बादाम सैनी – कांग्रेस | 01420-275204 | | 9929674866 |
| लालसोट –श्रीमती रामकली मीना कांग्रेस | 01431-260023 | | 9461622676 |
| महवा – श्रीमती मीरा मीना– कांग्रेस | 07461-233227 | | 9928562626 |
| लवाण – श्रीमती ममता गांगडिया कांग्रेस | | | 9414985231 |

**नगरपरिषद / नगरपालिका अध्यक्ष**

| | | | |
|---|---|---|---|
| दौसा – श्री राजकुमार जायसवाल भाजपा | 01427-220054 | 01427-220930 | 9414038818 |
| बांदीकुई–श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल कांग्रेस | 01420-228052 | | 9829293831 |
| लालसोट – श्री जगदीश सैनी – भाजपा | 01431-260012 | 01431- | 9928718264 |

ftyk/;{k Hkktik&Jh lR;ukjk;.k 'kkgjk & 9414457534

**17.5 जिले में एंबुलेंस एवं ब्लड बैंक की स्थिति एवं सम्पर्क**

**ब्लड बैंक की स्थिति**

| क.सं. | ब्लड बैंक | सम्पर्क |
|---|---|---|
| 1 | जिला चिकित्सालय दौसा | 01427– 220223, 220964 |

**जिले में उपलब्ध एंबुलेंस की स्थिति एवं सम्पर्क**

| क.सं. | तैनाती स्थल | सम्पर्क |
|---|---|---|
| 1 | दौसा | 108, 01427–230006 |
| 2 | लालसोट | 108, 01431–260040 |
| 3 | बांदीकुई | 108, 01420–222053 |
| 4 | मानपुर | 108, 01420–245100 |
| 5 | महवा | 108, 07461–283261 |
| 6 | मण्डावरी | 108, 01431–264102 |
| 7 | बसवा | 108, 01420–231309 |
| 8 | नांगल राताव‍तान | 108, 01427–282240 |

**जिले में उपलब्ध ऐंबुलेंस सेवा के ड्राईवरों की सूची एवं गाडी नम्बर**

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम | मोबाईल नम्बर | उपलब्ध होने का स्थान | गाडी नम्बर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छुटट्नलाल मीना | 9928140073 | पीएस, बांदीकुई | RJ14PB5118 |
| 2 | हन्सालाल सैनी | 9468595211 | पीएस, बांदीकुई | RJ14PB5118 |
| 3 | नरसी लाल मीना | 9928394820 | पीएस, लालसोट | RJ14PB6196 |
| 4 | पुरण मल गुर्जर | 9636622503 | पीएस, मानपुर सिकराय | RJ14PB5134 |
| 5 | राकेश कुमार | 9785282329 | पीएस, लालसोट | RJ14PB6196 |
| 6 | राकेश शर्मा | 9680762091 | सीएचसी, मण्डावरी | RJ14PB7278 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | रामावतार मीना | 9460792483 | पुलिस कन्ट्रोल रूम दौसा | RJ14PB0620 |
| 8 | रामावतार सिंह गुर्जर | 9694269507 | पीएस, मानपुर सिकराय | RJ14PB5134 |
| 9 | शिव चरण | 9784310646 | गीजगढ | RJ14PC5263 |
| 10 | मदनलाल मीना | 9784435585 | पुलिस थाना, बसवा | RJ14PC7547 |
| 11 | जयसिंह गुर्जर | 8058024121 | पीएस, बांदीकुई | RJ14PC7437 |
| 12 | राजेन्द्र प्रसाद मीना | 9929205157 | गीजगढ | RJ14PC7275 |
| 13 | निहालसिंह मीना | 9509773341 | पुलिस कन्ट्रोल रूम दौसा | RJ14PD0593 |
| 14 | रामखिलाडी मीना | 9887132921 | सीएचसी, मण्डावरी | RJ14PC0010 |
| 15 | रंगलाल सैनी | 9929212658 | पुलिस थाना, बसवा | RJ14PC5263 |
| 16 | महेन्द्र कुमार मीना | 9983494730 | नांगल राजावतान | RJ14PC7437 |
| 17 | अशोक कुमार सैनी | 9829107223 | मण्डावर महवा | RJ14PC7275 |
| 18 | सुमेर सिंह | 9680148258 | सैंथल | RJ14PD0592 |
| 19 | दीनदयाल मीना | 9785174803 | पीएस, महवा | RJ14PD0621 |
| 20 | मुकेश कुमार शर्मा | 8952860503 | मण्डावर–महवा | RJ14PD7275 |
| 21 | अमर सिंह | 8239618428 | बालाहेडी | RJ14PD0593 |
| 22 | रमेश शर्मा | 9829805904 | सीएचसी लवाण | RJ14PD0010 |
| 23 | सुखराम मीना | 9414613588 | नांगल राजावतान | RJ14PD0592 |
| 24 | रामभरोसी मीना | 7665130846 | पीएस, महवा | RJ14PD0621 |
| 25 | कमलसिंह गुर्जर | 9785221096 | पीएस सैंथल | RJ14PD0592 |
| 26 | हेमन्त कुमार | 9667954057 | पीएस महवा | RJ14PD0621 |
| 27 | खुशीराम मीना | 9694722451 | सीएचसी लवाण | RJ14PD0010 |
| 28 | नरेश | 9414584212 | बालाहेडी | RJ14PD0593 |
| 29 | अशोक सिंह | 9413109555 | पीएस, महवा | RJ14PD0621 |

### 17.6 अग्निशमन केन्द्र आपात सम्पर्क नम्बर –

| क.सं. | अग्निशमन केन्द्र | सम्पर्क |
|---|---|---|
| 1 | दौसा | 01427– 224590 (101), 223933, 369768, 9782369768 |
| 2 | लालसोट | 01431–260040, 9530430013 |
| 3 | बांदीकुई | 01420–222053 |

### 17.7 आपदा प्रबन्धन विभाग एवं प्राधिकरण

| **पदनाम** | विभाग / प्राधिकरण | **सम्पर्क** |
|---|---|---|
| उपाधीक्षक | राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली | 011–26701701<br>011–26701704 |

| | | |
|---|---|---|
| कार्यकारी निदेशक | राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली | 011—26712851<br>011—26882786 |
| जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट | जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, दौसा | 01427—510777<br>01427—223666 |
| महानिदेशक | राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद बल | 011—26712851<br>011—26882786 |
| उप कमाण्डेन्ट | एनडीआरएफ नारेली, किशनगढ, अजमेर | 9414005412 |
| कमाण्डेन्ट | एनडीआरएफ गांधीनगर, गुजरात | 09428826445 |
| शासन सचिव | आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर | 9414080525 |
| संयुक्त सचिव | आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर | 9414180289<br>0141—2227985 |
| राज्य आपातकालीन नियंत्रक केन्द्र | आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर | 0141—2227403<br>1070—टोल फ्री |
| एडीजी एसडीआरएफ | एसडीआरएफ, जयपुर | 9413444066 |

## 17.8 पुलिस एवं गृह रक्षा विभाग दौसा में तैराकों की सूची

| क्र.सं. | नाम अधिकारी / कर्मचारी | पद | पदस्थापित स्थान | मो0 नम्बर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नानगराम | स.उ.नि. | पुलिस लाईन दौसा | 8559820669 |
| 2 | श्री विजय सिंह | हैड का.नि. | पुलिस लाईन दौसा | 9929036775 |
| 3 | श्री हरिसिंह | हैड का.नि. | थाना मण्डावरी | 9785784223 |
| 4 | श्री मन्दीप सिंह | कानि. | थाना सिकन्दरा | 9667505749 |
| 5 | श्री कमल सिंह | कानि. | पुलिस लाईन दौसा | 9783744303 |
| 6 | श्री मुकेश | कानि. | चौकी लांका | 9875257673 |
| 7 | श्री मकबूल खान | कानि. | पुलिस लाईन दौसा | 8094820962 |
| 8 | श्री हेमराज | कानि. | पुलिस लाईन दौसा | 8741010406 |
| 9 | श्री दीवान सिंह | कानि. | पुलिस लाईन दौसा | 9602308560 |
| 10 | श्री विनोद सैनी | कानि. | पुलिस लाईन दौसा | 8107126524 |
| 11 | श्री रामराज | कानि. | थाना सिकन्दरा | 9166823472 |
| 12 | श्री सीताराम | स्वयं सेवक | गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा | 8854008289 |
| 13 | श्री लक्ष्मण सिंह | स्वयं सेवक | गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा | 9928526772 |
| 14 | श्री हीरालाल | स्वयं सेवक | गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा | 8562029766 |
| 15 | श्री रामकिशोर | स्वयं सेवक | गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा | 9001843889 |
| 16 | श्री अजीतसिंह | स्वयं सेवक | गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दौसा | 8239371537 |

## 17.9 पुलिस लाईन दौसा में उपलब्ध बचाव उपकरण की सूची

| उपकरण का नाम | मात्रा |
|---|---|
| गमबूट प्लास्टिक | 25 नग |
| लाईफ जैकेट तैराकी | 14 नग |
| फस्ट एड बॉक्स | 1 नग |
| रस्सा जूट का 20 फिट | 10 नग |
| प्लास्टिक रस्सा | 150 कि.ग्रा. |
| फावडा | 30 नग |
| बाल्टी प्लास्टिक | 4 नग |

| | |
|---|---|
| ड्रगन लाईट | 22 नग |
| इमरजेन्सी लाईटिंग सिस्टम | 1 नग |
| दूरबीन | 1 नग |

**17.10 जल संसाधन विभाग के पास उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची–**

1. **सामग्री–** वर्तमान में निम्नानुसार खाली कट्टे एवं मिट्टी से भरे हुए कट्टे उपलब्ध है।

| स्थान | खाली कट्टे | मिट्टी के भरे कट्टे |
|---|---|---|
| बांदीकुई | 1000 | – |
| महुवा | 1000 | – |
| कालाखों बांध | 1000 | 500 |
| लालसोट | 1000 | – |
| रेडियों बांध | 1000 | 500 |
| माधोसागर बांध | 1000 | 500 |
| सिकराय | 1000 | – |
| दौसा | 2000 | – |
| मोरेल बांध | 2000 | 1000 |
| सैंथल सागर बांध | 1000 | 500 |

2. आपदा स्थिति के समय ब्लॉक–मुख्यालय पर आरक्षित सामग्री की सूची :–

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | नग |
|---|---|---|
| 1 | बडे बांस 20′ | 20 |
| 2 | छोटे बांस | 20 |
| 3 | बल्ली | 10 |
| 4 | रस्सा मोटा 100′(जो ट्रेक्टर को खींच सके) | 1 |
| 5 | रस्सा पतला 100′′(जो आदमी को खींच सके) | 1 |
| 6 | टॉर्च (4 सेल वाली) | 4 |
| 7 | टार्र पोलीन | 2 बण्डल |
| 8 | तगारी | 20 |
| 9 | फावडे | 10 |
| 10 | गैंती | 2 |
| 11 | सब्बल | 2 |
| 12 | छाते | 4 |

## अध्याय : 18

## तहसील बसवा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017

1. तहसील बसवा अलवर सिकन्दरा मेघा हाईवे पर स्थित है। तहसील बसवा से अलवर जिले की राजगढ एवं दौसा जिले की महवा, सिकराय एवं दौसा तहसीला की सीमाएं मिलती है।
2. तहसील बसवा में कोई सम्भावित खतरा नही है।
3. यातायात व्यवस्था हेतु तहसील बसवा में रेल मार्ग एवं मेघा हाईवे है जो तहसील मुख्यालय के पास ही उपलब्ध है। तहसील क्षेत्र में दिल्ली से जयपुर एवं आगरा से जयपुर वाया बांदीकुई रेल मार्ग है एवं अलवर से सिकन्दरा मेघा हाईवे एवं सिकन्दरा से जयपुर नेशनल हाईवे 11 उपलब्ध है।
4. (क) तहसील मुख्यालय से करीब एक किमी. पर सी.एस.सी. अस्पताल एवं पशु डिसपेंसरी है।

   (ख) तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन व्यवस्था नही है परन्तु 15 किमी. पर बांदीकुई नगर पालिका में अग्निशमन व्यवस्था है।

   (ग) तहसील मुख्यालय पर बिजली की व्यवस्था हेतु मुख्यालय से कुछ दूरी पर पावर ग्रिड स्थित है।

   (घ) तहसील मुख्यालय पर पीने के पानी की व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा की जा रही है।
5. **तहसील में कुल 248 ग्राम एवं 44 ग्राम पंचायत है।**
6. **तहसील की जनसंख्या – 279603**
7. एपीएल / बीपीएल / अन्य
8. तहसील क्षेत्र में सेना से सेवानिवृत, चिकित्सक, कम्पाउंडर, वैद्य, मशीनरी, वाहन चालक, तैराक इलैक्ट्रिशियन आदि मौजूद है।
9. तहसील क्षेत्र में जीविकोपार्जन हेतु कृषि / व्यवसाय / नौकरी / अन्य इत्यादि है।
10. तहसील क्षेत्र बसवा में मुख्य फसल खरीफ की है।
11. तहसील क्षेत्र बसवा में 1 सांवा नदी गुजरती है एवं 4 बांध एवं नाले है जिनकी स्थिति ठीक है

12. तहसील क्षेत्र बसवा में बीएसएनएल/एयरटेल/रिलायंस/आयडिया एवं पोस्टऑफिस आदि संचार के साधन है।
13. तहसील बसवा में 1 प्राईवेट कॉलेज/ 6 सरकारी स्कूल 30 प्राईवेट स्कूल/ 3 धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र इत्यादि है।
14. तहसील बसवा में बचाव उपकरण उपलब्ध है।
15. तहसील बसवा में उपलब्ध अधिकारी कार्मिको सूची संलग्न है।
16. तहसील बसवा में बांदीकुई 1 नगरपालिका है।
17. तहसील क्षेत्र बसवा में रीको के अंतर्गत औद्योगिक ईकाइयां स्थित है।
18. तहसील बसवा में मेडिकल दुकानें/सरकारी एवं प्राईवेट अस्पताल/डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ/रेस्टोरेंट व हलवाई आदि उपलब्ध है।

**गैंस ऐंजेसी/गैस गोदाम/पैट्रोल पम्प की सूचीः–**

| **अनुज्ञाधारक का नामृ** | **पैट्रोल पंप/गैंस एजेन्सी का नाम** |
|---|---|
| दिनेश चन्द शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा | मैं0 दिनेश एन्टरप्राईजेज बांदीकुई |
| रामजीलाल छावडी | दी.वे.रे.एम.को.सोसायटी लि. बांदीकुई |
| ए.एन. गुप्ता पुत्र एन के गुप्ता | बसवा इन्डेन गैस सर्विस बसवा |
| श्री कपुर चन्द | मै. मानपुर एग्रो सर्विस मानपुर |
| राजेश्वरी शर्मा पत्नि द्वारका प्रसाद शर्मा | मै. हर्ष किसान सर्विस सेन्टर ग्राम किशोरपुर बसवा |
| श्री रतन लाल | मैं0 रतन सर्विस स्टेशन सिकंदरा रोड बांदीकुई |
| धमेन्द्र कुमार पुत्र छाजूराम यादव | मैं0 कोमल इंडियन गुढाकटला, बांदीकुई |

**तहसील क्षेत्र में आश्रय स्थलों की सूची**

1. चांदेरा स्कूल भवन
2. गुढाकटला स्कूल भवन एवं पंचायत भवन
3. अरनियां स्कूल भवन एवं पंचायत भवन
4. प्रतापपुरा स्कूल भवन एवं पंचायत भवन
5. बडियाल कलां एवं रलावता स्कूल भवन एवं पंचायत भवन
6. बसवा सीनियर स्कूल भवन, पंचायत भवन एवं तहसील भवन
7. अग्रवाल धर्मशाला, बांदीकुई

**8.** पंचायत धर्मशाला, बांदीकुई

**9.** खण्डेलवाल धर्मशाला, बांदीकुई

**10.** जैन धर्मशाला, बांदीकुई

**11.** ब्राहमण धर्मशाला, बांदीकुई

**12.** जैन धर्मशाला, बसवा

**13.** चौधरी धर्मशाला, बसवा

**14.** खण्डेलवाल धर्मशाला, बसवा

**15.** अग्रवाल धर्मशाला, बसवा

19. भारी मशीनरी में जेसीबी, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि उपलब्ध है।

**20. कार्यालय तहसीलदार बसवा अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची**

| क्र.सं. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | पद | शाखा | मोबाईल न0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमति सुमन चौधरी | तहसीलदार | | 9530312185 |
| 2 | श्री सुरेश चन्द शर्मा | नायब तहसीलदार | | 9530312437 |
| 3 | श्री शिवराम मीना | त.रा.लेखाकार | टी.आर.ए | 9530312200 |
| 4 | श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा | लिपिक ग्रेड–प्रथम | संस्थापन लेखा | 9414627710 |
| 5 | श्री बनवारी लाल शर्मा | लिपिक ग्रेड–प्रथम | रीडर राजस्व | 9414825456 |
| 6 | श्री दशरथ कुमार शर्मा | लिपिक ग्रेड– द्वितीय | पंजीयन,कैश | 9549945794 |
| 7 | श्री योगेन्द्र जीत कुण्डारा | सूचना सहायक | विविध शाखा | 8058260952 |
| 8 | श्री विष्णु कुमार शर्मा | पटवारी | एलआरसी | 9530312440 |
| 9 | श्रीमती मंजू सैनी | पटवारी | एलआरसी | |
| 10 | श्रीमती कविता शर्मा | पटवारी | भू.अ. शाखा | 9530312438 |
| 11 | सु.श्री. पूजा सेठी | जे.ए.कनिष्ठ लेखाकार | संस्थापन लेखा | 9460638417 |

**21. कार्यालय तहसीलदार बसवा के पटवार मंडल एवं पटवारी मय मोबाईल नम्बर**

| क्र.स | तहसील | पटवार मंडल | पटवारी का नाम | पटवारी मोबाईल न. | पटवारी एसएसओ आई.डी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बसवा | बसवा ए | प्रतापसिंह मीना | 9530312195 | |
| 2 | बसवा | बसवा 'बी' 'सी' | अनिल कुमार शर्मा | 9530312192 | |
| 3 | बसवा | पंडितपुरा | अमर सिंह मीना | 9530312232 | |
| 4 | बसवा | कौलाना | अन्नी बाई सैनी | 9530312224 | |
| 5 | बसवा | गुल्लाना | रामावतार माली | 9530312197 | |
| 6 | बसवा | ऐचेडी | दिनेश चन्द सैनी | 9530312223 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | बसवा | बडियाल खुर्द | लक्ष्मीनारायण | 9530312201 | |
| 8 | बसवा | गुढाकटला | ममता मीना | 9530312199 | |
| 9 | बसवा | रेहडिया | वृन्दावन बिहारी | 9530312196 | |
| 10 | बसवा | गुढलिया | रमाकान्त शर्मा | 9530312209 | |
| 11 | बसवा | कोलवा | अमरचन्द बैरवा | 9530312228 | |
| 12 | बसवा | भोजवाडा | ताराचन्द सैनी | 9530312208 | |
| 13 | बसवा | भांवता | अजीतसिंह यादव | 9530312203 | |
| 14 | बसवा | गादरवाडा गुजरान | केदार सिंह राघव | 9530312202 | |
| 15 | बसवा | देलाडी | अशोक कुमार सैनी | 9530312443 | |
| 16 | बसवा | बांदीकुई जागीर | सुखबाई सैनी | 9530312187 | |
| 17 | बसवा | भाण्डेडा | रमेश चन्द सैनी | 9530312225 | |
| 18 | बसवा | पीचूपाडा खुर्द | राजन्ती गुर्जर | 9530312207 | |
| 19 | बसवा | पीचूपाडा कला | रामावतार मीना | 9530312216 | |
| 20 | बसवा | उंन बडागांव | जगदीश प्रसाद बैरवा | 9530312212 | |
| 21 | बसवा | बडियाल कला | अजय राज | 9530312217 | |
| 22 | बसवा | मूण्डघिस्या | लेखराज मीना | 9530312190 | |
| 23 | बसवा | बासडा | दिनेश बैंसला | 9530312219 | |
| 24 | बसवा | अन्नतवाडा | गोपीराम मीना | 9530312188 | |
| 25 | बसवा | बिवाई | पीतम बाई मीना | 9530312457 | |
| 26 | बसवा | गुढा आशिकपुरा | प्रकाश कुण्डारा | 9530312459 | |
| 27 | बसवा | गोलाडा | प्रेम चन्द सैनी | 9530312211 | |
| 28 | बसवा | निहालपुरा | रविकान्त शर्मा | 9530312206 | |
| 29 | बसवा | ढिगारीयाभीम | कृपाल मीना | 9530312231 | |
| 30 | बसवा | पून्दरपाडा | गुलाब चन्द सैनी | 9530312226 | |
| 31 | बसवा | बालाहेडा | मुकेश चन्द मीना | 9530312230 | |
| 32 | बसवा | लोटवाडा | टूण्डाराम मीना | 9530312229 | |
| 33 | बसवा | श्यालावास खुर्द | रानू तिवाडी | 9530312189 | |
| 34 | बसवा | आभानेरी | सुनिता मीणा | 9530312198 | |

# अध्याय : 19

## तहसील दौसा आपदा प्रबन्धन योजना– 2017

तहसील परिचय, सम्भावित खतरा, मूलभूत संसाधन एवं आपदा प्रबंधन योजना

1. **तहसील परिचय एवं संभावित खतरा** :–

1. तहसील का नाम और परिचय- दौसा, जिला दौसा राजस्थान। तहसील दौसा, मुख्यालय पर स्थित है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर से 55 किमी दूरी 26 डिग्री 22 मिनट से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 55 मिनट से 78 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। दौसा तहसील में धार्मिक स्थल चारों दिशाओं में चार शिव मंदिर है व पहाड़ी पर स्थित नीलकण्ठ महादेव जी व पश्चिम की तरफ गुप्तेश्वर जी, पूर्व की तरफ सोमनाथजी, दक्षिण में वैजनाथ महादेव व सहजनाथ महादेव के मंदिर हैं। दौसा देवनगरी के नाम से प्रसिध्द है। दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। दौसा में 2 किमी दक्षिण की तरफ गेटोलाव धाम पर सन्त दादूदयाल का धार्मिक स्थल है। तथा NH-11 पर गिर्राज धरण एवं गोविन्द देव जी के मंदिर स्थित हैं तथा लालसोट रोड़ पर शाह जमाल बाबा की दरगाह स्थित है। तहसील का कुल क्षेत्रफल 52404 है। यहाँ का औसतन तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तहसील की औसत वार्षिक वर्षा 550 मिमी. है। तहसील जमवारामगढ, बस्सी, राजगढ़, लवाण, नांगल राजावतान, सिकराय, बांदीकुई आदि तहसीलों से सीमाएं मिलती हैं।
2. तहसील में संभावित खतरा- अतिवृष्टि से बाढ,सूखा,अग्निकाण्ड, राजनैतिक उपद्रव, सामाजिक झगड़े,गूर्जर आरक्षण आंदोलन, चुनाव आदि के समय संभावित झगड़ा एवं सड़क दुर्घटना एवं रेल्वे दुर्घटना, तहसील क्षेत्र में होकर मुम्बई से मथुरा तेल पाइप लाईन गुजरती है।
3. यातायात व्यवस्था – बीकानेर और जयपुर–आगरा जोड़ने वाला NH-11 एवं 11–ए तहसील मुख्यालय से गुजरता है इसके अलावा जिला मुख्यालय पर रेलवे के कारण सभी तहसीलों एवं पड़ोसी जिलों के लिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग उत्तरी–पश्चिम ब्राडगेज जयपुर से देहली मार्ग से जुड़ा हुआ है।
4. तहसील में मूलभूत संसाधन-

**डिस्पेंसरी/अस्पताल- डिस्पेंसरी एवं पशु डिस्पेंसरी।**

1. श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा।
2. राजकीय आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय दौसा।
3. राजकीय पशु चिकित्सालय दौसा।
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र सोमनाथ नगर दौसा।

5. उप स्वास्थ्य केन्द्र सैंथल मोड दौसा।

**निजी चिकित्सालय-**

1. कृष्णा हॉस्पीटल दौसा
2. राय नर्सिंग होम
3. शारदा हॉस्पीटल
4. हेमा मेटरनिटी होम
5. राजधानी हॉस्पीटल दौसा
6. जीवन हॉस्पीटल दौसा
7. गीता जनरल हॉस्पीटल दौसा
8. गुप्ता दन्त चिकित्सालय
9. शर्मा दन्त चिकित्सालय
10. विनायक दन्त चिकित्सालय
11. तिवाड़ी हॉस्पीटल दौसा
12. प्रकाश हॉस्पीटल
13. दुर्गा नर्सिंग होम
14. जिला चिकित्सालय दौसा
15. केशरदेवी अस्पताल दौसा
16. कौशल मेटरनिटी होम दौसा
17. किरण नर्सिंग होम दौसा

**(क) तहसील क्षेत्र में उपलब्ध अग्निशमन की सुविधा-**

नगर परिषद् दौसा में अग्निशमन कार्यालय में तीन अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं।

**(ख) तहसील में बिजली व्यवस्था -**

पावर ग्रिड स्टेशन तहसील मुख्यालय पर स्थित है जिससे घरेलु व्यवसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा वितरित किये गये हैं।

**(ग) पेयजल व्यवस्था-**

सम्पूर्ण शहर में नल योजना संचालित है तथा जगह-जगह आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगे हुए हैं। आपात स्थिति में टैंकरो द्वारा पेयजल आपूर्ति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है।

**5. तहसील ग्राम पंचायतों की संख्यामय क्षेत्रफल एवं चिन्हित गांव-**

तहसील में ग्रामों की संख्या-133

1. तहसील में भू. अ. नि. क्षेत्र 10 व पटवार मण्डल 38

2. तहसील में बाढ संभावित ग्रामों की संख्या-20

1. सैंथल 2. चक हबीबवाला 3. बाढ राजघर 4. हबीबवाला 5. बीनावाला 6. बोरोदा 7. रामपुरा उर्फ महाराजपुरा 8. बिहारीपुरा 9. झेरा 10. चांदराना 11. मालपुरा 12. दौसा कलां 13. दौसा खुर्द 14. नामोलाव 15. भांडारेज 16. कांदोली 17. रुडमल का बास 18. चैना का बास 19. बैरावास

**6. तहसील की जनसंख्या एवं हाउसहोल्ड (घर/परिवार)-**

| कुल परिवार | पुरुष | महिला | कुल जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 73131 | 220422 | 200515 | 420937 |

तहसील में साक्षरता दर (वर्ष 2011 की जनगणना का अनुसार)-

| |
|---|
| साक्षरता दर 68.62 प्रतिशत है। |

7. एपीएल/बीपीएल/अन्य मौजूद है।

**8.दक्ष लोगों का विवरण-**

| क्र. सं. | नाम होमगार्ड स्वयं सेवक | सदस्य सं. | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री गोपाल लाल | 91 | 9166011269 |
| 2 | श्री राधाकिशन | 53 | 9602459983 |
| 3 | श्री विजय सिंह | 98 | 9928323399 |
| 4 | श्री सरदार सिंह | 263 | 8890546673 |
| 5 | श्री हंसराज | 73 | 9928027742 |
| 6 | श्री रामरतन | 217 | 9001203310 |
| 7 | श्री रामरतन | 55 | 8782050605 |
| 8 | श्री धारा सिंह | 182 | 9636056743 |
| 9 | श्री बसराम | 63 | 9602921401 |
| 10 | श्री रमेश चन्द | 21 | 9636404717 |
| 11 | श्री भौंरी लाल | 131 | 9636326032 |
| 12 | श्री कुमेर सिंह | 99 | 9928739499 |
| 13 | श्री कानाराम | 97 | - |
| 14 | श्री रामकरण | 33 | 9950971995 |
| 15 | श्री रमाकान्त | 62 | 9694398781 |
| 16 | श्री महेन्द्र सिंह | 81 | 9166180026 |
| 17 | श्री रामकिशोर | 42 | 9001843889 |
| 18 | श्री अजीत सिंह | 69 | 8239371537 |
| 19 | श्री विजय सिंह | 52 | 9887634086 |
| 20 | श्री भरत सिंह | 166 | 9887767815 |
| 21 | श्री सुरेश कुमार | 153 | 9460563619 |
| 22 | श्री सवाई सिंह | 156 | 9166617498 |
| 23 | श्री लक्ष्मण प्रसाद | 107 | 9928526772 |
| 24 | श्री भगवान सहाय | 03 | 9929729741 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | श्री रुप सिंह | 157 | 9460563619 |
| 26 | श्री रामचरण | 125 | 9166602723 |
| 27 | श्री धर्मसिंह | 150 | 9828360891 |
| 28 | श्री सुमेर सिंह | 113 | 8058253067 |
| 39 | श्री हीरालाल | 05 | 8562029766 |

**चिकित्सक-**

1. डॉ महेश शर्मा
2. डॉ. रकम सिंह मीना हड्डी रोग
3. डॉ. दिनेश मीना सर्जन
4. डॉ. आर.के. मीना
5. डॉ. रामवीर चौधरी
6. डॉ. रवीन्द्र शर्मा
7. डॉ. सी.एल. मीना

**<u>मेल नर्स</u>**

1. श्री अशोक शर्मा
2. श्री थानसिंह मीना
3. श्री लक्ष्मण सैनी
4. श्री महेश शर्मा
5. श्री योगेन्द्र वर्मा
6. श्री मनीष शर्मा
7. श्री विजय गुप्ता
8. श्री राजबहादूर शर्मा

**<u>सेवा- निवृर्त चिकित्सक</u>**

डॉ. संतोष वार्ष्णेय

डॉ. आर.डी. पण्डा

9. जीविकोपार्जन- कृषि/ मजदूरी/व्यवसाय/राजकीय सेवा/निजी संस्थानों में नौकरी। सभी प्रकार के व्यक्ति हैं।

10. मुख्य फसल- खरीफ, रबी, जायद रबी।

11. बाँध, नदी, तालाब की स्थिति-

तहसील क्षेत्र के आंशिक भाग में बाण गंगा नदी वर्षा के समय व अन्य वर्षाती नाले बहते हैं।

**बांध-**

| | |
|---|---|
| कालाखो बांध | सैंथल सागर बांध |
| महेसरा कलां बांध | हरिपुरा बांध |
| चांदराना बांध | सैंथल बांध |
| रामपुरा बांध | सिण्डोली बांध |
| भांकरी बांध | गेटोलाव बांध |
| नामोलाव बांध | महेसरा खुर्द बांध |

12. संचार के साधन- BSNL/अन्य एजेन्सी के टावर हैं।

रिलायंस, आईडिया, वोडाफोन, ऐयरसेल, ऐयरटेल टावर लगे हुए हैं तथा प्रधान डाकघर व कलेक्ट्रेट दौसा में डाकघर की व्यवस्था है।

13. **स्कूल/कॉलेज (प्राइवेट/सरकारी)/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र की सूची-**

1- राज.सी.सै.स्कूल सैंथल 2-राज.सी.सै.स्कूल सैंथल(छात्रा) राज.प्रा. शाला हबीबवाला 4- राज.उ.प्रा.विद्यालय बीनावाला 5- राज.सी.सै.विद्यालय चांदराना 8- राज.उ.प्रा.विद्यालय बिहारीपुरा 9- राज.उ.प्रा.विद्यालय झेरा 10- राज.उ.प्रा.विद्यालय मालपुरा 11-राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा 12- राज.सी.सै.स्कूल रामकरण विद्यालय दौसा 13- राज.सी.सै.स्कूल रेलवे दौसा 14- राज.सी.सै.स्कूल भांडारेज 15- राज. मा. विद्यालय कालाखो 16- राज.सी.सै.स्कूल रुडमल का बास 17- राज.सी.सै.स्कूल मूंडघिस्या 18- राज. प्रा. शाला बैरावास ( बाणे का बरखेड़ा)

धर्मशाला- जैन धर्मशाला, चौधरी धर्मशाला

स्वयं सेवी संस्थानों की सूची- 1.भारत विकास परिषद् दौसा।
2.लायन्स क्लब दौसा।
3.ट्रक यूनियन दौसा।

14. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची-

आपदा प्रबंधन योजना के तहत अग्निशमन संबंधित उपलब्ध संसाधनों का विवरण- तहसील क्षेत्र में नगरपरिषद् दौसा में निम्नांकित संसाधन उपलब्ध है।

1. पंप 3 नग
2. हौज 10 नग
3. संरक्षण हौज 3 नग
4. रस्सा 2.50 इंच 225 फीट

5. रस्सा1/2 इंच 250 फीट

6. मिट्टी के कट्टे 600 हर समय

15. तहसील में उपलब्ध राजकीय अधिकारी/कार्मिकों के नाम व दूरभाष नम्बर-

तहसील दौसा के अधिकारियों व कार्मिकों की मोबाईल नम्बर की सूची

| क्रम संख्या | नाम कार्मिक | पद स्थापन स्थान | अतिरिक्त पद स्थापन स्थान | मोबाईल न. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रिक्त | तहसीलदार दौसा | - | - |
| 2. | श्री अनिल कुमार गोयल | नायब तहसीलदार दौसा | | 9530312353 |
| 3. | श्री चन्द्रपाल सिंह | नायब तहसीलदार सैंथल | | 9530312423 |
| 4. | श्री राकेश चन्द शर्मा | आफिस कानूनगो दौसा | ILR सैंथल | 9530312356 |
| 5. | श्री अंगदराम खटीक | अतिरिक्त आफिस कानूनगो सैंथल | | 9530312371 |
| 6. | श्री बाबूलाल मीना | लीव रिजर्व ILR तहसील दौसा | | 9530312380 |
| 7. | श्री नवलकिशोर शर्मा | ILR दौसा | ILR सूरजपुरा | 9530312357 |
| 8. | श्री कैलाश चन्द जोशी | ILR बापी | | 9530312355 |
| 9. | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा | ILR नांगल बैरसी | ILR भांकरी | 9530312463 |
| 10. | श्री कैलाश प्रसाद मीना | ILR जसोता | ILR कुण्डल | 9530312363 |
| 11. | श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता | ILR भांडारेज | ILR कालाखो | 9530312365 |
| 12. | श्री रमेश चन्द वर्मा | | चुनाव शाखा SDO office dausa | 9530312421 |
| 13. | श्री राकेश गोठवाल | | कलक्टर निवास दौसा | 9530312425 |
| 14. | सोहनलाल शर्मा | सैंथल | तीतरवाडा कलां | 9530312361 |
| 15. | बीना मीना | खैरवाल | | 9530312362 |
| 16. | चन्द्रशेखर शर्मा | भाण्डारेज B | भाण्डारेज A,C | 9530312464 |
| 17. | चन्द्रपाल मीना | कालीपहाडी | बिशनपुरा | 9530312367 |
| 18. | मुकेश कुमार सैनी | कुण्डल | बीनावाला | 9530312373 |
| 19. | विश्वेन्द्र दतात्रेय | A.P.O. | बाणे का बरखेडा | 9530312375 |
| 20. | कुलदीप शर्मा | कालोता | | 9530312374 |
| 21. | मोहनलाल शर्मा | रलावता | गांगल्यावास, सुरजपुरा | 9530312377 |
| 22. | लोकेश वर्मा | जसोता | नांगलचापा | 9530312462 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | प्रेमचन्द बैरवा | महेश्वराखुर्द | जोपाडा | 9530212370 |
| 24. | श्रवण गुर्जर | खुरीकलां | खुरीखुर्द | 9530312383 |
| 25. | गिर्राज गुर्जर | नांगलबैरसी | बोरोदा | 9530312368 |
| 26. | मालीराम टेलर | कालाखो | गोठडा | 9530312387 |
| 27. | राकेश कुमार शर्मा | दौसाकलां | दौसा खुर्द | 9530312391 |
| 28. | शिवलहरी अवस्थी | जिरोताखुर्द | चांदराना | 9530312386 |
| 29. | मुकेश शाहरा | चावण्डेडा | | 9530312399 |
| 30. | रामकिशोर गुप्ता | बापी | भंडाना | 9030312395 |
| 31. | ममता बैनीवाल | महेश्वराकलां | | 9530312369 |
| 32. | रूकमणी शर्मा | काबलेश्वर | | 9530312364 |
| 33. | कृष्णा रैगर | भांकरी | | 9530312378 |
| 34. | मनीषा मीना | पालावास | | 9530312388 |
| 35. | केदार गुर्जर | सिण्डोली | बड़ोली | 9530312392 |
| 36. | योगिता सामरिया | L.R.P. | | 9530312466 |
| 37. | गुड्डी मीना | L.R.P. | | 9530312434 |
| 38. | विमल कुमार मीना | L.R.P. | | 9530312431 |
| 39. | गायत्री शर्मा | R.P.G. | | 9772202896 |
| 40. | राजकुमार बेनीवाल | R.P.G. | | 9530312396 |

**16.** नगरपालिका का नाम, क्षेत्रफल, उपलब्ध संसाधन प्रभारी अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर-

नगर परिषद् दौसा में आपदा प्रभारी नरेश कुमार मीना है।

दूरभाष-9460139569

सह प्रभारी चन्द्र प्रकाश मीना मो. न.-9460952737

रघुवीर प्रसाद शर्मा मो. न. - 9414641846 इनके साथ नगर परिषद् के 20 सफाई कर्मी, ड्राईवर तैनात हैं।

**17.** तहसील क्षेत्र में उपलब्ध मुख्र्य औधोगिक इकाइयों का नाम, संपर्क नंबर-

दौसा में 64 औद्योगिक इकाईया तथा बापी में 105 औधोगिक इकाईया क्रियाशील है। जिसकी सूची संलग्न है

**18.** उपलब्ध मेडीकल दुकानों, सरकारी /प्राइवेट अस्पतालों व डिस्पेंशरी का नाम , बिस्तरों की क्षमता, डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की संख्या,पेट्रोल पंप/गैस एजेन्सी, तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध आश्रय स्थलों के नाम व पता, रेस्टोरेन्ट व हलवाईयों की सूची-

**(क) उपलब्ध मेडिकल दूकान**

1. नामा मेडिकल स्टोर दौस
3. मामोडिया मेडिकल स्टोर दौसा
4. सोनी मेडिकल स्टोर दौसा

5. नवजीवन मेडिकल स्टोर दौसा

6. मोहित मेडिकल स्टोर दौसा

7. खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर दौसा

(ख) उपलब्ध चिकित्सा संस्थान

| क्र. सं. | चिकित्सा संस्थान का नाम | स्टॉफ | | | बैडो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नर्सिंग | पैरामेडिकल | चिकित्सक | |
| 1. | सैंथल | 8 | 4 | 5 | 30 |
| 2. | भाण्डारेज | 9 | 6 | 6 | 30 |
| 3. | शहरी पीएचसी सैंथल मोड़ दौसा (संविदा) | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | शहरी पीएचसी सोमनाथ चौराहा दौसा (संविदा) | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5. | कुण्डल | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | नांगल बैरसी | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 7. | खानवास | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 8. | बापी | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 9. | तीतरवाड़ा | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 10. | खारण्डी | 4 | 1 | 1 | 6 |

**(ग)**

**पेट्रोल पम्प**

| अनुज्ञाधारक का नाम | पेट्रोल पम्प का नाम |
|---|---|
| श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र प्यारेलाल | मै0 मित्रपुरा बी.पी.सी. फिलिंग स्टेशन भाण्डारेज मोड आगरा रोड दौसा |
| श्री मीना वर्मा पत्नि योगेश | मै0 पंचशील पेट्रोल पम्प खेरवाल रोड भण्डाना दौसा |
| श्रीमति सपना बंशीवाल पुत्री जियालाल बंशीवाल | मै0 बंशीवाल स्टेशन बापी, दौसा |
| श्री लक्ष्मण स्वरूप पुत्र त्रिवेणी श्याम | मै0 लक्ष्मण स्वरूप एण्ड कम्पनी लालसोट रोड दौसा |
| श्री ताराचन्द पुत्र भुरीलाल, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लल्लूप्रसाद जैन | मैं0 लल्लूप्रसाद जैन आगरा रोड दौसा |
| श्री रामोवतार चौधरी पुत्र सत्यनारायण महाजन | मैं0 चौधरी फिलिंग स्टेशन दौसा |
| श्री रामलाल बैरवा | मैं0 गोठवाल सर्विस सेंटर आगरा रोड दौसा |
| श्री रमेश चन्द महावर पुत्र हीरालाल महावर | मैं0 कृष्ण फिलिंग स्टेशन सैंथल, दौसा |

**गैस एजेन्सी**

| अनुज्ञाधारक का नाम | गैंस एजेन्सी का नाम |
|---|---|
| श्री रामनाथ पुत्र गोपीराम खटीक नि0 दौसा | मै0 अमित गैस एजेन्सी लालसोट रोड दौसा |
| श्री सुरेन्द्र मीणा पुत्र बालचन्द मीना नि0 जयपुर | प्रो0 सदाशिव भारत गैस एजेन्सी गेटोलाव रोड दौसा |

| | |
|---|---|
| श्रीमति चन्दकुमारी पत्नी सीताराम जायसवाल नि0 जयपुर | महेश गैस एजेन्सी दौसा |
| श्री जसवंत बेनीवाल पुत्र मलुकाराम बेनीवाल | श्री सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी दौसा |
| श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल पूर्विया नि0 भाण्डारेज | मै0 शीला इन्डेन ग्रामीण वितरक भाण्डारेज |

**आश्रय स्थल**

1. रेन बसेरा कोतवाली के पास दौसा
2. चौधरी धर्मशाला दौसा
3. जैन धर्मशाला दौसा

**रेस्टोरेन्ट**

1. जोधपुर मिष्ठान भण्डार दौसा
2. डोवठा वाला मिष्ठान भण्डार दौसा
3. खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार दौसा
4. कृष्णा मिष्ठान भण्डार दौसा (कोका)
5. पिंकी होटल दौसा

**हलवाई**

1. जगदीश प्रसाद शर्मा बिहारीपुरा
2. रामस्वरूप शर्मा बिहारीपुरा
3. हीरालाल हलवाई दौसा
4. रामकरण शर्मा खेडला

19. **भारी मशीनरी से संबंधित लोगों की सूची-**

जे.सी.बी ट्रैक्टर ट्राली डम्पर

1. मैं. स्वामी कन्स्टक्शन कम्पनी (प्रमोद स्वामी) ए क्लास 9929155738
– - 4 35 50

2.. मै. राजेश कुमार शर्मा ए क्लास सवेदक 9571199901
2 2 5 35 45

3. राजेन्द्रसिंह भामु एए क्लास संवेदक 9829057499
2 1 1 35 40

4.मै. झार्रा कन्स्टक्शन कम्पनी दौसा 9784153814
1 - - 20 20

# अध्याय 20

## तहसील लालसोट आपदा प्रबंधन योजना- 2017

1. तहसील का परिचयः- तहसील लालसोट जिला मुख्यालय से दक्षिण में 40 किमी. की दूरी पर स्थित है।

तहसील लालसोट पपलाज माता, ब्याई माता, बिनौरी बालाजी, बिजासणी माता खुर्रा, जिंद बावडी ग्राम टोडा ठेकला धार्मिक स्थल स्थित है। तहसील में औसत वर्षा 900 एम.एम. होती है एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 56468 है. है।

2. तहसील में संभावित खतराः- अतिवृष्टि से बाढ़ सूखा अग्निकाण्ड राजनैतिक दंगे खुर्रा माता के मेले के दौरान दंगे की संभावना
3. यातायात व्यवस्थाः- तहसील कार्यालय एन.एच. से 1 किमी. दूर स्थित है एवं चारो और से सडक मार्ग से जुडा हुआ है। जहां सरकारी बसे एवं निजि वाहन चलते है। एवं नई दौसा गंगापुर नई रेलवे लाईन लालसोट क्षेत्र में होकर गुजर रही है जिसका कार्य प्रगतिशील है।
4. **तहसील के मूल भूत संसाधन**

**(क)तहसील में पशु डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी, अस्पताल तहसील मुख्यालय पर स्थित है।**

| क्र. सं. | सरकारी व निजि अस्पताल | डॉक्टरो की संख्या | नर्स/ कम्पाउण्डरो की संख्या | बैड संख्या | आपात कालीन संसाधन | आपातकालीन सम्पर्क मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालसोट | 7 | 8 | 50 | 2 | 9351646587 |
| 2 | आयुर्वेदिक औषधालय | 1 | 1 | - | - | 9460758336 |
| 3 | नवजीवन चिकित्सालय | 5 | 12 | 32 | - | 9414078016 |
| 4 | आनन्द चिकित्सालय | 4 | 10 | 25 | - | 8238068060 |
| 5 | विनायक चिकित्सालय | 1 | 3 | 10 | - | 9462221665 |

(ख) तहसील में नगर पालिका में अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध है। जो तहसील मुख्यालय से 2 किमी. दूर है।

(ग) तहसील में बिजली की व्यवस्थाः- पावर ग्रीड़, घरेलु एवं व्यवसायिक कनेक्शन स्थित जो पावर ग्रीड व फिडर से जुडे है।

(घ) पीने की पानी की व्यवस्थाः- हैण्डपम्प, जलदाय विभाग द्वारा नल व्यवस्था एवं पानी के टैंकर, बोरवेल व कुंए इत्यादी से पीने के पानी की व्यवस्था होती है।

(छ) तहसील में उपलब्ध आपदा कालीन संसाधनः- तहसील में आपदा से निपटने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

5. तहसील में ग्रामों एवं पंचायतो के नाम व क्षेत्रफल व जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | क्षेत्रफल (बीघा में) | जनसंख्या | बाढ़ प्रभावित (हां / नहीं) | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डिडवाना | डिडवाना | 7644.08 | 13342 | हां | |
| 2 | खटुम्बर | खटुम्बर | 5255.16 | 1965 | नहीं | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | गोल | 3830.05 | 2185 | हां | |
| 4 | | कुटक्या | 1136.12 | 735 | नहीं | |
| 5 | | धौणं | 1610.04 | 576 | नहीं | |
| 6 | | घाटा | 4138.07 | 1051 | नहीं | |
| 7 | | रणहों | 497.18 | 474 | हां | |
| 8 | डिगो | डिगो | 15557.05 | 4706 | हां | |
| 9 | | खारीवाड़ा | 1680.1 | 640 | हां | |
| 10 | | लालसोट | 6031.17 | 54025 | हां | |
| 11 | निर्झरना | निर्झरना | 4750.12 | 3995 | नहीं | |
| 12 | चॉदसेन | चॉदसेन | 1574.06 | 3374 | नहीं | |
| 13 | | थलोज | 2571.13 | 1782 | नहीं | |
| 14 | | लाडपुरा | 1202.14 | 1010 | हां | |
| 15 | | चक रोडा | 35.15 | 0 | नहीं | |
| 16 | | पीताम्बर भारती | 48.14 | 34 | नहीं | |
| 17 | | चक चॉदसेन | 17.19 | 0 | नहीं | |
| 18 | | सालगरामपुराचक 1 | 322.18 | 474 | नहीं | |
| 19 | | सालगरामपुराचक 2 | 162.07 | 195 | नहीं | |
| 20 | | सालगरामपुराचक 3 | 42.19 | 13 | नहीं | |
| 21 | | सालगरामपुराचक 4 | 36.08 | 21 | नहीं | |
| 22 | | सालगरामपुराचक 5 | 36 | 79 | नहीं | |
| 23 | | सालगरामपुराचक 6 | 60.1 | 293 | नहीं | |
| 24 | | सालगरामपुराचक 7 | 72.18 | 88 | नहीं | |
| 25 | | भगवतपुरा | 673.13 | 765 | नहीं | |
| 26 | | सनक्या | 115.12 | 6 | नहीं | |
| 27 | | बाढ़ तातारसिहंचक 1 | 9.07 | 60 | नहीं | |
| 28 | | बाढ़ तातारसिहंचक 2 | 115.03 | 122 | नहीं | |
| | | | | | | |
| 29 | | बाढ़ तातारसिहंचक 3 | 18.09 | 10 | नहीं | |
| 30 | राजौली | राजौली | 747.17 | 2265 | नहीं | |
| 31 | | चकराजौली | 78.13 | 5 | नहीं | |
| 32 | | टोडागांगा चक न. 1 | 90.02 | 76 | नहीं | |
| 33 | | टोडागांगाचक न. 2व 3 | 16.07 | 0 | नहीं | |
| 34 | | भैरूवास चक न. 1 | 27.06 | 0 | नहीं | |
| 35 | | टोडागांगा | 1693.01 | 1835 | हां | |
| 36 | | श्योनन्दा की झूपड़िया | 759.03 | 521 | नहीं | |
| 37 | | टोडाधामा चक न. 2 | 7.1 | 0 | नहीं | |
| 38 | | चकसलेमाबाद | 15.04 | 0 | नहीं | |
| 39 | ईन्दावा | ईन्दावा | 2962.08 | 4078 | हां | |
| 40 | | श्योनन्दा | 791.16 | 1362 | नहीं | |
| 41 | | चकईन्दावा | 121.15 | 39 | नहीं | |
| 42 | टोडाठेकला | टोडा ठेकला | 3518.12 | 4029 | हां | |
| 43 | | भैरूवास | 1114.09 | 734 | नहीं | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | भैरूवास चक न. 5 | 3.11 | 0 | नहीं | |
| 45 | | किशनपुरा | 564 | 1148 | नहीं | |
| 46 | | पट्टीसुल्तानपुरा | 329.18 | 210 | नहीं | |
| 47 | सूरतपुरा | सूरतपुरा | 2460.19 | 5143 | हां | |
| 48 | | श्यामपुरा खुर्द | 1225.02 | 839 | नहीं | |
| 49 | पट्टीकिशोरपुरा | पट्टीकिशोरपुरा | 357.04 | 1327 | नहीं | |
| 50 | | बिनौरी | 3263.02 | 2292 | हां | |
| 51 | | जौणपा | 419.18 | 350 | नहीं | |
| 52 | | थानपुरा | 973.18 | 463 | नहीं | |
| 53 | | महाराजपुरा | 812.03 | 691 | नहीं | |
| 54 | | हमीरपुरा | 1590.05 | 1186 | हां | |
| 55 | लालपुरा | लालपुरा | 1023.11 | 1123 | नहीं | |
| 56 | | बिहारीपुरा | 864.15 | 721 | नहीं | |
| 57 | | श्रीसुखचैनपुरा | 497.14 | 529 | नहीं | |
| 58 | | रामपुरा खुर्द | 566.01 | 429 | नहीं | |
| 59 | | भामूवास | 715.1 | 507 | हां | |
| 60 | | बलरामपुरा | 413.13 | 99 | नहीं | |
| 61 | | नांगल उर्फ अभयपुरा | 860.13 | 1275 | नहीं | |
| 62 | खेमावास | खेमावास | 667.13 | 1349 | नहीं | |
| 63 | | टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा | 769.14 | 758 | नहीं | |
| 64 | | टोडाधामा चक न. 1 | 52.15 | 94 | नहीं | |
| 65 | | चक गंगारामवाला | 14.01 | 16 | नहीं | |
| 66 | | चक खातीवाला | 86.02 | 92 | नहीं | |
| 67 | | टोडाधा मामुस्तरका | 494.14 | 258 | नहीं | |
| 68 | | भैरूवास चक न. 2 | 124.16 | 304 | नहीं | |
| 69 | | भैरूवास चक न. 3 | 114.17 | 0 | नहीं | |
| 70 | | भैरूवास चक न. 4 | 48.09 | 0 | नहीं | |
| 71 | | शाहपुरा | 693.02 | 855 | हां | |
| 72 | | चक शाहपुरा | 0.12 | 0 | नहीं | |
| 73 | | नगरियावास | 945.04 | 579 | नहीं | |
| 74 | | मुकुन्दपुरा | 248.11 | 250 | नहीं | |
| 75 | | चक मुकन्दपुरा वाके नगरियावास | 38.11 | 14 | नहीं | |
| 76 | | मलवास | 380.19 | 282 | नहीं | |
| 77 | | चक मुकन्दपुरा | 5.01 | 0 | नहीं | |
| 78 | | सलेमाबाद | 129 | 129 | नहीं | |
| 79 | बिलौना कलां | बिलौना कलां | 3597.09 | 5192 | नहीं | |
| 80 | | बडेखन | 1998.12 | 1779 | हां | |
| 81 | बगड़ी | बगड़ी | 5257.11 | 4886 | नहीं | |
| 82 | खटवा | खटवा | 5784.1 | 5806 | हां | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | कांकरिया | कांकरिया | 3191 | 1013 | हां | |
| 84 | | सुन्दरपुर | 1993.01 | 1140 | हां | |
| 85 | | देवल्दा | 1580.09 | 744 | हां | |
| 86 | | कल्याणपुरा | 964.03 | 1068 | हां | |
| 87 | | बाढ कल्याणपुरा | 964.03 | 505 | नहीं | |
| 88 | | कानलोदा | 602.07 | 462 | नहीं | |
| 89 | | बाढ कानलोदा | 165 | 1 | नहीं | |
| 90 | मण्डावरी | मण्डावरी | 4709.07 | 10798 | नहीं | |
| 91 | खेडला खुर्द | खेडला खुर्द | 1224 | 2011 | नहीं | |
| 92 | | बास लक्ष्मीपुरा | 562.01 | 674 | नहीं | |
| 93 | | छावा | 978.18 | 612 | हां | |
| 94 | | रामसर | 324.08 | 1152 | हां | |
| 95 | | डिवाचली खुर्द | 715.13 | 555 | नहीं | |
| 96 | | खानपुर | 884.15 | 774 | नहीं | |
| 97 | | डिवाचलीकलां | 1986.13 | 1097 | नहीं | |
| 98 | किशोरपुरा | किशोरपुरा | 2984.16 | 2258 | नहीं | |
| 99 | | खुर्रा | 2178.05 | 1954 | नहीं | |
| 100 | महारिया | महारिया | 3360.16 | 3662 | नहीं | |
| 101 | | दौसाडा | 979.17 | 646 | हां | |
| 102 | बिलौना खुर्द | बिलौना खुर्द | 1641 | 941 | नहीं | |
| 103 | | बाडा | 955.12 | 600 | नहीं | |
| 104 | | बाढबाडा | 510.06 | 202 | नहीं | |
| 105 | | रायपुरा | 1372.1 | 690 | नहीं | |
| 106 | | अचलपुरा | 785.03 | 934 | हां | |
| 107 | | बाढअचलपुरा | 218.18 | 40 | हां | |
| 108 | | अलीपुरा | 1184.11 | 225 | नहीं | |
| 109 | देवली | देवली | 5064.19 | 3340 | हां | |
| 110 | | श्रीरामपुरा | 1583.13 | 1730 | हां | |
| 111 | | नारायणपुरा | 1237.01 | 619 | हां | |
| 112 | | मोहब्बतपुरा | 311.01 | 364 | हां | |
| 113 | | श्रीरघुनाथपुरा चक न.1 | 110.19 | 9 | नहीं | |
| 114 | | श्रीरघुनाथपुरा चक न.2 | 182.04 | 198 | नहीं | |
| 115 | | श्रीरघुनाथपुरा चक न.3 | 94.14 | 112 | नहीं | |
| 116 | मिर्जापुरा | मिर्जापुरा | 1614.03 | 1897 | नहीं | |
| 117 | | खेडली | 1669.16 | 1453 | नहीं | |
| 118 | | किराडी | 2117.06 | 979 | हां | |
| 119 | | प्रहलादपुरा | 955.06 | 967 | नहीं | |
| 120 | चौण्डिया वास | चौण्डियावास | 1911.09 | 2156 | नहीं | |
| 121 | | माधोपुरा | 351.12 | 201 | नहीं | |
| 122 | | बड का पाडा | 762.19 | 920 | नहीं | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | अजबपुरा | 1643.04 | 1335 | नहीं | |
| 124 | | लाखनपुर | 871.09 | 1354 | हां | |
| 125 | | सीतारामपुरा चक न. 1 | 99.09 | 77 | नहीं | |
| 126 | | सीतारामपुरा चक न. 2 | 82.16 | 48 | नहीं | |
| 127 | | सीतारामपुरा चक न. 3 | 190.07 | 184 | नहीं | |
| 128 | | उगरियावास | 881.19 | 820 | नहीं | |
| 129 | श्रीमा | श्रीमा | 3498.13 | 3850 | हां | |
| 130 | | बरेडी | 1918 | 1422 | हां | |
| 131 | | विजयपुरा | 994.11 | 607 | हां | |
| 132 | | बाढ मुण्डिया | 270.15 | 34 | नहीं | |
| 133 | | बाढ श्रीमा | 132.17 | 105 | नहीं | |
| 134 | | मुण्डिया | 1898.06 | 1045 | हां | |
| 135 | शिव सिहंपुरा | शिवसिहंपुरा | 1803.1 | 2716 | नहीं | |
| 136 | | पृथ्वीसिहंपुरा | 291.09 | 235 | नहीं | |
| 137 | | बाढ शिवसिहंपुरा | 101.06 | 0 | नहीं | |
| 138 | | बाढ पृथ्वीसिहंपुरा | 227.1 | 285 | नहीं | |
| 139 | | राजपुरा | 1598.04 | 1315 | नहीं | |
| 140 | | महाराजपुरा | 2104.19 | 1936 | नहीं | |
| 141 | | मटलाना | 1218.07 | 1315 | नहीं | |
| 142 | संवासा | संवासा | 2763.05 | 2682 | नहीं | |
| 143 | | थूणिधिराजपुरा | 2328.14 | 2974 | नहीं | |
| 144 | | बाढ नोन्दपुरा | 416.06 | 434 | नहीं | |
| 145 | तलावगॉव | तलावगॉव | 1177.03 | 2219 | नहीं | |
| 146 | | चिमनपुरा | 1027.19 | 704 | नहीं | |
| 147 | | पट्टीचिमनपुरा | 503 | 526 | नहीं | |
| 148 | | श्रीगोविन्दपुरा | 478.14 | 520 | नहीं | |
| 149 | | लोरवाडा | 396.03 | 192 | हां | |
| 150 | | चकविजयपुरा | 156.05 | 81 | नहीं | |
| 151 | | खारजीविजयपुरा | 44.11 | 8 | नहीं | |
| 152 | | गुदडिया | 1401.1 | 1020 | नहीं | |
| 153 | | करणपुरा चक न. 1 | 561.07 | 632 | नहीं | |
| 154 | | करणपुरा चक न. 2 | 358.15 | 189 | नहीं | |
| 155 | | करणपुरा चक न. 3 | 121.18 | 121 | नहीं | |
| 156 | | करणपुरा चक न. 4 | 75.1 | 0 | नहीं | |
| 157 | होदायली | होदायली | 1169.1 | 1217 | नहीं | |
| 158 | | रूपपुरा | 1008.14 | 1071 | हां | |
| 159 | | बाढ रूपपुरा | 166.13 | 65 | नहीं | |
| 160 | | भोज्याडा | 947.12 | 472 | नहीं | |
| 161 | | समेल | 2540.15 | 1958 | हां | |
| 162 | | गुजरहेडा | 994.13 | 441 | नहीं | |
| 163 | | गुमानपुरा | 279.03 | 137 | हां | |
| 164 | श्यामपुरा | श्यामपुरा कलां | 1501.01 | 2448 | नहीं | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कलां | | | | | |
| 165 | | रामसिंहपुरा | 1074.08 | 739 | नहीं | |
| 166 | | रतनपुरा | 1096 | 1555 | नहीं | |
| 167 | | रायमलपुरा | 793.12 | 881 | नहीं | |
| 168 | | चैनपुरा खुर्द | 309.08 | 709 | नहीं | |
| 169 | | प्रेमपुरा | 636.15 | 749 | नहीं | |
| 170 | | बाढ प्रेमपुरा | 100.18 | 161 | नहीं | |
| 171 | | उदयपुरा | 372 | 343 | नहीं | |
| 172 | | बाढ उदयपुरा | 535.17 | 325 | नहीं | |
| 173 | | भारमल का बास | 700.12 | 564 | नहीं | |
| 174 | झांपदा | झांपदा | 2504.1 | 3048 | हां | |
| 175 | | अनूपपुरा | 937.14 | 1148 | नहीं | |
| 176 | | नालावास | 1925.16 | 1092 | हां | |
| 177 | | गोकुलपुरा | 983.02 | 969 | नहीं | |
| 178 | दौलतपुरा | दौलतपुरा | 3105.09 | 4140 | नहीं | |
| 179 | | भेडियावास | 1176.07 | 449 | हां | |
| 180 | | कोकरिया | 890.13 | 342 | हां | |
| 181 | | जयसिहंपुरा | 1190 | 565 | नहीं | |
| 182 | | बाढगुमानपुरा | 53.07 | 69 | नहीं | |

**6. तहसील की जनसंख्या एवं हाऊस होल्ड (घर/परिवार)**

| कुल परिवारो की संख्या | कुल जनसंख्या |
|---|---|
| 46871 | 235180 |

**7. तहसील में (एपीएल/बीपीएल/अन्य) निम्न प्रकार है-**

| APL | BPL | OTHER |
|---|---|---|
| 203282 | 5225 | 1302 |

**8. दक्ष लोगो का विवरण निम्न प्रकार है-**

| क्र. सं. | नाम | कार्य दक्षता का विवरण | मो.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. प्रीति श्रीवास्तव | डॉक्टर | 9351646587 |
| 2 | डॉ. एच.एन. मीना | डॉक्टर | 9414306709 |
| 3 | डॉ. पी.सी. गुप्ता | डॉक्टर | 9983760189 |
| 4 | डॉ. धीरज शर्मा | डॉक्टर | 9660049818 |
| 5 | डॉ. राजकुमार सेहरा | डॉक्टर | 9460066686 |
| 6 | डॉ. उमाशंकर मीना | डॉक्टर | 9414443554 |
| 7 | डॉ. अनिल श्रीवास्तव | डॉक्टर | 9414050250 |
| 8 | डॉ. प्रमोद जैन | डॉक्टर | 9460758457 |
| 9 | डॉ. कामिनी सिंह | डॉक्टर | 8560062738 |
| 10 | सरदार मीना | डॉक्टर | 9950763458 |
| 11 | महमूद जिलानी | फिजियोथेरेपिस्ट | 9928637551 |
| 12 | नरेन्द्र कुमार शर्मा | कम्पाउण्डर | 9928630921 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | मदनलाल शर्मा | कम्पाउण्डर | 9414626756 |
| 14 | भवानी शंकर शर्मा | कम्पाउण्डर | 9414519926 |
| 15 | विश्वेन्द्र शर्मा | कम्पाउण्डर | 9782722770 |
| 16 | मनोहर लाल सैनी | कम्पाउण्डर | 9667402028 |
| 17 | राजेश कुमार मीना | कम्पाउण्डर | 9785438178 |
| 18 | उर्मिला मीना | नर्स | 9784467563 |
| 19 | सुश्री संगीता शर्मा | नर्स | 9166345070 |
| 20 | श्रीमती शकुंतला शर्मा | नर्स | 7891510469 |
| 21 | श्रीमती बीना भदोरिया | नर्स | 7891510307 |
| 22 | उमाशंकर मीना | कम्पाउण्डर | 9001345840 |
| 23 | श्री सुधाकर शर्मा | वैध | 9460758336 |
| 24 | श्री बी.एल. मीना | इन्जिनियर | 9950919192 |
| 25 | श्री के.सी मीना | इन्जिनियर | 9414271363 |
| 26 | श्री पी.के. शर्मा | इन्जिनियर | 9828095932 |
| 27 | महेश कुमार | इन्जिनियर | 9549450873 |
| 28 | महेन्द्र कुमार | इन्जिनियर | 9785210711 |
| 29 | श्रीरामचरण मीना | फायरमेन | 9950919193 |
| 30 | विकास मीना | फायरमेन | 9785449750 |

9. जीविकोपार्जन तहसील क्षेत्र में कृषि, नौकरी, व्यवसाय व मजदूरी करना जीविकोपार्जन के मुख्य साधन है।
10. मुख्य फसले निम्न प्रकार है- 1. बाजरा 2. ग्वांर 3. मूंगफली 4. गेहू 5. जौ 6. चना आदि है।
11. नदी/बांध/तालाब/व नालो की स्थितिः- तहसील क्षेत्र में प्रमुख तीन बांध है-1. मोरेल बांध 2. बिनौरी बांध 3.सूरतपुरा बांध व तहसील क्षेत्र में दो प्रमुख नदीयां है- 1. मोरेल नदी 2. धांकडिया नदी
12. संचार के साधन निम्न प्रकार हैः- तहसील क्षेत्र लालसोट में BSNL, AIRTEL, RELIANCE, IDEA, AIRCEL, VODAFONE इत्यादी के टावर है। व डाक व्यवस्था हेतु पोस्ट ऑफिस स्थित है।

**13. स्कुल/कॉलेज (सरकारी/प्राइवेट) धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र निम्न है-**

| क्र. सं. | स्कुल/कॉलेज (सरकारी/प्राइवेट) धर्मशाला/ सामुदायिक केन्द्र | स्थान | नियंत्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अशोक शर्मा रा.उ.मा. विधालय | लालसोट | प्राचार्य | 9214866555 |
| 2 | राजकीय कन्या उ.मा. विधालय | लालसोट | प्राचार्य | 9414844866 |
| 3 | राजेश पायलट महाविधालय | लालसोट | प्राचार्य | 01431260423 |
| 4 | धर्म सनातन संस्कृत महाविधालय | लालसोट | प्राचार्य | - |
| 5 | बडाया धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | - |
| 6 | खण्डेलवाल धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | 9414784648 |
| 7 | ब्राह्मण धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | - |
| 8 | अग्रवाल धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | 7891510319 |

14. तहसील में उपलब्ध बचाव के उपकरणों की सूचीः- तहसील में बचाव के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तहसील क्षेत्र में स्थित नगर पालिका लालसोट में आपदा से बचाव के निम्न उपकरण उपलब्ध है।

ट्रेक्टर 2, टेम्पू 2, दमकल 1, मडपंप 1, सफाई कर्मचारी 44 व आपदा के लिए अतिरिक्त 10 मजदूर है।

15. तहसील में उपलब्ध राजकिय अधिकारीयो/कार्मिको के नाम व दूरभाष नम्बर व कार्यालय का नाम निम्न है-

16. **नगर पालिकाः-** तहसील क्षेत्र में नगर पालिका स्थित है। जिसके प्रभारी अधिकारी का नाम श्री श्यामलाल जांगिड है व उनके दूरभाष नम्बर 9829590785 है। व नगर पालिका में निम्न

| क्र. सं. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | पद | कार्यालय | मो.नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नवरतन कोली | एस.डी.ओ. | | 7023288070 |
| 2 | श्री रेवडमल बहवाल | तहसीलदार | | 9530312308 |
| 3 | श्री पृथ्वीराज मीना | नायब तहसीलदार | | 9530312444 |
| 4 | श्री रामकिशोर मीना | बी.डी.ओ. | | 9530305992 |
| 5 | श्री मनोहरलाल मीना | एस.एच.ओ. | | 9530130013 |
| 6 | श्री राजेश कविया | पुलिस उपाधिक्षक | | |
| 7 | श्री रामनरेश मीना | ए.ई.एन. | जे.वी.वी.एन.एल. | 9413390662 |
| 8 | श्री भरोषीलाल मीना | ए.ई.एन. | पी.एच.ई.डी. | 9950919192 |
| 9 | श्री श्याम जांगीड़ | ई.ओ. | नगर पालिका | 9829590785 |
| 10 | श्री बी.एल. मीना | जे.ई.एन. | P.W.D. | 9950919192 |
| 11 | श्री के.सी मीना | जे.ई.एन. | P.W.D. | 9414271363 |
| 12 | श्री पी.के. शर्मा | जे.ई.एन. | P.W.D. | 9828095932 |
| 13 | महेश कुमार | जे.ई.एन. | P.W.D. | 9549450873 |
| 14 | श्री महेन्द्र कुमार | जे.ई.एन. | P.W.D. | 9785210711 |
| 15 | डॉ. एच.एन. मीना | डॉक्टर | स्वास्थ्य विभाग | 9414306709 |
| 16 | श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता | भू.अ.नि. | राजस्व | 9530312310 |
| 17 | श्री कैलाश चन्द गुप्ता | भू.अ.नि. | राजस्व | 9530312347 |
| 18 | श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता | भू.अ.नि. | राजस्व | 9530312330 |
| 19 | श्री भरोष चन्द | भू.अ.नि. | राजस्व | 9530312348 |

संसाधन उपलब्ध हैः-

ट्रेक्टर 2, टेम्पू 2, दमकल 1, मडपंप 1, रस्से, फावडी, गैती, सफाई कर्मचारी 44 व आपदा के लिए अतिरिक्त 10 मजदूर है।

17. तहसील क्षेत्र में मुख्य औधोगिक इकाई रीको इण्डस्ट्रीयल ग्राम डिडवाना में स्थित है। जिसमें स्थित समस्त फेक्ट्रीयो में बचाव के उपकरण लगे हुए है। व इन औधोगिक इकाईयों से कोई खतरा भी नहीं है। जो निम्न प्रकार है-

| क्र.सं. | फर्म का नाम | संचालक का नाम | मो.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | कमल इण्डस्ट्रीज | कमलेश बडाया | 9550742583 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | मंगल दाल एण्ड ऑयल मील | गोविन्द अग्रवाल | 9829770158 |
| 3 | मदन मोहन ग्रेडिंग | मोहन लाल भींवाल | 9414035535 |
| 4 | हरि ऑयल इण्डस्ट्रीज | महेश शर्मा | 7220974557 |
| 5 | गुलकन्दी मार्बल | मुकेश कट्टा | 9414036397 |
| 6 | प्रिन्स डेनियम | गोविन्द गोयल | 9414852261 |
| 7 | गुलाब आईस फेक्ट्री | अर्जुन मालिया | 7014804329 |

**18. (क) मेडिकल की दुकाने निम्न प्रकार हैः-**

| क्र.सं. | दुकान का नाम | संचालक | दूरभाष नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मी मेडिकल स्टोर | जगन्नाथ प्रसाद सैनी | 9414626678 |
| 2 | सैनी मेडिकल स्टोर | प्रहलाद सैनी | 9414626556 |
| 3 | जनता मेडिकल स्टोर | रामजीलाल सैनी | 8946913064 |
| 4 | पायल मेडिकल स्टोर | बत्तीलाल सैनी | 9799609491 |
| 5 | आशीर्वाद मेडिकल स्टोर | ओमप्रकाश सैनी | 9351990260 |

**(ख) सरकारी / प्राईवेट अस्पताल निम्न प्रकार हैः-**

| क्र. सं. | सरकारी व निजि अस्पताल | डॉक्टरो की संख्या | नर्स/कम्पाउण्डरो की संख्या | बैड संख्या | आपात कालीन संसाधन | आपातकालीन संपूर्ण सुत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालसोट | 7 | 8 | 50 | - | 9351646587 |
| 2 | आयुर्वेदिक औषधालय | 1 | 1 | - | - | 9460758336 |
| 3 | नवजीवन चिकित्सालय | 5 | 12 | 32 | - | 9414078016 |
| 4 | आनन्द चिकित्सालय | 4 | 10 | 25 | - | 8238068060 |
| 5 | विनायक चिकित्सालय | 1 | 3 | 10 | - | 9462221665 |

**(ग) पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी/गोदाम निम्न प्रकार हैः-**

| क्र.सं. | पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी/गोदाम | संचालक | दूरभाष नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | बोहरा फिलिंग स्टेशन गंगापुर रोड, लालसोट | मंगेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द बोहरा | 9829236947 |
| 2 | पाटनी पेट्रोल पम्प | सुनिल पाटनी | 9414036100 |
| 3 | शर्मा पेट्रोल पम्प | उदयलाल जैन | 9414626379 |
| 4 | जय भवानी गैस एजेन्सी | रूपेश मीना | 9829160080 |
| 5 | मै0 उदयलाल महावीर प्रसाद जैन पेट्रोल पम्प लालसोट | महावीर प्रसाद पुत्र उदयलाल जैन | |
| 6 | मैं0 बपलावत पेट्रोल पम्प, मंडावरी लालसोट | विमलेश कुमार मीणा पुत्र भरतलाल मीना | |
| 7 | बोहरा फिलिंग स्टेशन गंगापुर रोड, लालसोट | मंगेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द बोहरा | |
| 8 | मै0 अमरसिंह फिलिंग स्टेशन लाडपुरा, लालसोट | ईश्वरलाल पुत्र रामपाल मीणा | |
| 9 | मैं0 रिलायंस पेटो मार्केटिंग प्रा.लि. | सरावगी कुलभूषण पुत्र | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | डिडवाना, लालसोट | आर.डी. मेहरा | |
| 10 | मै0 मण्डावरी इण्डेन गैस वितरक मंडावरी | सुनीता मीणा पत्नि रामोतार मीना | |
| 11 | विमल एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक बिलौना कलां, लालसोट | रामस्वरूप पुत्र गैन्दीलाल मीणा | |
| 12 | मनीषा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक दौलतपुरा , लालसोट | ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल गुप्ता | |
| 13 | जयहनुमान एच.पी. गैस वितरक निर्झरना, लालसोट | हनुमान प्रसाद पुत्र मूलचन्द मीणा | |
| 14 | मै0 सुनिता इन्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी मण्डावरी, लालसोट | सुनिता पुत्री रामावतार मीणा | |

**(ङ)आश्रय स्थल निम्न प्रकार हैः–**

| क्र.सं. | स्कुल/कॉलेज(सरकारी/प्राइवेट) धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र | स्थान | नियंत्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अशोक शर्मा रा.उ.मा. विधालय | लालसोट | प्राचार्य | 9214866555 |
| 2 | राजकीय कन्या उ.मा. विधालय | लालसोट | प्राचार्य | 9414844866 |
| 3 | राजेश पायलट महाविधालय | लालसोट | प्राचार्य | 01431260423 |
| 4 | सनातन धर्म संस्कृत महाविधालय | लालसोट | प्राचार्य | - |
| 5 | बडाया धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | - |
| 6 | खण्डेलवाल धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | 9414784648 |
| 7 | ब्राह्मण धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | - |
| 8 | अग्रवाल धर्मशाला | लालसोट | मेनेजर | 7891510319 |

19. भारी मशीनरी से सम्बंधित सूचनाः– तहसील क्षेत्र लालसोट में मैं0 रामस्वरूप चौधरी ए श्रैणी संवेदक मो बाईल नम्बर 9829258658 के पास

1. जे.सी.बी. 2
2. ट्रैक्टर टॉली 2
3. डम्पर 2

## अध्याय 21

## तहसील सिकराय आपदा प्रबन्धन योजना – 2017

(1) तहसील का नाम –सिकराय, अक्षांश 26$^0$55'1"देशान्तर 76$^0$41'23"क्षेत्रफल 50374 है0।
समीपवर्ती तहसील बसवा, दौसा, महवा, टोडा-भीम, नादौती, नांगलराजावतान।

(2) तहसील के सम्भावित खतरा (क) ऑयल पाईप लाईन (ख) गैस गोदाम (ग) पैट्रोल पम्प (घ) हाईवे सडक (ड.)हाई टेन्शन लाईन

(3) **यातायात व्यवस्था** – (क) NH 11 (ख) SH 25 बस सुविधा

(4) **मूलभूत सुविधा –** डिस्पेसरी (क) CHC सिकराय, मानपुर, सिकन्दरा, गीजगढ
(ख) PHC – गढ, बहरावण्डा, टोरडा, भण्डारी, नांदरी, दुब्बी,
(1) अग्नि शमन व्यवस्था (क) दौसा 40 KM , (ख) बान्दीकुई 25 KM
(2) पावर ग्रिड है
(3) पीने के पानी की व्यवस्था – नलकूप 110, हैण्ड पम्प 2315, उच्च जलाशय 14, भूतल जलाशय 33

**(5) तहसील मे ग्रामो की संख्या 140 ग्राम पंचायतो की संख्या 41**

(6) **तहसील की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार**

| कुल परिवार | पुरुष | महिला | योग |
|---|---|---|---|
| 50010 | 136682 | 123802 | 260484 |

**(7) गरीब रेखा की सुचना (एपीएल/बीपीएल/अन्य)**

| एपीएल | बीपीएल | अन्य |
|---|---|---|
| 34286 | 10554 | 24104 |

**(8) दक्ष लोगो का विवरण**

| क्र.स. | दक्ष व्यक्ति | कुल संख्या | नियंत्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेना से सेवानिवृत | 03 | एसडीएम/तहसीलदार | 9530312276 / 9530312182 |
| 2 | डॉक्टर | 03 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 3 | कम्पाउडर | 05 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 4 | वैद्य | 03 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 5 | वेल्डर | 25 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 6 | गैस कटर | 25 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 7 | इलैक्ट्रिशियन | 20 | एसडीएम/तहसीलदार | |

(9) जीविकोपार्जन – कृषि/ पशुपालन/ मजदूरी/ व्यवसाय/ नौकरी

(10) मुख्य फसल- ज्वार, बाजरा, मक्का, मूग, उडद, गैहू, जौ, चना, सरसों।

(11) नदी, बांध, तालाब –बांध 02

(12) संचार के साधन – बीएसएनल/अन्य एजेन्सी के टावर

**(13) विधालय एवं आश्रय स्थलो की सूची –**

| क्र.स. | नाम संस्था | नियन्त्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | रा.उ.मा.वि.सिकराय | एसडीएम/तहसीलदार | 9530312182/ 9530312276 |
| 2 | मॉ.स्कूल सिकराय | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 3 | रा.महाविधालय सिकराय | एसडीएम/तहसीलदार | |

(14) तहसील मे उपलब्ध राजकीय अधिकारी /कार्मिको की सूची मय दूरभाष के सलंग्न है ।

(15) तहसील क्षेत्र मे नगर पालिका नही है ।

(16) तहसील क्षेत्र मे औधोगिक ईकाईया नही है।

**(17) तहसील क्षेत्र मे मेडीकल दुकान सरकारी प्राइवेट अस्पतालो की सूची –**

| क्र.स. | सरकारी व निजी अस्पताल | डाक्टर | पैरा स्टाफ | कुल बेड | आपातकालीन साधन | दुरभाष न. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय सामुदाय स्वास्थ केन्द्र सिकराय | 6 | 7 | 30 | एम्बुलेंस | |
| 2 | राजकीय सामुदाय स्वास्थ केन्द्र गीजगढ | 2 | 4 | 30 | एम्बुलेंस | 9929205157 |
| 3 | राजकीय सामुदाय स्वास्थ केन्द्र सिकन्दरा | 6 | 6 | 30 | एम्बुलेंस | |
| 4 | राजकीय सामुदाय स्वास्थ केन्द्र मानपुर | 1 | 3 | 20 | | |
| 5 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र गढ | 1 | 1 | 6 | | |
| 6 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बहरावण्डा | 1 | 1 | 6 | | |
| 7 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र टोरडा | 1 | 1 | 6 | | |
| 8 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र भण्डारी | 1 | 1 | 6 | | |
| 9 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नांदरी | 1 | 1 | 6 | | |
| 10 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र दुब्बी | 1 | 1 | 6 | | |
| 11 | महन्त किशोरपुरी औषधालय बालाजी | 3 | 5 | 10 | | |

**(18) तहसील मे आपातकालीन संसाध /मशीनरी/बचाव उपकरण –**

| क्र.स. | बचाव संसाधन | कुल संख्या | अधिकृत अधिकारी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रोली | 100 | एसडीएम/तहसीलदार | 9530312182/ 9530312276 |
| 2 | टैकर | 100 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 3 | ट्रक | 15 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 4 | जेसीबी | 15 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 5 | क्रेन | 10 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 6 | गेती | 500 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 7 | फावडे | 500 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 8 | सीढी | 15 | एसडीएम/तहसीलदार | |
| 9 | जीप | 30 | एसडीएम/तहसीलदार | |

## अध्याय : 22

## तहसील नांगल राजावतान आपदा प्रबन्धन योजना– 2017

### 1.1 तहसील का परिचयः–

1. **तहसील का नामः** नांगल राजावतान जिला दौसा
2. **तहसील का परिचय :** ग्राम नांगल राजावतान दौसा लालसोट रोड पर स्थित । यह दौसा तहसील के दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तहसील से लगती हुई तहसीलें उत्तर में दौसा पूर्व में सिकराय दक्षिण में रामगढ पचवारा पश्चिम में लवाण तहसील स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 23318 हेक्टेयर है।
3. **तहसील में सम्भावित खतरा :** तहसील नांगल राजावतान में इण्डेन का गैस गौदाम तथा 03 पेट्रोल पम्प स्थित है। तहसील में से होकर बरसाती मोरेल नदी गुजर रही है, जिसमें

अतिवृष्टि से बाढ़ की सम्भावना, भूकम्प, औलावृष्टि, सूखा, अग्नि काण्ड, सड़क दुर्घटना, साम्प्रदायिक तनाव आदि की सम्भावना है।

4. **यातायात व्यवस्था :** तहसील मुख्यालय नांगल राजावतान दौसा–लालसोट मार्ग पर स्थित है। यातायात के लिये रोडवेज एंव अन्य साधान उपलब्ध है।

**1.2 तहसील में मूलभूत संसाधन :**

**5. मूलभूत संसाधन :–**

(क.) डिस्पेन्सरी/अस्पताल : तहसील मुख्यालय नांगल राजावतान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्साल्य स्थित है। डिस्पेन्सरी जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर दौसा में स्थित है।

| क. स. | सरकारी व निजि अस्पताल | डॉक्टरों की संख्या | पैरा. मेडिकल स्टाफ की संख्या | कुल बैडों की संख्या | आपालकालीन संसाधन एम्बूलेंस | आपालकालीन सम्पर्क सूत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा | 04 | 25 | 30 | 1(104) | 9928620751 |
| 2 | प्राथमिक स्वास्थ्य नांगल राजावतान | 01 | 10 | 6 | – | 9460139013 |
| 3 | पीएचसी छारेडा | 01 | 6 | 6 | – | 9929976264 |
| 4 | पीएचसी आलूदा | 01 | 5 | 6 | – | 9782287634 |
| 5 | पीएचसी खवारावजी | 01 | 6 | 6 | – | 9610371300 |

(ख) तहसील में उपलब्ध अग्निशमन सुविधा : 20 किमी दूर दौसा नगर परिषद में उपलब्ध है।

| क. स. | अग्निशमन केन्द्र | वाहनों की संख्या | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद दौसा | 03 | 01427–224590,223933 |

**पानी भण्डारण :–**ऑवर हेड टैंक, बोरवेल, हैंडपम्प, पानी के टैंकर।

(ग) तहसील मे बिजली की व्यवस्था:– तहसील मुख्यालय पर सब पॉवर ग्रिड स्टेशन बना हुआ है।

(घ) पीने के पानी की व्यवस्था:– हैंडपम्प बोरवेल, पानी के टैंकर, नल सप्लाई।

6. **तहसील में उपलब्ध आपातकालीन संसाधन/मशीनरी/बचाव उपकरण– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय स्थित है।** रस्से, गैंती, फावडें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीएनसी में दो जेसीबी 15 ट्रोला टेक्टर एक ग्रेडर एक रोलर दो फोकलेण्ड दो लोडर एक उपलब्ध है।

**1.3 तहसील के ग्राम एंव चिन्हित ग्राम :–**

7. **तहसील में ग्राम/ग्राम पंचायतों की संख्या –** तहसील में 70 ग्राम व 15 ग्राम पंचायत है

8. **तहसील के चिन्हिकृत 39 ग्रामों की सूची –**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नांगल राजावतान | 2 | रामसिंहपुरा | 3 | प्यारीवास | 4 | रामथला |
| 5 | ढाकावास | 6 | मानपुरिया | 7 | टीटोली | 8 | कानपुरा |
| 9 | बडागांव | 10 | ठीकरिया | 11 | लाहडीका बास | 12 | रानीवास |
| 13 | चूडियावास | 14 | उदयपुरा | 15 | बैजवाडी | 16 | छारेडा |
| 17 | सींगपुरा | 18 | चक कालीखाड | 19 | खेडा | 20 | थूमडी |
| 21 | खटयारा | 22 | आलूदा कलां | 23 | पापडदा | 24 | श्यालावास |
| 25 | खवारावजी | 26 | हापावास | 27 | बासना | 28 | धरणवास |
| 29 | सर्र | 30 | महाराजपुरा | 31 | भगलाव | 32 | आलूदा खुर्द |
| 33 | डागोलाई | 34 | टोडरवास | 35 | मलवास | 36 | किशनपुरा टापरया |
| 37 | देहलास | 38 | देहलाडी | 39 | गढ | | |

9. **तहसील की जनसंख्या एंव हाउसहोल्ड (घर/परिवार) –** तहसील नांगल राजावतान की कुल जनसंख्या 96662 है।

10. **तहसील में साक्षरता दर ( वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) –**

| पुरूष | महिला | कुल |
|---|---|---|
| – | – | 96662 |

11. **गरीबी रेखा से संबंधित सूचना (एपीएल/बीपीएल/अन्य) –**

| एपीएल | बीपीएल | अन्य |
|---|---|---|
| 11325 | 3924 | |

12. **दक्ष लोगो का विवरण – भारी वाहन चालक,इलेक्ट्रीशयन वेलडर आदि मौजूद है।**

13. **जीविकोपार्जन –** कृषि/पशुपालन/मजदूरी/व्यवसाय/नौकरी।

14. **मुख्य फसल –** ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, चौला, गैंहू, जौ, चना, सरसों।

**1.4 बांध, नदी तालाब की स्थिति :**

15. **नदी/बांध/तालाब व नालों की स्थिति :–** मोरेल नदी, झिलमिली बांध बडागांव ,डागोलाई बांध, चूडियावास बांध कम वर्षा के कारण सभी पूरे भरे हुए नहीं है।

16. **संचार के साधन** : बीएसएनएल अन्य ऐजेन्सियों के टावर/पोस्ट ऑफिस

17. **विद्यालय एंव आश्रय स्थलों की सूचीः–**

| क.सं. | आश्रय स्थल | नियन्त्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | रा.उ.मा.वि. नांगल राजावतान | प्राधानाचार्य | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | रा.उ.मा.वि. आलूदा | प्राधानाचार्य | |
| 3 | रा.उ.मा.वि. छारेडा | प्राधानाचार्य | |
| 4 | रा.उ.मा.वि. पापडदा | प्राधानाचार्य | |
| 5 | रा.उ.मा.वि. खवारावजी | प्राधानाचार्य | |
| 6 | रा.उ.मा.वि. बडागांव | प्राधानाचार्य | |
| 7 | रा.उ.मा.वि. मानपुरिया | प्राधानाचार्य | |
| 8 | रा..मा.वि. मलवास | प्राधानाध्यापक | |
| 9 | रा..मा.वि. लाहडी का बास | प्राधानाध्यापक | |

**1.5 टास्क फोर्स/तहसील आपदा प्रबन्धन समिति :**

**18. तहसील में कार्यरत आपातकालीन टास्क फोर्स/प्रशासनिक अधिकारियों/कार्मिको के नाम व दूरभाष नंबर व कार्याला का नाम :**

| क.सं. | पदनाम | सम्पर्क |
|---|---|---|
| 1 | उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान | 01427–282483 |
| 2 | तहसीलदार नांगल राजातान | 9530312465 |
| 3 | पुलिस उप अधीक्षक लालसोट | |
| 4 | थानाधिकारी नांगल राजावतान | 9530430015 |
| 5 | बी.सी.एम.एच.ओ. दौसा | 7891510111 |
| 6 | ईओसी दौसा (बाढ़ नियन्त्रण कक्ष) | 01427–224535 |
| 7 | चिकित्सा अधिकारी प्रभारी | 9680446283 |
| 8 | अधिशाषी अभियन्ता पी.डब्ल्यु.डी | 01427–231522, 9414369995 |
| 9 | अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. | 856009584 |
| 10 | अधिशाषी अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल | 9413390636 |
| 11 | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन | 01427–224795, 9460710356 |

**19. गैंस एजेन्सी/पैट्रोल पम्प की स्थिति**

| अनुज्ञाधारक का नाम | पैट्रोल पम्प/गैंस एजेन्सी का नाम |
|---|---|
| छोटूलाल मीना पुत्र गंगासहाय मीना नि. आलूदा | मैं0 अलूदा इण्डेन ग्रामीण आलूदा, नांगल राजावतान |
| अमित पुत्र छाजू मीना नि. पापडदा | मैं0 रोहित एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक पापडदा, नांगल राजावतान |
| हनुमान पुत्र कजोड सैनी नि. बांसखो, बस्सी | मैं0 बागडी फिलिंग स्टेशन बडागांव, नांगल राजवतान |
| महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र विश्म्भरदयाल सैनी | मैं0 पिन्टू फिलिंग सेंटर, नांगल राजावतान |
| रामधन बैरवा पुत्र प्रेमचन्द बैरवा | मैं0 आर.डी. फिलिंग स्टेशन आलूदा, नांगल राजावतान |

# v/;k; % 23

## <u>Rkglhy jkex< ipokjk vkink izcU/ku ;kstuk&2017</u>

**1- Rkglhynkj dk uke o ifjp; %&**

rglhynkj jkex<+ ipokjk dk l`tu ekg 04@2013 ls gqvk gS tks ftyk eq[;ky; ls 45 fdyks ehVj nwj fLFkr gS tks fd fMMokuk ls rqxk¡ jksM ij fLFkr gSaA

**2- rglhy esa lEHkkfor [krjk %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa ekSjsy unh ls [krjk gS fuEu xzkeksa esa ekSjsy unh dk cgko {ks= gS ftlesa d¡ojiqjk] lqYrkuiqjk] jk.kksyh] chydk] ekykokl] fcnj[kk] cklMk mQZ cnj[kk] dkywokl] ekSgEeniqjk] lhxaiqjk xzke vkrs gSA

**3- ;krk;kr O;oLFkk %&**

nkSlk ls fMMokuk gksrs jkex<+ ipokjk o rqWaxk ls jkex<+ ipokjk ykylksV ls jkex<+ ipokjk jksM ekxZ gSaA

**4- rglhy esa ewyHkwr lalk/ku %&**

¼d½ fMLisaljh& jkex<+ ipokjk esa lkeqnkf;d LokLFk; dsUnz o jkgqokl]dYykokl]lksuM esa izkFkfed LokLF; dsUnz gSA Rkglhy esa lk'kq fpfdRlky; dSUnz jkex<+ ipokjk]lyseiqjk o jkgqokl esa gSaA

¼[k½ vfXu'keu O;oLFkk & vfXu'keu dsUnz ugh gS ysfdu ykylksV uxj ikfydk esa gS tks rglhy eq[;ky; jkex<+ ipokjk ls yxHkx 13 fdyks ehVj nwj gSaA

¼x½ rglhy esa fctyh dh O;oLFkk & vU; QhMj ls tqMk gSaA

¼?k½ ihus ds ikuh dh O;oLrk & vkoj gSMVsd gS oksjosy o dq, miyC/k gSaA

**5- rglhy esa xzkeksa@xzke iapk;rks dh la[;k %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa 17 xzke iapk;rs o 141 xzke gSaa ftudh lwph layXu gSaA

**6- rglhy dh tula[;k %&**

rglhy dh dqy tula[;k 115440 gSaA

**7- APL@BPL@ vU; %&**

**8- n{k yksxksa dk fooj.k %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa MkWDVj@dEikamMj@oS|@vk;qosZn dEikam.Mj fpfdRlk {ks= ls tqMs yksx gSaA rSjkd@xksrk[kksj@uko pkyd yksx ugh gSaA

**9- thfodksiktZu %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa eq[; :i ls d`f"k ij vk/kkfjr gS dqN ifjokj O;olk;@ukSdjh djrs gSaA

**10- eq[; Qly %&**

jch&xSgwW tkS] ljlksa gS@ [kjhc cktjk] ewaxWQyh] fry gSasA

**11- unh@ckW/k@rkykc@ukyksa dh fLFkfr%&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa eq[; :i ls ekSjsy unh dk cgko gSaA

**12- lapkj ds lk/ku %&**

BSNL, ,;jVsy] vkbfM;k ,;jVsy ds Vkoj o dusDVhfoVh gSaaA iksLV vkWfQl dh lqfo/kk gSaA

**13- Ldwy@dkWyst@/keZ'kkyk@lkeqnkf;d dsUnz %&**

rglhy eq[;ky; ij nks futh egkfo|ky;&dapu nsoh egkfo|ky;] vkfnR; egkfo|ky; gSaA jk-m-ek-fo-jkex<+ ipokjk gSaA ckfydk jktdh; m- izk-fo- jkex<+ ipokjk fLFkr gSaA /keZ'kkyk@lkeqnkf;d dsUnz ugh gSaA

**14- rglhy esa miyC/k cpko midj.kksa dh lwph %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa ljdkjh {ks= esa dksbZ lalk/ku miyC/k ugh gSaA futh Lrj ij miyC/k gks ldrs gSaA

**15- rglhy esa miyC/k jktdh; vf/kdkfj;ksa@dkfeZdks ds uke o nwjHkk"k %&**

lwph layXu gSaA

**16- uxj ikfydk miyC/k gks rks mldk uke %&**

rglhy jkex<+ ipokjk esa uxj ikfydk ugh gSaA

**17- rglhy {kS= esa vkS|ksfxd bdkbZ;k %&**

rglhy {kS= esa dksbZ vkS|ksfxd bdkbZ ugh gSaA

**18-** miyC/k esMhdy nqdkuksa@ljdkjh@izkbZosV vLirkyksa o fMLisalljh dk uke]foLrjksa dh {kerk@MkWDVj@uflZx LVkWQ dh la[;k@isVªksy iEi@xSl ,tsUlh@xSl xksnke

1- jktdh; lkeqnkf;d LokLF; dsUnz jkex<+ ipokjk & 3 MkWDVj o 4 uflZx LVkQ

2- ,d vkS"k/kky; ftlesa 1 oS| o 1 dEikam.Mj dk;Zjr gSaA

3- iSVªksy iEi@ xSal ,stsUlh dh miyC/krk&

| vuqKk/kkjd dk uke | iSVªksy iEi dk uke |
|---|---|
| Jh fojsUnz iq= jktdqekj eh.kk | eSa0 ipokjk fQfyax LVs'ku jkex< ipokjk |
| lhrkjke ehuk iq= gjpUnk ehuk | eSa0 lhrkjke fQfyax LVs'ku lksuM] jkex< ipokjk |

**19- Hkkjh e'khujh ls lEcfU/kr yksxksa dh lwph %&**

gkbZos fuekZ.k dEiuh gky vkckn ukxy l;kjhokl esa fLFkr gSaA rglhy {kS= esa ugh gSaA

**uk;c rglhynkj jkex<+ ipokjk {ks= ds iVokj e.My**

| Ø- la- | iVokj gYdk | xzke dk uke | iVokjh dk uke | eksckby ua- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iVokj gYdk | fcjn[kk | Jh “kadj yky lSu | 9530312317 |
| 2 | iVokj gYdk | jkeuxj jsoMh | Jh iwukjke iztkir | 9530312349 |
| 3 | iVokj gYdk | chNk | Jh iwukjke iztkir | 9530312349 |
| 4 | iVokj gYdk | futkeiqjk | Jh dUgS;k yky lSuh | 9530312325 |
| 5 | iVokj gYdk | dkywokl | Jh dUgS;k yky lSuh | 9530312325 |
| 6 | iVokj gYdk | xksikyiqjk | Jh dUgS;k yky lSuh | 9530312325 |
| 7 | iVokj gYdk | Mksc | Jh ohjsUnz dqekj “kekZ | 9530312324 |
| 8 | iVokj gYdk | dksyhokMk | Jh ohjsUnz dqekj “kekZ | 9530312324 |
| 9 | iVokj gYdk | MWqxajiqj | Jh nhid y[ksjk | 9530312329 |
| 10 | iVokj gYdk | <ksykokl | Jh nhid y[ksjk | 9530312329 |
| 11 | iVokj gYdk | lyseiqjk | Jh nhid y[ksjk | 9530312329 |

dqy xzke 67 dqy xzke iapk;rsa 8

| Ø- la- | iVokj gYdk | xzke dk uke | iVokjh dk uke | eksckby ua- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iVokj gYdk | u;kokl | Jh dUgS;k yky lSuh | 9530312325 |
| 2 | iVokj gYdk | dYykokl | Jh dUgS;k yky lSuh | 9530312325 |
| 3 | iVokj gYdk | ikywUnk | Jh ohjsUnz dqekj “kekZ | 9530312324 |
| 4 | iVokj gYdk | jkex<+ ipokjk | Jh iwukjke iztkir | 9530312349 |
| 5 | iVokj gYdk | vejkckn | Jh “kadj yky lSu | 9530312317 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | iVokj gYdk | xkaxY;kokl | Jh “kadj yky lSu | 9530312317 |
| 7 | iVokj gYdk | uksjaxiqjk | Jh “kadj yky lSu | 9530312317 |
| 8 | iVokj gYdk | gsEkY;kokyk | Jh HkkSjhyky tkWfxM | 9530312336 |
| 9 | iVokj gYdk | lksuM+ | Jh dSyk”k pUn f=osnh | 9530312311 |
| 10 | iVokj gYdk | jkgqokl | Jh jkey[ku xqtZj | 9530312447 |

**Hkw&vfHkys[k fujh{kdks ds uke o in ,oa eksckbZy ua-**

| Ø-la- | uke | xzke | eksckbZy ua- |
|---|---|---|---|
| 1 | Jh dSyk’k pUn f=osnh ILR | jkex<+ ipokjk | 9530312311]9829529889 |
| 2 | Jh txnh’k izlkn ehuk ILR | dYykokl] futkeiqjk | 9530312314 |
| 3 | Jh jkts’k jk; ILR | lksuM | 9530312321 |
| 4 | Jh gjds’k ehuk ILR | MqWxajiqj | 9530312342 |

**xzke iapk;r o jktLo xzkeksa dh lwph fuEu izdkj**

| Ø-la- | xzke iapk;r | Ø-la- | xzke dk uke |
|---|---|---|---|
| 1 | jkex<+ ipokjk | 1 | jkex<+ ipokjk |
| 2 | xkaxY;kokl | 2 | xkaxY;kokl |
| | | 3 | Mkscyk [kqnZ |
| | | 4 | fctyokl |
| | | 5 | HkkScriqjk |
| | | 6 | ck<+ HkkScriqjk |
| | | 7 | ukSjaxiqjk |
| | | 8 | lqjtiqjk |
| | | 9 | cklMk mQZ fcnj[kk |
| | | 10 | Pkj.kokl mQZ iwj.kokl |
| | | 11 | dkY;kokl |
| | | 12 | ck<+ dkY;kokl |
| | | 13 | lokbZ ek/kksiqjk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | vejkckn | 14 | vejkckn |
| | | 15 | nsgyky |
| | | 16 | ck< nsgyky |
| | | 17 | n;kyiqjk |
| | | 18 | ukikdkokl |
| | | 19 | ukikdkokl pd ua- 1 |
| | | 20 | ukikdkokl pd ua- 2 |
| | | 21 | ukikdkokl pd ua- 3 |
| | | 22 | Jh;k |
| | | 23 | ck< jruiqjk |
| | | 24 | ck<+thrk |
| | | 25 | Jhx.ks'kiqjk |
| | | 26 | ck< Jhx.ks'kiqjk |
| | | 27 | mxjiqjk |
| | | 28 | ck<+mxjiqjk |
| 4 | dYykokl | 29 | dYykokl tkxhj |
| | | 30 | dYykokl [kkylk |
| | | 31 | dY;k.kiqjk |
| | | 32 | eksguiqjk |
| | | 33 | thriqj |
| | | 34 | VqfV;kokl |
| | | 35 | txusj |
| | | 36 | ck<+ txusj |
| | | 37 | nkxMh txusj |
| 5 | jkgqokl | 38 | jkgqokl |
| | | 39 | dqaryokl |
| | | 40 | ckMksyh |
| 6 | u;kokl | 41 | u;kokl |
| | | 42 | VksMkehuk |
| | | 43 | ekSykbZ |
| | | 44 | pWkniqj |
| | | 45 | pd pkWniqj |
| | | 46 | >qiMh;kjktkorku |
| 7 | ikywUnk | 47 | ikywUnk |
| | | 48 | HkkWork |
| | | 49 | /kkSyh |
| | | 50 | gkekokl |
| | | 51 | pd vyhiqjk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 52 | [kseiqjh |
| | | 53 | [kseiqjh <k.kh ehuku |
| | | 54 | jkeiqjk dykW |
| | | 55 | jkeiqjk dykW <+k.kh ehuku |
| | | 56 | pkSfM;kokl |
| 8 | lksuM+ | 57 | lksuM+ |
| | | 58 | flUnksyh |
| | | 59 | fllksfn;k |
| | | 60 | ck<+cMok |
| | | 61 | pd txusj |
| 9 | gsEY;kokyk | 62 | gsEY;kokyk |
| | | 63 | ân;x<+ pd ua- 1 |
| | | 64 | ân;x<+ pd ua- 2 |
| | | 65 | Lo:iiqjk |
| | | 66 | pd dqikokl |
| | | 67 | dqikokl |
| | | 68 | ck<+ nqcY;k |
| | | 69 | vHk;iqjk |
| | | 70 | euokdkokl pd ua- 1 |
| | | 71 | euokdkokl pd ua- 2 |
| | | 72 | euokdkokl pd ua- 3 |
| | | 73 | pkWWnkokl |
| | | 74 | Ek.MkgsMk |
| 10 | fcnj[kk | 75 | fcnj[kk |
| | | 76 | dWojiqjk |
| | | 77 | x.MykbZ |
| | | 78 | pd lokbZ ek/kksiqjk |
| | | 79 | jkeuxj jsoMh |
| | | 80 | ekykokl |
| | | 81 | pd ekykokl |
| | | 82 | pd vHk;iqjk |
| | | 83 | dSykokl |
| | | 84 | lhrkiqjk |
| | | 85 | jkeiqjk dykW |
| | | 86 | txusj rqdkZu |
| 11 | futkeiqjk | 87 | futkeiqjk |
| | | 88 | lqYrkuqijk |
| | | 89 | Mkcj [kqnZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 90 | MkWcj dykW |
| | | 91 | ck<+ Mkcj dykW |
| | | 92 | chMksyh |
| | | 93 | vkHkkusjh |
| | | 94 | vj.;kdykW |
| | | 95 | ckeugsMh |
| | | 96 | ikyMh |
| | | 97 | dWojiqjk |
| 12 | chNk | 98 | chNk |
| | | 99 | ck<+ Qrsgiqjk |
| | | 100 | chydk |
| | | 101 | dq'kyiqjk |
| | | 102 | gehjiqjk |
| | | 103 | jk.kkSyh |
| 13 | dkywokl | 104 | dkywokl |
| | | 105 | ekSgEniqjk |
| | | 106 | xq<+klEiriqjk |
| | | 107 | pSuiqjk dykW |
| | | 108 | xksikyiqjk |
| | | 109 | fupwfu;k |
| | | 110 | lgliqjk |
| | | 111 | flagiqjk |
| 14 | Lyseiqjk | 112 | lyseiqjk |
| | | 113 | jkykokl |
| | | 114 | VksjMk |
| | | 115 | ekuiqjk |
| | | 116 | nqtZuokl |
| | | 117 | pd nqtZuokl |
| | | 118 | xksnkokl |
| 15 | MqWxjiqj | 119 | MqWxjiqj |
| | | 120 | vj.;k [kqnZ |
| | | 121 | usgMh tloUriqjk |
| | | 122 | ";keiqjk mQZ gchciqjk |
| | | 123 | <+ksykokl |
| | | 124 | ikryokl |
| | | 125 | pd ikryokl |
| | | 126 | [ksMk ikryokl |
| | | 127 | ck<+ rqlknjh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 128 | JhjkepUnziqjk |
| 16 | Mksc | 129 | Mksc [kkylk |
| | | 130 | Mksc tkxhj |
| | | 131 | jkelj |
| | | 132 | pd jkelj |
| | | 133 | 'kkgtkuiqjk |
| | | 134 | ykgMh dk okl |
| | | 135 | pd [kkjth |
| | | 136 | vyhiqjk |
| | | 137 | jkeflagiqjk |
| 17 | dksyhokMk | 138 | dksyhokMk |
| | | 139 | gfjiqjk |
| | | 140 | cqtkZ |
| | | 141 | O;klks dk uksgjk |

# अध्याय : 24

## तहसील लवाण आपदा प्रबन्धन योजना– 2017

### 1.1 तहसील का परिचयः–

1. **तहसील का नामः** लवाण जिला दौसा
2. **तहसील का परिचय :** ग्राम लवाण को लगभग 250 पूर्व राजा रूपसिंह द्वारा बसाया गया था। इसका पूर्व नाम लावण्य नगरी था, जो कालान्तर में अपभ्रंश होकर वर्तमान में लवाण हो गया है। यह दौसा तहसील के दक्षिण पश्चिम में 25 किलोमीटर दूर स्थित है। तहसील से लगती हुई तहसीलें उत्तर पश्चिम में जयपुर जिले की बस्सी तहसील, उत्तर पूर्व में दौसा तहसील, पूर्व में नांगल राजावतान तहसील तथा दक्षिण में रामगढ पचवारा तहसील स्थित है। तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 16063.80 हैक्टेयर है।
3. **तहसील में सम्भावित खतरा :** तहसील लवाण में इण्डेन का गैस गौदाम तथा 03 पेट्रोल पम्प स्थित है। तहसील में से होकर बरसाती मोरेल नदी गुजर रही है, जिसमें अतिवृष्टि से बाढ़ की सम्भावना, भूकम्प, औलावृष्टि, सूखा, अग्नि काण्ड, सड़क दुर्घटना, साम्प्रदायिक तनाव आदि की सम्भावना है।
4. **यातायात व्यवस्था :** तहसील मुख्यालय लवाण दौसा–चाकसू मार्ग पर स्थित है। यातायात के लिये रोडवेज एंव अन्य साधान उपलब्ध है।

### 1.2 तहसील में मूलभूत संसाधन :

5. **मूलभूत संसाधन :–**

(क.) डिस्पेन्सरी/अस्पताल : तहसील मुख्यालय लवाण पर सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्साल्य स्थित है। डिस्पेन्सरी मुख्यालय से 25 किमी दूर दौसा में स्थित है।

| क. स. | सरकारी व निजि अस्पताल | डॉक्टरों की संख्या | पैरा. स्टाफ की संख्या | कुल बैडों की संख्या | आपातकालीन संसाधन एम्बूलेंस | आपाल कालीन सम्पर्क सूत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लवाण | 06 | 19 | 30 | 01 RJAPA1726 ड्राईवर नही है | 9680446283 |

(ख) तहसील में उपलब्ध अग्निशमन सुविधा : 25 किमी दूर दौसा नगर परिषद में उपलब्ध है।

| क.स. | अग्निशमन केन्द्र | वाहनों की संख्या | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद दौसा | 03 | 01427–224590,223933 |

1. **पानी भण्डारण :–** ऑवर हेड टैंक, बोरवेल, हैंडपम्प, पानी के टैंकर पीएचईडी की 02 टंकिया है।

(ग) तहसील मे बिजली की व्यवस्थाः– तहसील मुख्यालय पर सब पॉवर ग्रिड स्टेशन बना हुआ है।

(घ) पीने के पानी की व्यवस्थाः– हैंडपम्प बोरवेल, पानी के टैंकर, नल सप्लाई।

6. **तहसील में उपलब्ध आपातकालीन संसाधन/मशीनरी/बचाव उपकरण–** ट्रेक्टर ट्राली, ट्रक, रस्से, गैंती, फावडें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

## 1.3 तहसील के ग्राम एंव चिन्हित ग्राम :–

7. **तहसील में ग्राम/ग्राम पंचायतों की संख्या –** तहसील में 56 ग्राम व 10 ग्राम पंचायत है।
8. **तहसील के सम्भावित आपदा हेतु चिन्हिकृत 30 ग्रामों की सूची –**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आनन्दपुरा | 2 | बाड बिदरखा | 3 | बीघावास | 4 | भूडला भूतपुरा |
| 5 | बिदरखा | 6 | बनियाना | 7 | बूंटोली | 8 | चक हरपट्टी |
| 9 | चक जगरामपुरा | 10 | चक खानपुरा | 11 | झूंपडिया | 12 | चावंड |
| 13 | धरणवास | 14 | देवरी | 15 | धारासूती | 16 | ढिगारिया |
| 17 | दूबल्या | 18 | डूगरावता | 19 | गिरधरपुरा | 20 | गांवली |
| 21 | गुढा कीरतवास | 22 | गुगोलाव | 23 | हरपट्टी | 24 | हिंगोटिया |
| 25 | हरियाणा | 26 | जयरामपुरा | 27 | जेलमपुरा | 28 | जगरामपुरा |
| 29 | जगसहायपुरा | 30 | कंवरपुरा | | | | |

9. **तहसील की जनसंख्या एंव हाउसहोल्ड (घर/परिवार) –** तहसील लवाण की कुल जनसंख्या 61355 है।
10. **तहसील में साक्षरता दर ( वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) –**

| पुरूष | महिला | कुल |
|---|---|---|
| 31905 | 29450 | 61355 |

11. **गरीबी रेखा की सूचना (एपीएल/बीपीएल/अन्य) –**

| एपीएल | बीपीएल | अन्य (गैर बीपीएल) |
|---|---|---|
| – | 2460 | 7724 |

12. **दक्ष लोगो का विवरण** – वैद्य मुकुट बिहारी शर्मा, मोहनलाल सैनी– बीएसएफ भारी वाहन चालक , इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि मौजूद है।

13. **जीविकोपार्जन** – कृषि / पशुपालन / मजदूरी / व्यवसाय / नौकरी।,

14. **मुख्य फसल** – ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, चौला, गैंहू, जौ, चना, सरसों।

## 1.4 बांध, नदी, तालाब की स्थिति :

15. **नदी / बांध / तालाब व नालों की स्थिति :–** मोरेल नदी, मांण्डेडा सुनारपुरा तालाब, लवाण बनियाना, मलारना तालाब, वर्षा के अभाव में सभी सूखें पड़ें है।

16. **संचार के साधन** : बीएसएनएल अन्य ऐजेन्सियों के टावर / पोस्ट ऑफिस

17. **विद्यालय एंव आश्रय स्थलों की सूचीः–**

| क्र.सं. | आश्रय स्थल | नियन्त्रण अधिकारी | सम्पर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | रा.उ.मा.वि. लवाण | प्राधानाचार्य | |
| 2 | रा.उ.मा.वि. खानवास | प्राधानाचार्य | |
| 3 | रा.उ.मा.वि. बनियाना | प्राधानाचार्य | |
| 4 | रा.उ.मा.वि. ढिगारिया | प्राधानाचार्य | |
| 5 | रा.उ.मा.वि. रजवास | प्राधानाचार्य | |
| 6 | रा.उ.मा.वि. सिंगवाडा | प्राधानाचार्य | |
| 7 | रा..मा.वि. जेलमपुरा | प्रधानाध्यापक | |

## 1.5 टास्क फोर्स / तहसील आपदा प्रबन्धन समिति :

18. **तहसील में कार्यरत आपातकालिन टास्क फोर्स / प्रशासनिक अधिकारियों / कार्मिको के नाम व दूरभाष नंबर व कार्याला का नाम :**

| क्र.सं. | पदनाम | सम्पर्क |
|---|---|---|
| 1 | उपखण्ड अधिकारी दौसा | 9530312179 |
| 2 | तहसीलदार लवाण | 9530312354 |
| 3 | पुलिस उप अधिक्षक लालसोट | 8764870007 |
| 4 | थानाधिकारी लवाण | 9530430240 |
| 5 | बी.सी.एम.एच.ओ. दौसा | 7891510111 |
| 6 | ईओसी दौसा (बाढ़ नियन्त्रण कक्ष) | 01427–224535 |
| 7 | चिकित्सा अधिकारी प्रभारी | 9680446283 |
| 8 | अधिशाषी अभियन्ता पी.डब्ल्यु.डी | 01427–231522, 9414369995 |
| 9 | अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. | 856009584 |
| 10 | अधिशाषी अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल | 9413390636 |
| 11 | अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन | 01427–224795, 9460710356 |

**19. तहसील क्षेत्र लवाण में रीको से सम्बन्धित एंव अन्य ऐजेन्सी से सम्बन्धित कोई औद्योगिक ईकाई नही है।**

**20. तहसील लवाण में मेडिकल की दुकान 09 उपलब्ध है, जिन्की सूची निम्न है।**

| क्र.सं. | नाम | फर्म नाम | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | रामस्वरूप शर्मा | बालाजी मेडिकल स्टोर लवाण | 9829137144 |
| 2 | महावीर अग्रवाल | अग्रवाल मेडिकल स्टोर लवाण | 9001454884 |
| 3 | रामजीलाल शर्मा | शर्मा मेडिकल स्टोर लवाण | 9829432009 |
| 4 | पवन शर्मा | पवन मेडिकल स्टोर | 9928973350 |
| 5 | कमलेश सैनी | श्री श्याम मेडिकल स्टोर लवाण | 9782154858 |
| 6 | रमेश शर्मा | बोहरा मेडिकल स्टोर लवाण | 9950625556 |
| 7 | आर.के. सैनी | सैनी मेडिकल स्टोर लवाण | 9829323695 |
| 8 | रूपनारायण सैनी | निर्मल मेडिकल स्टोर लवाण | 9667026657 |

सरकारी अस्पताल महसील मुख्यालय लवाण पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है। सरकारी डिस्पेंसरी मुख्यालय से 25 किमी दूर दौसा में स्थित है।

| क्र.सं. | चिकित्सकों के नाम | पैरा मेडिकल स्टॉफ की संख्या | कुल बैडों की संख्या | आपातकालीन संसाधन एम्बूलेंश | आपातकालीन सम्पर्क सूत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | डा. सुरेन्द्र कुमार चौधरी | 12 नियमित, 07 संविदा | 30 | 01 RJAPA1726 ड्राईवर नही है | 9680446283 |
| 2 | डा. अमित राय | | | | 9414679794 |
| 3 | डा. पवन जैन | | | | 8769429884 |
| 4 | डा. ज्योती मीना | | | | 9660751005 |
| 5 | डा. प्रवीण स्वर्णकार | | | | 9461711911 |
| 6 | डा. मनोज विजय | | | | 7597301568 |

**पेट्रोल पम्पः–** लवाण क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थित है। जिन पर आपातकालीन अग्निशमन यन्त्र लगे हुये है।

| क्र.सं. | अनुज्ञाधारक का नाम | नाम पैट्रोल पम्प | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | | श्री गणपति फीलिंग स्टेशन लवाण | 9982378874 |
| 2 | विनयसिंह पुत्र गंगासहाय राजपुत | गहलोत फीलिंग स्टेशन लवाण | 9414820987 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | | औम फीलिंग स्टेशन लवाण | 9414359871 |
| 4 | जगन्नाथ प्रसाद मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना | जगन्नाथ फीलिंग स्टेशन खेड़ला खुर्द | 9414825454 |
| 5 | मदनलाल पिंगोलिया पुत्र सालगराम | मैं0 पिंगोलिया इंडियन ओयल लवाणं | — |
| 6 | प्रभूदयाल मीना | मैं0 श्री बालाजी किसान सेवा केन्द्र जगसहायपुरा चौपडा का बालाजी | — |

**गैस ऐजेन्सीः—** लवाण में इण्डेन गैस ऐजेन्सी /गौदाम स्थित है जो कस्बे से बहार स्थित है, जिस पर सुरक्षा के पूर्ण उपकरण लगे हुये है।

**आश्रय स्थल की सूची—**

| कसं. | आश्रय स्थल | नियन्त्रण अधिकारी | वि.विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | रा.उ.मा.वि. लवाण | प्राधानाचार्य | |
| 2 | रा.उ.मा.वि. खानवास | प्राधानाचार्य | |
| 3 | रा.उ.मा.वि. बनियाना | प्राधानाचार्य | |
| 4 | रा.उ.मा.वि. ढिगारिया | प्राधानाचार्य | |
| 5 | रा.उ.मा.वि. रजवास | प्राधानाचार्य | |
| 6 | रा.उ.मा.वि. सिंगवाडा | प्राधानाचार्य | |
| 7 | रा..मा.वि. जेलमपुरा | प्रधानाध्यापक | |

**रेस्टोरेन्ट एंव हलवाईयों की सूची :—**

| क.सं. | नाम हलवाण | नाम रेस्टोरेन्ट | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | राजीव जैन | पाटनी मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9928568680 |
| 2 | जटाशंकर शर्मा | शर्मा मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9929193879 |
| 3 | कालूराम शर्मा | कालू मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9929815706 |
| 4 | गिर्राज राजपूत | बीएमबी मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9929979795 |
| 5 | धर्मसिंह गुर्जर | मोहित मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 8290848071 |
| 6 | जगदीश राजपूत | बालाजी मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9667154023 |
| 7 | पप्पू राजपूत | राजपूत मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 8952039681 |
| 8 | मन्टी शर्मा | शर्मा मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9928004326 |
| 9 | रामप्रसाद शर्मा | सुदामा मिष्ठान भण्डार एंव रेस्टोरेन्ट लवाण | 9983649187 |

**21. भारी मशीनरी :—** तहसील लवाण क्षेत्र में भारी मशीनरी से सम्बन्धित 04 जेसीबी उपलब्ध है जिनकी सूची निम्न है :—

| क.सं. | नाम जेसीबी मालिक | ग्राम का नाम जहां उपलब्ध है | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | हंसराज पोषवाल | सिंगवाडा | 9887552100 |
| 2 | राजू खटाणा | सिंगवाडा | 8432085087 |
| 3 | श्रवण मीणा | कोटापट्टी | 9784238070 |
| 4 | हंसराज मीणा | कोटापट्टी | 9950445353 |

# अध्याय 25

## तहसील महवा आपदा प्रबन्धन योजना - 2017

**1.** दौसा जिले की तहसील महवा का कुल क्षेत्रफल 48729 हैक्ट. है तथा यहा की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 285232 है महवा जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व की तरफ 62 कि.मी. दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में गूर्जर, मीना समुदाय के लोग अधिक है शेष अनुसूचित जाति व अन्य जाति के लोग है यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदन शील है। महवा के पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः तालचिडी, औण्डमीना, नाहिडा, पाली, सालिमपुर, ठेकडा, धन्तुरी, खौचपुरी. मण्डावर. रींदली, हल्दैना, कोट, व रायपुर है तथा पर्वत व पहाडो के पास पानी का भराव क्षेत्र है तथा ऐसे क्षेत्रो के पास खातेदारी भूमि होने के कारण बाढ आदि की स्थिति से निपटने हेतु बडी परियोजनाओ को प्रस्तावित कर पाना संभव नही हैं फिर भी बाढ की स्थिति में आपदा प्रबन्धन के उपाय व कार्य योजना निम्न प्रकार हैं।

**2. तहसील में समावित खतरा –**

| क्र.स | नाम ग्राम पंचायत | संभावित क्षेत्र व ग्राम | कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | खौचपुरी | खौचपुरी, पारियाका नंगला | वर्षा का पानी एकत्र होना |
| 2 | पलानहेडा | पलानहेडा | वर्षा का पानी एकत्र होना |
| 3 | साँथा | साँथा | वर्षा का पानी एकत्र होना |
| 4 | ठेकडा | नयागाँव | वर्षा का पानी व एनीकट में भराव |
| 5 | समलेटी | समलेटी | N.H. 11 ऊँचा होने से पानी का निकास नही होना |
| 6 | हुडला | ग्वारकी | हुडला बाँध का भराव क्षेत्र होने से |
| 7 | रसीदपुर | रसीदपुर | अत्यधिक वर्षा आने से बाण गंगा नदी मे उफान आना |
| 8 | पाली | पाली | वर्षा का पानी एकत्र होने, अतिक्रमण से नाला अवरूध होने से |
| 9 | टुडियाना | टुडियाना | अत्यधिक वर्षा आने से बाण गंगा नदी मे उफान आना |
| 10 | रामगढ | रामगढ | वर्षा का पानी एकत्र होने तथा अतिक्रमण से नाला अवरूध होने से |
| 11 | ठेकडा | ठेकडा | वर्षा का पानी एकत्र होने तथा अतिक्रमण से नाला अवरूध होने से |
| 12 | महवा | महवा | वर्षा का पानी एकत्र होने तथा अतिक्रमण से नाला अवरूध होने से व हिण्डौन स्टैण्ड पर नाली नीची होने व अतिक्रमण होने से |

**3. यातायात व्यवस्था**

तहसील महवा NH-11 पर स्थित है जहाँ पर यातायात के साधनों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे, लोक परिवहन सेवा की बसे, व लोगो के पास अपने निजी परिवहन के साधन मौजूद है। रेल्वे लाइन तहसील मुख्यालय से लगभग 15 K.M दूरी मण्डावर कस्बे में है।

## 4. तहसील के मूलभूत साधन

| क्र.स. | चिकित्सा का नाम ईकाई | संस्था प्रधान का नाम | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | CHC महवा | डा. दिनेश कुमार मीना | 9414055000 |
| 2 | CHC मण्डावर | डा. प्रहलाद मीना | 7891510374 |
| 3 | CHC बडागांव खेडला | डा. रोहित शर्मा | 7891510394 |
| 4 | PHCसाँथा | डा. नरेन्द्र सिंह गूर्जर | 7991510394 |
| 5 | PHC रसीदपुर | डा. महेश कुमार मीना | 7891510381 |
| 6 | PHC बालाहेडी | डा. राजकुमार शर्मा | 7891510381 |
| 7 | PHC पावटा | डा. महेन्द्र सिंह गूर्जर | 7891510378 |
| 8 | गोयल नर्सिंग होम | | |
| 9 | रोहित हॉस्पिटल | | |
| 10 | जैन चाइल्ड अस्पताल | | |
| 11 | विनायक नर्सिंग होम | | |
| 12 | PHC तालचिडी | डा. राजेश नट | 7891510391 |
| 13 | PHC कोट | डा. महेश कुमार | 7891510397 |

(क) (<u>पशु डिस्पेन्सरी</u> – तहसील मुख्यालय महवा मे मौजूद है।

(ख) तहसील महवा में अग्नि शामन केन्द्र नही है जिसका किसी भी आपदा मे होना जरूरी है जो की तहसील मुख्यालय से दूर बांदीकुई या दौसा में हैं।

बिजली व्यवस्था हैं।

पीने के पानी के लिये लोगो के पास निजि कुऐ व बोरिंग मौजूद हैं।

## 5. तहसील में ग्राम/ग्राम पंचायतो की संख्या

तहसील महवा मे कुल 44 ग्राम पंचायत व 164 ग्राम हैं कुल जनसंख्या 285332 तथा कुल क्षेत्रफल 48729 हैक्ट. हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं।

| क्र.स. | नाम ग्राम पंचायत | नाम ग्राम | क्षेत्रफल (है0 में) | जनसंख्या | तहसील मुख्यालय से दुरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महवा | महवा | 306.21 | | |
| 2 | कोट | कोट | 740.9 | | |
| 3 | | मूनापुरा | 419.26 | | |
| 4 | | नांगलमेव | 78.88 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | ईशरपुर | 121.34 | | |
| 6 | हल्दैना | हल्दैना | 589.03 | | |
| 7 | | नांगलकोलरा | 167.29 | | |
| 8 | | नांगलचारण | 47.56 | | |
| 9 | बनावड | बनावड | 487.18 | | |
| 10 | | हाडोली | 229.55 | | |
| 11 | | एदलपुर | 345.74 | | |
| 12 | पावटा | पावटा | 806.97 | | |
| 13 | | गूजरखेडिया | 117.66 | | |
| 14 | रींदली | रींदली | 194.69 | | |
| 15 | | भण्डपुरा | 158.41 | | |
| 16 | | ईशरीखेडा | | | |
| 17 | मण्डावर | मण्डावर | 698.47 | | |
| 18 | रायपुर | रायपुर | 111.69 | | |
| 19 | | टीकरीकिलानोत | 175.37 | | |
| 20 | | हरीपुरा | 219.86 | | |
| 21 | | किशोरपुर | 109.09 | | |
| 22 | | खेडलीकला | 104.74 | | |
| 23 | | खेदलीखुर्द | 90.01 | | |
| 24 | | गोपालगढ | 221.68 | | |
| 25 | गढहिम्मतसिंह | गढहिम्मतसिंह | 267.41 | | |
| 26 | सायपुर | सायपुर | 120.19 | | |
| 27 | | पाखर | 1360.14 | | |
| 28 | | जैतपुर | 145.7 | | |
| 29 | उकरूँद | उकरूँद | 673.21 | | |
| 30 | | टहलडी | 254.49 | | |
| 31 | | पीलवा | 241.39 | | |
| 32 | जटवाडा | जटवाडा | 434.31 | | |
| 33 | | नांगलमीना | 223 | | |
| 34 | | सरावली | 320.3 | | |
| 35 | | नांगलसुमेरसिंह | 250.88 | | |
| 36 | धौलखेडा | धौलखेडा | 388.31 | | |
| 37 | | पालोदा | 227.6 | | |
| 38 | | वीरासना | 178.63 | | |
| 39 | | नांदना | 169.99 | | |
| 40 | | पाडला | 153.12 | | |
| 41 | | बदनपुरा | 90.23 | | |
| 42 | | वीरगांव | 203.73 | | |
| 43 | | नौरंगपुरा | 152.76 | | |
| 44 | | मान्यापुरा | 89.74 | | |
| 45 | पाखर | पाखर | 796 | | |
| 47 | | दल्लापुरा | 91.39 | | |
| 48 | | केशरी | 356.92 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | रामगढ | रामगढ | 363.89 | | |
| 50 | | शहदपुर | 200.08 | | |
| 51 | ठेकडा | ठेकडा | 172.4 | | |
| 52 | | नयागांव | 265.13 | | |
| 53 | | धन्तुरी | 244.33 | | |
| 54 | | बरीतकी | 205.21 | | |
| 55 | | बिराना | 176.44 | | |
| 56 | कमालपुर | कमालपुर | 197.03 | | |
| 57 | | अकबरपुर | 156.25 | | |
| 58 | | दुल्हापुरा | 370.96 | | |
| 59 | | बलीन | 317.03 | | |
| 60 | | भापुर | 219.57 | | |
| 61 | रसीदपुर | रसीदपुर | 514.05 | | |
| 62 | | राजगढ | 257.66 | | |
| 63 | | सींत | 255.25 | | |
| 64 | केसरा | केसरा | 314.66 | | |
| 65 | | बहडखोह | 365.81 | | |
| 66 | | खेदलीनारायणसिंह | 243.11 | | |
| 67 | | राजपुर | 316.31 | | |
| 68 | | सारंगपुर | 179.09 | | |
| 69 | | लाडनपुर | 193.62 | | |
| 70 | सालिमपुर | सालिमपुर | 279.8 | | |
| 71 | | सिन्दुकी | 312.79 | | |
| 72 | | टोडरा | 185.82 | | |
| 73 | | खोहकला | 493.46 | | |
| 74 | पाली | पाली | 287.77 | | |
| 75 | | अमोलकनगर | 320.43 | | |
| 76 | | मोटूका | 99.25 | | |
| 77 | | भोपरतप्पा | 479.85 | | |
| 78 | साँथा | साँथा | 835.41 | | |
| 79 | | बल्लुपूरा | 391.78 | | |
| 80 | हडिया | हडिया | 591.61 | | |
| 81 | | रौत | 362.31 | | |
| 82 | | पीतलियाबालाजी | 196.3 | | |
| 83 | | अलापुर | 117.69 | | |
| 84 | खेडलागदाली | खेडलागदाली | 290.35 | | |
| 85 | | टीकरीजाफरान | 278.25 | | |
| 86 | | लालपुर | 156.4 | | |
| 87 | | रसूलपुर | 130.94 | | |
| 88 | पलानहेडा | पलानहेडा | 599.85 | | |
| 89 | | मोहनपुर | 197.42 | | |
| 90 | | पहाडी | 295.54 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | मचानकापुरा | 96.89 | | |
| 92 | समलेटी | समलेटी | 468.29 | | |
| 93 | | पाडली | 183.73 | | |
| 94 | | खोहरानन्दसिंह | 126.12 | | |
| 95 | | कीर्तिनंगला | 154.72 | | |
| 96 | | गढीपट्टी | 129.41 | | |
| 97 | | बिन्दुडा | 217.02 | | |
| 98 | खौचपुरी | खौचपुरी | 337.77 | | |
| 99 | | खोहरी | 354.99 | | |
| 100 | | समसपुर | 162.67 | | |
| 101 | | मौसमपुरपट्टी | 157.71 | | |
| 102 | | पारिया का नंगला | 119.84 | | |
| 103 | | चूरखेडा | 213.58 | | |
| 104 | | सायपुर | 193.37 | | |
| 105 | गगवाना | गगवाना | 395.34 | | |
| 106 | | मौजपुर | 165.2 | | |
| 107 | | मिर्जापुर | 313.71 | | |
| 108 | | पीपलखेडा | 823.6 | | |
| 109 | पाटोली | पाटोली | 387.85 | | |
| 110 | | करणपुर | 217.66 | | |
| 111 | | आतरहेडा | 310.12 | | |
| 112 | बालाहेडी | बालाहेडी | 46.74 | | |
| 113 | | हाँसिलपुर | 119.96 | | |
| 114 | हुडला | हुडला | 714.21 | | |
| 115 | | ग्वारकी | 211.62 | | |
| 116 | | वीरपुर | 281.28 | | |
| 117 | टुडियाना | टुडियाना | 528.9 | | |
| 118 | | बेरखेडा | 538.28 | | |
| 119 | नौरंगवाडा | नौरंगवाडा | 524.21 | | |
| 120 | | मुडफोडी | 543.31 | | |
| 121 | | कायमपुर | 142.61 | | |
| 122 | | पट्टीकायमपुर | 99.74 | | |
| 123 | | विशाला | 181.48 | | |
| 124 | | पीपलीपाडा | 245.23 | | |
| 125 | | चकविशाला | 139.92 | | |
| 126 | गाजीपुर | गाजीपुर | 633.44 | | |
| 127 | | खावदा | 609.33 | | |
| 128 | | मीनाखेडिया | 52.61 | | |
| 129 | | जगरामपुरा | 260.67 | | |
| 130 | | अमरपुर | 377.09 | | |
| 131 | गहनोली | गहनोली | 608.32 | | |
| 132 | | भोपरशाहपुर | 469.57 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | खोहरा | 279.94 | | |
| 134 | बाडाबुजुर्ग | बाडाबुजुर्ग | 377.75 | | |
| 135 | | गोहण्डीमीना | 217.09 | | |
| 136 | | खोहरामुल्ला | 309.36 | | |
| 137 | | कुतुकपुर | 292.34 | | |
| 138 | | नौगांव | 318.87 | | |
| 139 | | लांगडीपुरा | 231.29 | | |
| 140 | खेडलाबुजुर्ग | खेडलाबुजुर्ग | 765.35 | | |
| 141 | | कोण्डला | 408.21 | | |
| 142 | | गोण्डीगुजर | 105.54 | | |
| 143 | | तेहडा | 84.84 | | |
| 144 | बडागांव | बडागांव | 526.54 | | |
| 145 | | सुल्तानपुरा | 244.83 | | |
| 146 | | रतनपुरा | 298.95 | | |
| 147 | सलेमपुर | सलेमपुर | 536.41 | | |
| 148 | | जलालपुर | 310.14 | | |
| 149 | नाहिडा | नाहिडा | 294.22 | | |
| 150 | | साहिडा | 196.27 | | |
| 151 | | सिकन्दरपुर | 275.83 | | |
| 152 | | साहिडा का पुरा | 106.71 | | |
| 153 | तालचिडी | तालचिडी | 408.67 | | |
| 154 | | खिलचीपुर | 142.14 | | |
| 155 | | वीरमपुर | 129.83 | | |
| 156 | | अलीपुर | 319.4 | | |
| 157 | | जहाजपुर | 176.46 | | |
| 158 | ढण्ड | ढण्ड | 391.02 | | |
| 159 | | समसपुर | 545.06 | | |
| 160 | | शीशवाडा | 517.24 | | |
| 161 | औण्डमीना | औण्डमीना | 473.21 | | |
| 162 | | औण्डब्राहम्ण | 211.91 | | |
| 163 | खानपुर | खानपुर | 401.32 | | |
| 164 | | मिल्कीपुरा | 44.58 | | |
| 165 | | औण्डगूजर | 410.82 | | |

**6. तहसील की जनसंख्या :-**

तहसील महवा की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 285332 है।

**7. एपीएल / बीपीएल / अन्य :-**

तहसील क्षेत्र महवा में 8983 BPL एंव 33714 गैर BPL परिवार हैं।

**8. दक्ष लोगों का विवरण :-**

तहसील महवा में दो तैराक हैं।

श्री पूरण पुत्र रामजीलाल कहार निवासी महवा

श्री धारासिंह पुत्र रामसहाय कहार निवासी महवा

आवश्यकता पडने पर मशीनरी, वाहन चालक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर गैस कटर इत्यादी किराये व मजदूरी पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

9. **जीवकोपार्जन** :– तहसील क्षेत्र महवा में लोंगो का जीवकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है एंव क्षेत्र में व्यवसायी व नौकरी करने वाले लोग भी मौजूद हैं।

10. **मुख्य फसले** :– बाजरा, ज्वार, गेहूँ, सरसो, चना, तिल, ग्वार इत्यादि

11. **नदी बांध/ तालाब/ नालों की स्थिति** :–

नदी / बाँध / तालाब / व नालो की स्थिति – वर्तमान मे इनकी स्थिति सामान्य है जो पानी के अभाव मे सुखे पडे हुए हैं।

12. **संचार के साधन** :– तहसील क्षेत्र मे BSNL व अन्य ऐजेन्सियाँ जैसे एयरटेल, रिलाइन्स, इत्यादि के टावर लगे है पोस्ट आफिस की सुविधा डाक हेतु उपलब्ध हैं।

13. **स्कूल आदि का विवरण** :–

| क्र.स. | विधालय का नाम | संस्था प्रधान का नाम | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | रा.बा.उ.मा.विधालय महवा | श्री सुरजमल गुप्ता | 9414845708 |
| 2 | रा.उ.मा.विधालय महवा | श्री कृपाशंकर मीना | 9828450996 |
| 3 | रा.उ.मा.विधालय पाली | श्री रामेश्वर गुप्ता | 9461102680 |
| 4 | रा.उ.मा.विधालय ठेकडा | श्री छोटेलालमीना | 9461151039 |
| 5 | रा.उ.मा.विधालय रामगढ | श्री राधेश्याम मीना | 9414355570 |
| 6 | रा.उ.मा.विधालय समलेटी | श्री मुरारीलाल सैनी | 9929062572 |
| 7 | रा.उ.मा.विधालय लालपुर | श्रीमति अनीता | 9950056422 |
| 8 | रा.उ.मा.विधालय पलानहेडा | | 9828170083 |
| 9 | रा.उ.मा.विधालय रौत हडिया | श्री भगवानसहाय शर्मा | 9950032138 |
| 10 | रा.उ.मा.विधालय खौटपुरी | श्री भगवत प्रसाद | 9887957630 |
| 11 | रा.उ.मा.विधालय रसीदपुर | श्री मोतीलाल मीना | 9530152914 |
| 12 | रा.उ.मा.विधालय उकरूँद | श्री रघुवीर मीना | |
| 13 | रा.उ.मा.विधालय जटवाडा | | 9414919791 |
| 14 | रा.उ.मा.विधालय केसरा | श्री महेन्द्र मीना | 9680802563 |
| 15 | रा.उ.मा.विधालय पाखर | श्री अरविन्द पालीवाल | 9414338985 |
| 16 | रा.उ.मा.विधालय सिन्दुकी | श्री जगमोहन मीना | 9413150913 |
| 17 | रा.मा.विधालय सालिमपुर | श्री रामरतन मीना | 9414713775 |
| 18 | रा.उ.मा.विधालय खेडला गदाली | श्री रामबाबु गुप्ता | 9460239189 |
| 19 | रा.उ.मा.विधालय धौलखेडा | श्री भगवानसहाय मीना | 9610107892 |
| 20 | रा.उ.मा.विधालय कमालपुर | श्री गणपतलाल गुप्ता | 9887204030 |
| 21 | रा.उ.मा.विधालय बालाहेडी | श्री गिरधारी लाल | 9829891552 |
| 22 | रा.उ.मा.विधालय बालाहेडी | श्रीमति शारदा यादव | 9414622146 |
| 23 | रा.उ.मा.विधालय नौरंगवाडा | श्री दीपराम मीना | 9413803857 |
| 24 | रा.उ.मा.विधालय विशाला | श्री मिट्ठुसिंह | 8646901313 |
| 25 | रा.उ.मा.विधालय पाटोली | श्री रघुवीर सिंह | 9929896725 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | रा.उ.मा.विधालय पीपलखेडा | श्री अनिल मीना | 9414372979 |
| 27 | रा.उ.मा.विधालय टुडियाना | श्री चेतराम मीना | 9001481154 |
| 28 | रा.उ.मा.विधालय गगवाना | श्री बाबुलाल गुप्ता | 9667539913 |
| 29 | रा.उ.मा.विधालय हुडला | श्री लल्लुराम | 9414909704 |
| 30 | रा.उ.मा.विधालय मण्डावर | श्रीमति मिथलेश लखेरा | 9983134502 |
| 31 | रा.वा.उ.मा.विधालय मण्डावर | श्री लक्ष्मण मीना | 9460071980 |
| 32 | रा.उ.मा.विधालय कोट | श्री हजारीलाल मीना | 9468594358 |
| 33 | रा.उ.मा.विधालय बनावड | श्री सत्येन्द्र उपाध्याय | 7300105932 |
| 34 | रा.उ.मा.विधालय हल्दैना | श्रीमति रश्मि भदोलिया | 9414461935 |
| 35 | रा.उ.मा.विधालय रींदली | श्री श्योमुल सिंह | 9784718460 |
| 36 | रा.उ.मा.विधालय रायपुर | श्रीमति शिवकुमारी शर्मा | 9413150883 |
| 37 | रा.उ.मा.विधालय गढहिम्मतसिंह | श्री राधेश्याम मीना | 9660680612 |
| 38 | रा.उ.मा.विधालय सायपुर पाखर | श्री राधाकृष्ण मीना | 9460549725 |
| 39 | संस्कृत विधालय मंडावर | | 9785934094 |
| 40 | रा.उ.मा.विधालय बडागांव खेडला | श्री राजेन्द्र गोयल | 9928908487 |
| 41 | रा.उ.मा.विधालय ढण्ड | | 9414824489 |
| 42 | रा.उ.मा.विधालय तालचिडी | श्रीमति निशा आर्य | 9928576799 |
| 43 | रा.उ.मा.विधालय शीशवाडा | श्री बाबूसिंह मीना | 9785702047 |
| 44 | रा.उ.मा.विधालय नाहिडा | श्री मिठ्टन मीना | 9413624150 |
| 45 | रा.उ.मा.विधालय सलेमपुर | श्री रूपसिंह मीना | 9887133545 |
| 46 | रा.उ.मा.विधालय खोहरामुल्ला | | 9680577277 |
| 47 | रा.उ.मा.विधालय कौण्डला | श्री ताराचन्द शर्मा | 9772990714 |
| 48 | रा.उ.मा.विधालय बाडाबुजुर्ग | श्री जगदीश मीना | 9413187072 |
| 49 | रा.उ.मा.विधालय गाजीपुर | देवी शर्मा | 9414553881 |
| 50 | रा.उ.मा.विधालय साँथा | श्री रामगोपाल शर्मा | 9413620395 |
| 51 | रा.उ.मा.विधालय औण्डमीना | श्री रामनिवास मीना | 9887274942 |
| 52 | रा.उ.मा.विधालय मोहनपुर | श्री राजेश योगी | 8104602208 |
| 53 | रा.उ.मा.विधालय गलनोली | श्री शिवदयाल मीना | 9460637929 |
| 54 | रा.वा.उ.मा.विधालय पावटा | श्रीमति पानादेवी मीना | 8058768484 |
| 55 | रा.उ.मा.विधालय पावटा | कुबेरसिंह | 9460627706 |
| 56 | नयागांव विधालय महवा | | |
| 57 | मॉडल स्कुल नयागांव महवा | बाबूलाल | |
| 58 | रा.उ.मा.विधालय शहदपुर | मानसिंह | |

**14. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरण :-**

तहसील महवा में बचाव उपकरण नही है लेकिन आवश्यकता पडने पर किराये पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

**15. तहसील में उपलब्ध राजकीय कर्मचारी :-**

| क्र.स | नाम अधिकारी / कर्मचारी | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|

| . | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री बृजेश कुमार मंगल | तहसीलदार | 9530312234 |
| 2 | श्री मागीलाल मीना | नायब तहसीलदार | 9530312452 |
| 3 | श्री हेमेन्द्र शर्मा | O.K | 9530312245 |
| 4 | श्री संजय वर्मा | A.O.K | 9530312251 |
| 5 | श्री बंशीलाल रेगर | ILR L.R | 9530312256 |
| 6 | श्रीमति रजनी देवी | पटवारी L.R | 7891345981 |
| 7 | श्री शंकरलाल | पटवारी L.R.C | 9079474970 |
| 8 | श्री गोपालसिंह | सहा. कर्मचारी | 9414151743 |
| 9 | श्री रामकिशोर मीना | LDC | |
| 10 | श्री गंगासहाय मीना | सहा. कर्मचारी | 9784906767 |
| 11 | श्री इन्द्रसहाय | सहा. कर्मचारी | 9784020620 |
| 12 | श्रीमति सन्तो | सहा. कर्मचारी | |
| 13 | श्रीमति केशन्ता | सहा. कर्मचारी | |
| 14 | श्री बत्तु मीना | सहा. कर्मचारी | |
| 15 | श्री रोशनलाल मीना | T.R.A | 9413327700 |
| 16 | श्री शिवचरण मीना | सहा. कर्मचारी | |
| 17 | श्री हरिराम मीना | सहा. कर्मचारी | |

**16.** तहसील महवा हाल ही मे नवीन नगर पालिका बनी है।

| क्र.स. | अधिकारी/कार्मिको का नाम | पद | मोबाईल नं. | कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुरेन्द्र कुमार मीना | अधिशाषी अधिकारी | 9887337938 | नगरपालिका महवा |
| 2 | श्री महेन्द्र मौर्य | महवा ARI | 8739812006 | नगरपालिका महवा |
| 3 | विश्वेन्द्र सिंह गूर्जर | LDC | 8005830053 | नगरपालिका महवा |
| 4 | अश्विन कुमार | JEN | | नगरपालिका महवा |
| 5 | संगीता आनंद | LDC | | नगरपालिका महवा |
| 6 | महेन्द्र मीना | LDC | | नगरपालिका महवा |
| 7 | राजवाला | CEO | | नगरपालिका महवा |

**17. तहसील महवा मे औद्घोगिक ईकाई** – NIL

**18. उपलब्ध मेडिकल दुकानों / सरकारी / प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेंसरी का विवरण** :-

तहसील क्षेत्र महवा में मेंडिकल की दुकाने है सरकारी अस्पताल व डिस्पेन्सरी की सूचना बिन्दु संख्या 4 में दर्ज है डाक्टर नर्सिंग स्टाफ की संख्या चिकित्सा विभाग से लिया जाना उचित है **पैट्रोल पम्पो की सूची** :-

| क्र.स. | नाम पट्रोल पम्प | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| 1 | बद्रीप्रसाद सूर्यप्रकाश | हडिया |
| 2 | विनायक पट्रोल पम्प | अलापुर |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | नेहलराज इण्डियन आयल | नौगांव |
| 4 | कारगिल फिलिंग स्टेशन | खेडला बूजूर्ग |
| 5 | रमेश ओटो पट्रोलियम | पोटोली |
| 6 | मंसूरी पैट्रोल पम्प | ठेकडा |
| 7 | बंसल पैट्रोल पम्प | शहदपुर |
| 8 | जैन पैट्रोल पम्प | पालोदा |
| 9 | हूडला पैट्रोल पम्प | उकरूँद |
| 10 | सरदार सिंह फिलिंग स्टेशन | सरावली |
| 11 | रिलाइन्स पैट्रोल पम्प | सरावली |
| 12 | सेट्टी इण्डियन आयल | मण्डावर |
| 13 | जैन पैट्रोल पम्प इण्डियन आयल | मण्डावर |
| 14 | रिलाइन्स पैट्रोल पम्प | पीपलखेडा |
| 15 | डी.बी पैट्रोल पम्प | पीपलखेडा |
| 16 | देवकरण फिलिंग स्टेशन | पीपलखेडा |
| 17 | इण्डियन आयल | मौजपूर |
| 18 | दीपक किसान सेवा केन्द्र | गढहिम्मतसिंह |
| 19 | महवा फिलिंग स्टेशन | गहनोली |
| 20 | गुरूकृपा पैट्रोल पम्प | गहनोली |
| 21 | खटाना पैट्रोल पम्प | गहनोली |

**गैंस गोदाम की सूची :-**

| क्र.स. | गैस गोदाम वितरक | संचालक का नाम | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | खेडला बुजुर्ग ग्रामीण इण्डेन | सुदीप गुप्ता | 9413628231 |
| 2 | साँथा ग्रामीण इण्डेन वितरक | छोटूलाल मीना | 9828114304 |
| 3 | गुरूकृपा H-P ग्रामीण वितरक पावटा | गोविन्दसिंह गुर्जर | 9785948005 |
| 4 | हडिया ग्रामीण इण्डेन वितरक | तारासिंह | 8829051460 |
| 5 | रसीदपुर ग्रामीण इण्डेन वितरक | निहालसिंह | 7062007288 |
| 6 | श्री कृष्णा ग्रामीण इण्डेन वितरक | श्याम गौड | 7791904171 |

**तहसील मुख्यालय पर निम्न को आश्रम स्थल के रूप मे उपयोग मे लाया जा सकता है।**

(1) गणगौर मिडवे महवा (2) मंगलम मैरिज होम (3) भगवती मैरिज होम
(4) राजस्थानी मिडवे महवा (5) हितेश मैरिज होम (6) शान्ती मैरिज होम
(7) मिडवे महवा (8) महवा पैलेस (9) अग्रवाल धर्मशाला
(10) महवा होटल पैलेस (11) अवध पैलेस (12) राधे - रानी मैरिज
(13) खण्डेलवाल होटल हडिया (14) रघुवंशम मैरिज

**हलवाई की सूची**

गोविन्द हलवाई बाबा मिष्ठान भण्डार जोधपुर मिष्ठान भण्डार मानक हलवाई
अवध मिष्ठान भण्डार

19. **भारी मशीनरी से सम्बन्धित लोगों की सूची :-** तहसील महवा में संवेदक वेद प्रकाश गुप्ता एए श्रेणी मोबाईल नम्बर 9413379414 के पास उपलब्ध सामान का विवरण -

1. जे.सी.बी. 1
2. टेक्टर टोली 1

3. डम्पर 1
4. गैती 45
5. फावडे 65
6. परात 65

## अध्याय : 26

## आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली

- ARMVs - Accident Relief Medical Vans
- CBOs - Community Based organizations
- CBRN - Chemical, Beiological, Radiological & Nuclear
- CCMNC - Cabinet Committee on Management of Natural Calamities
- CCS - Cabinet Committee on Security
- CRF - Calamity Relief Fund
- DDMA - District Disaster Management Authority
- DM - Disaster Management
- GIS - Geographical Information System
- GPS - Global Positioning System
- HLC - High Level Committee
- HPS - High Power Committee
- ICS - Incident Command System
- ICT - Information and Communication Technology
- IDRN - India Disaster Resource Network
- IDKN - India Disaster Knowledge Network
- IMC - Inter-Ministerial Committee
- NCCF - National Calamity Contingency Fund
- NCMC - Natinal Crisis Management Committee
- NDEM - National Database for Emergency Management
- NDMA - National Disaster Management Authority
- NDMF - National Disaster Mitigation Fund
- NDRF - National Disaster Response Force

- NEC - National Executive Committee
- PRIs - Panchayati Raj Institutions
- SDMS - State Disaster Management Authority
- SDRF - State Disaster Response Force
- SEC - State Executive Committee
- SOPs - Standard Operating Procedures
- ULBs - Urban Local Bodies

## अध्याय : 27

# कमियां एवं ठोस कार्यवाही

### (तहसील एवं ग्राम स्तर का अवलोकन एवं डाटा संग्रहण पर आधारित)

1. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम की जानकारी आवश्यक है।
2. जिले में आपदा न्यूनीकरण योजना को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधन की कमी है।
3. जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के बीच संचार प्रणाली एवं तालमेल को मजबूत करने की आवश्यकता है।
4. आपदा की प्रभावी योजना एवं तैयारी के लिए प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है।
5. जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों का डाटाबैस एवं दक्ष लोगों की सूची आपातकालीन सूचना केन्द्र पर अपडेट रहना चाहिए।
6. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षित लोगों की भर्ती, फायर स्टेशन की व्यवस्था एवं जल भण्डारण की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि समय की बचत के साथ ही अग्नि दुर्घटना में कम से कम जान–माल की क्षति हों।

7. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर चिकित्सा एवं ट्रोमा केयर के लिए अस्पतालों का स्तर ऊँचा करना, संसाधन से लैस एम्बुलेंस, पैरा स्टाफ एवं संचार प्रणाली को व्यवस्थित करना ताकि सडक दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके।
8. स्कूल एवं शिक्षण संस्थानों में प्रबन्धकों एवं छात्रों को आपदा एवं जागरूकता का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
9. स्थानीय स्तर पर क्षमता वर्धन के लिए लोगों में जागरूकता, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका, मिडिया की साझेदारी एवं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी की प्रबलता बढाई जाये।
10. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन में उच्च स्तर का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये ताकि स्थानीय संसाधन का समुचित उपयोग हो सके।
11. निचले स्तर के सभी सरकारी कर्मियों, एवं जनप्रतिनिधियों, जैसे– सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, शिक्षक, जल संसाधन कर्मी, अस्पतालकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएॅ एवं अन्य कार्मिकों को आपदा प्रबन्धन में कम से कम दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक किया जाये ताकि ग्रामीण स्तर पर इसका लाभ आमजन को मिल सके।
12. आपदा प्रबन्धन कानून का पालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।
13. प्रत्येक तहसील स्तर पर ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेंन्टर (ईओसी) का गठन एवं संचालन 24 घन्टे सुनिश्चित किया जाये ताकि आपात स्थिति में प्रशासनिक तंत्र कम समय में घटना को नियंत्रित कर सकें। प्रशासनिक तंत्र को सूचना प्रणाली को विकसित करने का उपाय करना चाहिए।